महानगर नई दिल्ली मंगलवार 7 जनवरी, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

जेएनयू : दंगे का मामला, पर कोई गिरफ्तारी नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में रविवार शाम को हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को वसंत विहार उत्तरी थाने में दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जेएनयू के 31 विद्यार्थी, दो प्रोफेसर और दो सुरक्षाकर्मी घायल हुए लेकिन पुलिस ने उन सौ नकाबपोशों के बारे में चुप्पी साधे रखी जो रविवार को जेएनयू परिसर में घंटों तांडव मचाते रहे।

जांच के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की तीन टीमें बनाई गई हैं। अपराध शाखा की टीमें सोमवार को जेएनयू परिसर में पहुंचीं और सबूत जुटाए।

पश्चिमी रेंज की संयुक्त आयुक्त शालिनी सिंह की देखरेख में एक समिति गठित की गई है जो जांच प्रक्रिया की निगरानी करेगी। इस बीच, हिंसा में घायल जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष समेत 35 छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को एम्स ट्रामा बाकी पेज 8 पर

नकाबपोशों के द्वारा हिंसा पर दिल्ली पुलिस खामोश।
अपराध शाखा की तीन टीमें जांच करेंगी
जांच की निगरानी पश्चिमी रेंज की संयुक्त आयुक्त की कमेटी करेगी
साबरमती हॉस्टल के दो वार्डनों ने सौंपा इस्तीफा

जेएनयू गेट पर सोमवार को प्रदर्शन करते विद्यार्थी।

मंत्रालय ने बुलाई बैठक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में रविवार को हुई हिंसा के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने सोमवार को जेएनयू प्रशासन के अधिकारियों के साथ बाकी पेज 8 पर

पूर्व नियोजित थी हिंसा : आईशी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आईशी घोष ने सोमवार को आरोप लगाया बाकी पेज 8 पर

'मेरे समय जेएनयू में कोई 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग नहीं था'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा, 'मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूं कि बाकी पेज 8 पर

देश-विदेश में प्रदर्शन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

जेएनयू हिंसा के विरोध में देश और विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सोमवार को प्रदर्शन हुए। नेपाल में काठमांडू के मैतीघर मंडला में जेएनयू के पूर्व छात्र एकत्रित हुए। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड तथा ससेक्स यूनिर्विसटी एवं अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों और भाजपा बाकी पेज 8 पर

तिब्बत में चीनी सेना का बड़ा सैन्य अभ्यास

सीमा पर हल्के युद्धक टैंक टाइप-15 और 155 एमएम वाहन चालित होवित्जर तोप जैसी नई हथियार प्रणालियां तैनात

पीएलए ने लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग झील से सटे इलाके में सैन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर काम शुरू किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने भारत की सीमा से लगे ऊंचाई वाले तिब्बती क्षेत्र में बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। चीनी सेना ने टाइप 15 हल्के लड़ाकू टैंक टाइप-15 और नए 155 एमएम वाहन चालित होवित्जर तोपों को तैनात किया है।

चीन के सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' के मुताबिक, तिब्बत सैन्य कमान ने नववर्ष के अभ्यास को शुरू कर दिया है। इसके तहत पीएलए ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा से लेकर सरहदी रक्षा मोर्चे की सीमा तक हेलिकॉप्टर,

फाइल फोटो

बख्तरबंद गाड़ियां, भारी तोपखाने और विमानों को मार गिराने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा 3,488 किलोमीटर लंबी है, जो अरुणाचल और सिक्किम तक से मिलती है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है।

चीन ने पिछले वर्ष एक अक्तूबर को राष्ट्रीय सैन्य परेड में टाइप-15 टैंक और होवित्जर तोपों को पहली बार प्रदर्शित किया था। अखबार के अनुसार, ऊंचाई वाले स्थानों के लिहाज से तैयार किए गए ये हथियार सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्नत टैंकों में शक्तिशाली इंजन लगाए गए हैं। इससे उन्हें तिब्बत जैसे ऊंचाई वाले स्थानों पर आसानी से ले जाया जा सकता है। भारी हथियारों की ऑक्सीजन की कमी वाले सीमा क्षेत्रों में तैनाती नहीं जा सकती। टाइप-15 दुनिया में इकलौता आधुनिक हल्का टैंक है, जो 105 मिलीमीटर गन और उन्नत बाकी पेज 8 पर

दिल्ली विधानसभा चुनाव आठ फरवरी को, 11 को परिणाम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

राजधानी में चुनावी बिगुल बज गया है। दिल्ली की नई विधानसभा के गठन के लिए 70 विधानसभा सीटों के लिए आगामी आठ फरवरी को मतदान होगा जबकि मतगणना 11 फरवरी को होगी और उसी दिन सभी विधानसभा सीटों के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी को समाप्त होगा। नियमानुसार उससे पहले ही चुनाव संपन्न कराकर नई विधानसभा का गठन किया जाना है।

राजधानी के चुनाव में मुख्य चुनावी मुकाबला सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप), भाजपा व कांग्रेस के बीच ही होने के आसार हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर कहा- ये चुनाव काम पर होगा जबकि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इस बार दिल्ली में चुनाव काम के आधार पर लड़े जाएंगे, झूठ बाकी पेज 8 पर

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सोमवार को दिल्ली चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव एक ही चरण में आठ फरवरी को होगा।

केजरीवाल : देना होगा पांच साल का हिसाब

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के वादे पर काम नहीं हुआ। ऑड-ईवन योजना से वाहनों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक वाहन कम हुए। कार-पूलिंग को प्रोत्साहित करने का वादा था। बुजुर्गों और छात्रों को मुफ्त में सार्वजनिक वाहनों की यात्रा सुविधा का वादा था, हालांकि ये सुविधा केवल महिलाओं को मिली। आठ लाख नौकरियों का वादा था। सरकार का दावा है कि इसकी फाइल को केंद्र ने मंजूरी नही दी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने स्कूलों में नए कमरे बनाए और न स्कूल खोलने का वादा पूरा नहीं किया। करीब 650 झुग्गी-बस्तियों और अन्य 100 अनधिकृत कॉलोनियों में कनेक्शन नही हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020

कुल सीटें- 70
चुनाव अधिसूचना की तारीख- 14 जनवरी 2020
नामांकन की आखिरी तारीख- 21 जनवरी 2020
नामांकनों की छंटनी - 22 जनवरी 2020
नाम वापसी- 24 जनवरी 2020
चुनाव की तारीख- 8 फरवरी 2020
मतगणना व नतीजे- 11 फरवरी, 2020

दिल्ली दंगल

सुभाष चोपड़ा : कमजोर नेतृत्व

कांग्रेस के सामने शून्य से सत्ता में वापसी के आंकड़े को छूने की बेहद मुश्किल चुनौती है। पार्टी हाईकमान ने 72 साल के सुभाष चोपड़ा को इस दलील के साथ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया कि वे सभी गुटों को साध कर चलेंगे, लेकिन यही काफी नहीं। सूबे में लगातार 15 साल की हुकूमत के बाद वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई। दिल्ली की 70 सीटों पर कांग्रेस महज नौ फीसद वोट ही हासिल कर पाई।

मनोज तिवारी : बाहरी होने का दंश

तीन साल से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष रहने के बावजूद मनोज तिवारी को भाजपा अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। दिल्ली में वोट बढ़ाने के लिए भाजपा ने बिहार मूल के भोजपुरी सिने कलाकार मनोज तिवारी को नवंबर 2016 में दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष बनाया। गैर भाजपा वोटों का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बंटवारा होने के बावजूद तिवारी दिल्ली भाजपा के सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए।

1,038 करोड़ का कालाधन हांगकांग भेजने में 51 कंपनियां नामजद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

सीबीआइ ने वर्ष 2014-15 में 1,038 करोड़ रुपए का कालाधन हांगकांग भेजने के आरोप में 51 कंपनियों को नामजद किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सीबीआइ अधिकारियों ने फौरी जांच के आधार पर जानकारी दी है कि इन 51 इकाइयों ने तीन सरकारी बैंकों- बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के अज्ञात अधिकारियों की मिलीभगत से 1,038 करोड़ रुपए का बेहिसाबी कालाधन हांगकांग भेजा। इन कंपनियों में से अधिकतर के मालिक चेन्नई निवासी हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सूचना मिली थी कि 51 इकाइयों में से 48 के चालू खाते 1,038.34 करोड़ रुपए की राशि बाहर भेजने के लिए ही इन बैंकों की चार शाखाओं में खोले गए थे।

सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि 24 खातों का इस्तेमाल वस्तुओं के आयात के अग्रिम भुगतान के रूप में विदेशों में पैसा भेजने के लिए किया गया, जिसके तहत 488.39 करोड़ रुपए की राशि डॉलर में भेजी गई। वहीं, 27 खातों का इस्तेमाल भारतीय पर्यटकों की विदेशी यात्राओं के लिए 549.95 करोड़ रुपए की राशि भेजने बाकी पेज 8 पर

सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू की, सभी मामले 2014-15 के

हमें ईरान के सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट करने का हक : ट्रंप

वाशिंगटन, 6 जनवरी (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान अपने शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कोशिश करता है तो अमेरिका बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरानी सांस्कृतिक स्थलों पर बमबारी की जाएगी।

ट्रंप ने इससे पहले भी एक बयान में कहा था कि ईरान ने अगर जवाबी कार्रवाई बाकी पेज 8 पर

जनरल सुलेमानी के जनाजे की नमाज में रो पड़े खमैनी

तेहरान, 6 जनवरी (एपी)।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमैनी ने बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे की नमाज पढ़ी। वहां एकत्र लाखों बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा

सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रति उद्योग जगत में डर और संशय का माहौल होने को कोरा दुष्प्रचार बताते हुए सोमवार को कहा कि कुछ बेईमान और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने का मतलब यह नहीं है कि सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ है।

मोदी ने किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना महज एक पड़ाव है। यह लक्ष्य महज एक पड़ाव है। हमारे सपने और बड़े हैं, हमारी उम्मीदें और बड़ी हैं, हमारे लक्ष्य और बड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे लेकर कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, 'कुछ लोग यह छवि बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं कि भारत सरकार उद्यमियों के खिलाफ बाकी पेज 8 पर

अंबानी, अडाणी व अन्य उद्योगपतियों संग बैठक

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की। बैठक में बाकी पेज 8 पर

ननकाना साहिब में तोड़फोड़ का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

लाहौर, 6 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहिब में हाल ही में हुई तोड़फोड़ के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उस पर कठोर आतंकवाद निरोधक कानून की गैरजमानती धारा लगाई गई। शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

गुरुद्वारा ननकाना साहिब लाहौर के समीप वह स्थान है जहां बाकी पेज 8 पर

आरोपी इमरान

पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

भारत ने सोमवार को पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी सैयद हैदर शाह को समन किया और ननकाना साहिब गुरुद्वारे को अपवित्र करने तथा पेशावर में एक सिख व्यक्ति की हत्या पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनयिक को बता दिया बाकी पेज 8 पर

अग्निशमन यंत्र से तोड़े गए दरवाजे | **जेएनयू हिंसा : आंखों देखी** | छात्राओं ने मानव शृंखला बना किया मुकाबला

'ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा...'

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में रविवार को हुई हिंसा के बाद वहां के विद्यार्थी और शिक्षक डरे हुए हैं। फिर से हमले की आशंका में उन्होंने पूरी रात डर के साए में गुजारी और अपने कमरे में नहीं गए। कुछ घंटे बाद दिल्ली पुलिस आई। माहौल शांत होने और सुरक्षा का आश्वासन दिया। मगर जिस खौफनाफ मंजर से छात्र गुजरे थे उसे वे रात भर भूल नहीं पाए।

अंतिम वर्ष की शोध-छात्रा गीता ने बताया कि वह पांच साल से जेएनयू में पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन ऐसा खौफनाक मंजर पहले नहीं देखा, जो रविवार को साबरमती और पेरियार छात्रावास में था। साबरमती छात्रावास के 156 नंबर कमरे में रहने वाले अंतिम वर्ष के एक अन्य छात्र ने बताया कि सबसे अधिक नुकसान उसके कमरे को पहुंचाया गया। नकाबपोशों ने जब छात्रावास में हमला किया तो वह अपने तीन दोस्तों के साथ कमरे में थे। पहले उनके कमरे के शीशे तोड़े गए। बाद में अग्निशमन यंत्र (सिलेंडर) की मदद से दरवाजा तोड़कर लोहे की रॉड और डंडे से लैस हमलावर उनके कमरे में दाखिल हुए। जान बचाने के लिए सभी बालकनी से नीचे कूदे। छात्र ने बताया कि हमलावरों ने उन्हें इसलिए निशाना बनाया कि वह राजौरी पुंछ, जम्मू-कश्मीर का रहने वाले हैं और बीते दिनों उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था।

सूर्यप्रकाश कमरे में थे, इसी बीच हमला हुआ और उनको खूब पीटा गया। उनके बाएं हाथ और कमर में चोटें लगीं हैं। वह हमलावरों से छोड़ देने की विनती करते रहे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि वह देख नहीं सकते और उनका किसी संगठन से कोई लेना-देना नहीं है। सूर्यप्रकाश का मानना है कि उनके कमरे के बाहर लगी आंबेडकर की फोटो उनकी पिटाई का कारण बनी।

पुस्तकालय दिन-रात हमेशा खुला रहता था। मिरजा अब्दुल रहमान ने बताया कि वह चार दोस्तों के साथ कमरा नंबर 50 में नमाज पढ़ रहे थे, तभी पीछे से उनपर हमला हुआ। छात्रावास की खिड़की तोड़ी गई और आधे घंटे तक मैं उनसे जूझता रहा। हमलावरों ने खूब गालियां दीं और पथराव किया।

शराब की बू

साबरमती छात्रावास के कमरा नंबर 26 में रहने वाले दृष्टिबाधित छात्र सूर्यप्रकाश ने बताया कि वह संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं। सूर्यप्रकाश कमरे में थे, इसी बीच हमला हुआ और उनको खूब पीटा गया। उनके बाएं हाथ और कमर में चोटें लगीं हैं। वह हमलावरों से छोड़ देने की विनती करते रहे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि वह देख नहीं सकते और उनका किसी संगठन से कोई लेना-देना नहीं है। सूर्यप्रकाश का मानना है कि उनके कमरे के बाहर लगी आंबेडकर की फोटो उनकी पिटाई का कारण बनी। उन्होंने बताया कि नकाबपोश गाली-गलौज कर रहे थे और उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। सूर्यप्रकाश ने कहा, 'जेएनयू में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा।' एकजुट हो बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I, Mohd. Shahid S/o Ziauddin R/o H.No. 2729, 2nd floor, Gali Masjid Kale Khan Kucha Chelan, Darya Ganj, New Delhi-02, informs that name of my wife has been wrongly written as Fatima in my minor son Amaan Ahmed (aged 14 years) in IXth class marksheet. The actual name of my wife is Fatima Parveen, which may be amended accordingly. 0040526565-1

I,Vikram Singh R/O-D-292, Pratap Vihar, Sector-11, Ghaziabad, in my document my son name is,wrongly mentioned as Abhisakh. but correct name is Abhishek Negi. 0040526597-5

I,Sirajuddin s/o Faizu R/O-E-44/A-406,New-Seemapuri, Delhi-110095,have informed that the.Sirajuddin and Sarajuddin both are one & same person.I know myself Sirajuddin in,future. 0040526597-1

I,Rohit Kumar Shokeen, S/O-Shri Ved Parkash, R/O-B-38-39, Sanjay-Nagar, MangolPur. Kalan,Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Rohit Shokeen. 0040526636-3

I,Ritu W/o-Munish Raj Garg R/o-House.No.68,First Floor, Wood Stock,Nirvana Country, Sector-50,Gurugram, Haryana -122018,have changed my name to Ritu Garg for all, future purposes. 0040526650-1

I,Raj Kumar Dahiya S/o Jeet Ram R/o House No.A-184, Ground Floor,Vikaspuri,New Delhi-110018 state that my actual and full name is Raj Kumar Dahiya instead of R.K.Dahiya as mentioned in Driving Licence. Raj Kumar Dahiya and R.K.Dahiya is one and same person. 0040526556-2

I,RAJENDER SAINI S/O RAM PRASAD R/O-K-186,J.J. COLONY, WAZIRPUR,DELHI-110052.HAVE CHANGED MY NAME TO RAJENDER KUMAR. 0040526611-7

I,Prem Naraian Pandey,S/O-Ram Sahai Pandey,R/o-422,Sector-37,Faridabad, Haryana,office at 24/1-A, Govind Puri,kalkaji,New-Delhi-19,declare that Prem Naraian Sharma and Prem Naraian Pandey are same person, in future public will known as Prem Narain Pandey. 0040526636-2

I,Neelam Rani W/o-Shri.Rajeev Sodha R/o-House.No.11124, Doriwalan,Manakpura,New Rohtak-Road,Karol-Bagh, N.Delhi-110005,have changed my name to Sonu Sodha after-marriage for all,future purposes. 0040526636-5

I,Nafees Khan,S/o-Ali Jaan,R/o-A-357,Khasra.No.125,1st-Floor,Gali.No.9,Near Amina Masjid,Village-Wazirabad,New Delhi-110084,inform that my brother Anish Khan daughter school record father's name written Anish Khan,but suddenly my brother's death a accident and I got married his wife,so I,want daughter (Layba)school record father name Nafees Khan. 0040526597-2

I,Sandhra W/o Sh.Makhan Lal R/o-F-35,Gali.No.16-D, Shakuntala App,Sadh Nagar, Palam-Colony,Palam Village, South-West,Delhi-110045,have changed to my name Santra Devi for,all purpose. (D.O.B.01.01.1949) 0040526603-1

I,Monica Chawla W/O-Nitin Sagar R/O-House.No-61/28, Street.No-11,Near Geeta-Ashram,Jyoti-Park, Gurgaon,Haryana-122001, Have Changed My Name To Monica Goswami,For All,Future Purposes. 0040526636-6

I,Mohammad Rais Ahmed S/o-Mr.Abdul Bari,R/o-M-69,Abul Fazal Enclave Part-I,Jamia Nagar,Okhla,New Delhi-110025,inform that in my Driving Licence.No.P03052004406834, my and my father name is wrongly written as MD.Rahis instead of Mohammad Rais Ahmed and my father name is as Abdul Wahid instead of Abdul Bari for all future purpose. 0040526487-4

I,Bhupesh Kumar R/o-RZB-130-B, Gali-No.7, Gurudwara Road,Mahavir Enclave Part-1, N.Delhi-110045 have changed my name to Bhupesh Kumar Harish. 0040526597-4

I,Bhudev Prashad and Bhudev Sharma S/o Babulal Sharma R/o-EWS D-471, Kalindri Vihar,100-Futa road, R.B.Digari Collage,Kalindri Vihar, Kuber pur,Agra Uttar Pradesh-282006,have changed my to Bhudev Prasad Sharma for all purpose. 0040526597-6

I Gurpreet singh anand Add-237, 1st-floor, sainik-vihar, pitampura, delhi-110034. Changed My MINOR SON Name harkabir anand TO harkabir singh anand. 0040526607-1

I Mahesh Chander Langoo S/O Sh Prithvi Nath Langoo R/o H. No. B1/41 A Gali no. 10 Kiran GardenUttam Nagar 110059, I changed my minor daughter's name from PRAGATI TO TANYA 0040526570-3

व्यक्तिगत

I, hitherto known as Sujata Kumari Wife of Mr.Brij Nandan Prasad,Residing at-C-3,Type-5,Tower-9, Kidwai-Nagar East,New Delhi-110023. Have changed my name and shall hereafter be known as Sujata Prasad. 0040526613-1

I, hitherto known as Rekha Poddar D/o sh Vijay Kumar Gupta,W/o Late Purshottam Poddar,R/o C-29,Ground Floor,Pamposh Enclave,New Delhi-110048 have changed my name and shall hereafter be known as Tanishka Gupta 0070691405-1

I, Vishnu Kumar Aggarwal S/o Shri Raja Ram R/o 344, Jagriti Enclave, Delhi-110092, informs that I have changed my name from Vishnu Kumar to Vishnu Kumar Aggarwal for all future purposes. 0040526551-1

I, Vikaram kaul S/O Lokesh kaul R/O-716, sector-17, Faridabad Haryana have changed my name to Vikram kaul for all future purposes. 0040526598-1

I, Vijay Kumar S/O-Fakir Chand R/O-K-2/539, Tara Chand-Colony, Mahipalpur-Extn, South/West Delhi-110037. Have Changed My Name To Vijay Kumar Bagri. 0040526607-7

I, Vicky Kumar S/O Rajender Prasad R/O-G-22a,Galino.7, Prem Nagar-1, Kirari, Suleman Nagar, Delhi-110086. Changedmy Nameto Vicky Singh. 0040526598-5

I, Vandana Kumari W/o Shailesh Kumar Singh R/O-Flat.No.991gf, Sector-5, Wave-Floor, Nh-24, Wave-Ctiy, Ghaziabad, U.P.201002, Changed My Name To Vandana Singh. 0040526633-12

I, VIPIN KUMAR S/O-VIJAY PRASAD GUPTA R/O H.NO.12, CHURCH-LANE, JUNGPURA, BHOGAL, NEW-DELHI-14, have changed my name to VIPIN GUPTA. 0040526633-6

I, Sujata D/o-Subhash Chander,R/o-Flat.No.399, Sec-17-A, Sarvhit-Apartment, opp.IP University,NSIT Dwarka,Delhi-110078.changed the name of my minor daughter from Ridhima to Ridhima Luthra. 0040526611-2

I, Subash Chandra Sharma R/o-H.No.45, Peepal Wali-Gali, Guldhar-II,Sector-23, Sanjay-Nagar, Ghaziabad, U.P-201002. have changed my name to Subhash Chandra Sharma. 0040526611-5

I,Asha Rani Bamotrha W/O-Kuldeep Bamotrha R/O-B-18,Vishnu-Garden, New-Delhi 110018. Have Changed My Name To Asha Rani. 0040526633-2

I, Shiv Ram Singh S/o Ram Janak Singh R/o A-202, Gali No-4C, Part-2, Pusta-1, Sonia Vihar, Delhi-110094, that name of mine has been wrongly written as Guddu Singh in My PF and ESIC. The actual name of mine is Shiv Ram Singh 0070691408-1

I, Sanjay Marwah.S/O-Gurbax Rai Marwah,H.No-211-212, Double-Storey, New-Rajinder-Nagar, N.Delhi-110060.Have Changed My Minor Son Name,From Manav Marwah To Maanav Marwah. 0040526607-9

I, Sangita Thapar W/o Harish Jaggi R/o Uu-92-B, Pitampura, Delhi-110088, have changed my name to Sangeeta Jaggi for all purposes. 0040526568-1

I, Sandeep Kumar S/O Ram Chander R/O-368, Saidpur Village,Sonipat-131402.Have Changed My Name To Sandeep Lamba. 0040526598-4

I, Salahuddin S/o Late.Anzaruddin R/o-H.No.C-1st/10-B, Raju-Park Khanpur,New-Delhi-110062, that inadvertently in my son's MCD-birth record/School record/Central Board of Secondary-Education, Examination in the year-2019,issue by CBSE.My name has been wrongly-written as Sheikh Mohammad Salahuddin instead of Salahuddin, which may be amended accordingly. 0040526613-2

I, Saboor Kamal W/o Khawar Kamal R/o E-89/A, Gali No.5, Chand Bagh, Delhi-110094, have changed my name from Jayakumari. D. to Saboor Kamal for all future purposes. 0040526553-1

I, SUPRABHA KUMARI GUPTA W/O PREM KUMAR R/O-146/16,ONKAR NAGAR,TRINA-GAR,DELHI-110035.HAVE CHANGED MY NAME TO SUPRABHA KUMARI. 0040526611-6

I, Roshni Nomani W/o Mohd. Kafeel R/O-C-42,Sector Delta-I,Greater Noida, Distt.:-G.B. Nagar UP,have changed my name to Mariya Kafeel for future. 0040526597-3

I, Ravindranath Ajit Kumar Punde S/o Sh. Ajit Kumar Amrit Punde R/o 121, Vista Villas Greenwood City, Sector-46, Gurgaon, Haryana-122003, have changed my name and shall hereafter be known as Ravindra Punde. 0070691406-1

I Anil Kumar S/O-Ram Kumar Singhal R/O-D-14 Hakikat Rai-Road Adarsh-Nagar Delhi-110033.Changed My Name To Anil Kumar Singhal. 0040526607-3

I Abhinav Prabhat Sharma S/o Ajay Krishan Sharma R/o 98 Kadambari Apartment Sec-9 Rohini,Delhi 110085, have changed my name to Abhinav Sharma. 0040526570-4

I, Rangrao Singh S/o Sh. Shrichand R/o-Flat-No.B-49, Plot.No.-32, Sriram-CGHS Ltd.,Sector-4, Dwarka,New Delhi-110078. Have changed the name of my minor son Shreyansh aged 09 years and 04 months to Shreyansh Singh for all purposes. 0040526613-4

I, Ramani Mathew w/o-Karumankal Varghese Mathew R/o-Flat.No-86, Pocket-F23,Sec-3,Rohini,Delhi-110085.have changed my name to Aleyamma Abraham Permanently. 0040526607-10

I, Raghwendra Tiwari S/o Brijesh Narayan R/o House No-123, Gali No-12, A-Block, Part-2, Sonia Vihar, Sabhapur, Delhi-110094, that name of mine has been wrongly written as Bablu Tiwari in My PF and ESIC. The actual name of mine is Raghwendra Tiwari 0070691413-1

I, Radhy Shyam Mittal S/o Rameshwar Das R/o K-5/101, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi-59, have changed my name to Radhey shyam. 0040526569-1

I, Prayag Datt S/O Madhawa Nand R/O-B-1356, G.D.Colony, Mayur-Vihar, Phase-3, Delhi-110096,have changed my name to Prayag Dutt S/O Madhwanand. 0040526636-4

I, Praveen Gupta S/O Roshan Lal Gupta R/O-F-25/61, Sector-7, Rohini, Delhi-110085. Have Changed My Nameto Praveen Kumar Gupta. 0040526598-8

I, Parvesh Kumar Bharti,S/o Sh.Rampal Singh R/o Flat No.503, Pocket-2, DDA-Flats, Sector-9, Dwarka, New Delhi-110075. Have changed the name of my minor daughter Amaira aged 02-years and 02 months to Amaira Singh for all purposes. 0040526613-3

I, Mumtaz Ali S/o Late Mr. Ali Baksh R/o House No-36, Bhainser Hedi, Bhainser Heri, Basera, Muzaffarnagar, UP-251310 do hereby inform that in my documents my name is wrongly written as Mumtaz Ahmed instead of Mumtaz Ali, both are one and same person. 0040526575-1

I, Mohd Daanish Ul Hassan S/O, Ali Hasan R/o A-117/3, Near-Masjid Ashraf, Abul Fazal Enclave Part-2, Shaheen Bagh, New Delhi-110025, have changed my name to Mohd Daanish Hassan for all purposes. 0040526601-1

I, Mahesh Kumar Mahawar S/O Natthu Ram Mahawar R/O D-318, Shakurpur, J.J.Colony, Trinagar, Delhi-110034. Changed My Name To Mahesh. 0040526598-10

I, MUDIT PIYUSH UNIYAL S/o-Piyush Uniyal R/o-OC-708, Supertech-Rameshwar Orchids,H-1, Kaushambi, Ghaziabad, UP-201010 have changed my name to MUDIT UNIYAL. 0040526611-8

I, Kuldeep Singh S/o Balwant Singh R/o H.No. 718/2, Gali No.5 Punjabi Basti, Anand Parbat Miilitary Road, Karol Bagh Delhi-110005, have changed my name to Kuldip Singh 0040526567-1

I, Komal D/o Sh. Shyam Sunder Mittal R/o E-154 Krishan Vihar, Delhi-110086, have changed my name to Komal Mittal for all purposes. 0040526606-1

I, Km.Mamta Rani Jain W/O-Anil Kumar H.No-290/12, Snathan Mandir-Gali,Ganaur, Sonipat,Haryana-131101.Have Changed My Name To Mamta Jain. 0040526607-4

I, Km Huma R/o H. no. 710 G.F Haweli Azam Khan Chitli Qubar, Jama Masjid, Chandni Chowk Delhi 110006 have changed my name to Huma Khan 0070691403-1

I, Kanahaiya Kumar Jha S/O-Sarva Narayan Jha R/O-124, 2nd-Floor, Surya-Vihar Part-2,Sector-91,Faridabad, Haryana-121003Have Changed My Name To Kanhaiya Kumar Jha. 0040526607-2

I, Kajal D/o Bachchan Singh R/o 345, Sector-37, Noida (U.P.) have changed my name to Kajal Sirnit for all future purposes. 0040526581-1

I, Kailash Chandra Kanwal S/o Padma Dutt R/o-B-18 Khasra No.529/1 Block-B Aya-Nagar Phase-2.Delhi-110047.changed my name to Kailash Chandra Sanwal. 0040526611-4

I, KM.SHEFALI JAIN W/O-NITIN JAIN R/O-1/9565, GALI.NO.3 PRATAPPURA ROHTASH-NAGAR WEST/SHAHDARA DELHI-110032. Have changed my name to SHAIFALI JAIN. 0040526633-7

I, Juveriyah Ghous W/o-Sarmad Rana, R/o-C-125 Johri-Farm, Jamia-Nagar, Delhi. Have changed my name to Juveriyah Rana. 0040526633-4

I Pardhuman Raj Puri S/O-Tilak Raj Puri R/O-D-51,Gujranwala-Apartments, J-Block, VikasPuri, New-Delhi-110018. Have Changed my name to Pardhuman Puri. 0040526633-3

I Mohd Ajaz S/o Mohd ILyas R/o 1501, Gali Kotana, Sui walan Darya Ganj, New Delhi-2 have Changed my Name From Mohd Ejaz to Mohd Ajaz for All Future Purposes. 0040526562-1

I Bipini Kumar Bhuyan S/o Bidyadhara Bhuyan R/o SM 76 Shri Shyam Niwas Samalaka N.D-110037,have change my name to Bipin Kumar Bhuyan 0040526570-2

व्यक्तिगत

I, Jetander Dhiman S/O Darshan Kumar R/O-Gp-1,Pitampura,Delhi-110034. Have Changed My Name To Jitender Kumar. 0040526598-3

I, JAFRA. H.NO.L 1ST A 29/13 GF SANGAM VIHAR NEW DELHI. have changed my name to ZAKARA BEGUM 0070691402-1

I, Iram Salim,W/o Salahuddin R/o-H.No.C-1st/10-B, Raju-Park Khanpur,New-Delhi-110062,that inadvertently in my son's MCD-birth record/School record/Central Board of Secondary-Education,Examination in the year-2019,issue by CBSE.My name has been wrongly-written as Iram Salahuddin instead of Iram Salim,which may be amended accordingly. 0040526607-8

I, Pooja Pahwa W/o Sushil Kumar R/o-Saifpur Firojpur Bahsuma Meerut,have changed my name Urmil Pahwa. 0040526598-2

I, Inderpreet S/o-Virender Singh R/o-A-7/111-112, Third-Floor Sector-17 Rohini Delhi-110089. Changed my name to Inderpreet Singh. 0040526633-1

I, Chhavi W/o-Ashesh Kumar R/o-403B Gulmohar-Greens Mohan-Nagar Ghaziabad. UP-201007. Have changed my name.from Chhavi to Chhavi Kumar. Date-31-12-2019.Vide-affidavit. 0040526613-10

I, Chandni Kumari D/o Sh. Dharam Raj Sah W/o Sunny Kumar Shaw R/o 18/17A, Goods Shed Road, Titagarh (M), North 24 Paraganas, Titagarh, West Bengal-700119 have changed my name and shall hereafter be known as Chandni Kumari Sah in future for all purposes. 0070691404-1

I, Bishamber Singh S/O Ram Ji Dass H.No-H-10, Galino-14, New GobindPura, Krishna-Nagar, Delhi-110051.Have Changed My Daughter Name From Harshita Manaktala (Arora) To Harshita Kaur. 0040526613-12

I, Bishamber Dass S/O Ram Ji Dass H.No-H-10, Galino-14, New GobindPura,Krishna-Nagar, Delhi-110051.Have Changed My Name To Bishamber Singh. 0040526613-11

I, Baljit Singh S/O Gurinder Singh R/O-Flat No.39, Gh-14, Paschim-Vihar. Delhi-110087. Have Changed My Name To Baljeet Singh. 0040526598-9

I, BIPASHA SOM W/O-Saurabhkumar Gune R/OH.No.26,Block-C, Gautam-Buddha University, Greater-Noida-201312, changed my name to BIPASHA SOM GUNE. 0040526633-5

I, Ashwani Chopra S/o V.K Chopra R/o H.No-302, E-1, Gardenia Glamour Sector-3 Vasundhra Ghaziabad, U.P-201012, have changed my minor son name from Nihal Chopra to Nihaal Chopra. 0040526572-1

I, Arushi D/o-Gopal Bandhu R/o-113, G_block phase-1, Ashok vihar Delhi-110052, have changed name Arushi Bandhu for future. 0040526636-1

I, Anupam S/o Shri Chand Jee R/o House No. 3238, 1st Floor, Backside, Block-C,Green Field Colony,Faridabad-121001 have changed my name to Anupam Raina for all purposes. 0040526558-1

I, Anu Meha Tyagi D/o Bhuvnesh Kumar Tyagi R/o A307 Nav Nirman CGHS Plot 6A, Sector-2, Dwarka, have changed my name to Annumeha Tyagi. 0040526564-1

I, Anil Tyagi S/o Randhir Singh R/o H.No.220, Village & Post Office-Rai, District-Sonipat, Tehsil-Sonipat, Haryana, Pin Code-131029, have changed my name to Anil Kumar for all purposes. 0040526591-1

I, Anil Kumar S/O Ramesh Chandra R/O Nai Abadi, Sevla Jat, Mandir Wali Gali,Agra, U.P-282001,Changed My Name To Anil Khitauliya. 0040526633-11

I, Ajitpal Singh S/o Sukha Singh R/o B-102, Indra Marg, Mandawali, Delhi-110092, have changed my name from Ajitpal Singh Bhullar to Ajitpal Singh for all future purposes. 0040526554-1

I, Abhishek Jadon S/o-Kamlesh Jadon R/O-Plot.No-35A, Ashirwad Apartment, Gali.No-9, Sadhnagar Palam-Colony Delhi-110045. Have Changed My Name To Abhishek Singh Jadon. 0040526613-5

I, Lovleen Kaur W/O Sunil Sethi R/O-1235, II-Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009. Have Changed My Name To Lovleen Sethi. 0040526598-6

I, Aasim Rahman S/o Aqilur Rahman R/o D-238, Sector-47, Noida (U.P.) have changed my name to Asim Rahman for all future purpose. 0040526581-2

I Baby W/o Makkhan Singh R/o-A-113 Uday-Vihar Part-1 Nilothi-Extn Nangloi Delhi have changed my name to Baby Kaur. 0040526611-1

I Asif Baig S/O Mirza Naseer Baig R/O-1350 Madarasa-Shah Abdul-Aziz Kala-Mahal, Daryaganj,Delhi-110002.Have Changed My Name To Mirza Asif Baig. 0040526607-6

I Archna S/o Parveen Chandra, R/o H.No.C - 38 C, Gali No. 4, Patel Garden, Kakrola, Delhi-78. havechanged my name to Archna Malhotra for all uses. 0040526570-1

I, Anjana Aggarwal W/o-Vijender Aggarwal R/o-C-6 Ganesh-Nagar Pandav-Nagar Complex.Delhi-110092.have changed my name to Neeru Aggarwal,for all future purposes. 0040526611-3

I, MOHD AMEENULLAH KHAN S/O-HAFEEZULLAH KHAN R/O-850 KATRA-HIDDU FARASH-KHANA DELHI-110006. Have changed my name to AMEEN ULLAH KHAN. 0040526633-8

I Vivek Kumar Ashok Kumar S/O-Ashok Kumar Gupta R/O-A-603, Riverview-Apartment, Mayur-Vihar Ph-1, Delhi-110091Have Changed My Name To Vivek Kumar. 0040526598-7

I Vijendra S/O-Sumer Singh R/O-Rz-A-147,Block-A, Gulab-Bagh, Uttamnagar, N.Delhi-110059.Have Change My Name Vijendra To Vijendra Sindhu. 0040526607-5

I Sonu Alias Sonia Kanwar D/o Sawai Singh and W/o Devendra Singh Bhati R/o Shaitan Singh Nagar, Jodhpur, Rajasthan-342308, have changed my name to Sonia Kanwar 0070691416-1

I Shobha W/o DIN Dayal Jadli R/o-H.No-J-3/158 DDA-Flats Kalkaji South Delhi,have change my name Shobha Jadli for all purposes 0040526555-1

I, Hari Chand Aggarwal S/o Radhey Shyam Aggarwal R/o A-2/241-242, Sector-8, Rohini, Delhi-110085 have changed my name from Hari Chand Gupta to Hari Chand Aggarwal. 0040526303

खोया+पाया

Lost original Allotment cum Demand Letter, Handing over possession,Site Possession Slip and Payment challans for property No F-208,Vikaspuri, New Delhi-110018 beloning to Dalip Singh Sallan S/o Niranjan Singh.FIR lodged vide LR No.10036/2020 dated:3-1-2020.Founder inform at : 9810154351 0040526556-1

I, BHANU Kumar S/o Premnath kharwar R/o-A-100 harinagar ext-II. Badarpur N.D-44.have lost my original-certificate class-10th(2011) Roll no-8758325 class-12th-(2013) Rollno-9719677 CBSE-Delhi. 0040526633-9

Lost and Found

I, Neeraj Sharma S/O Late Sh. VK Sharma r/o F-36-B /469, Gali no. 2 , Mangal Bajar, Laxmi Nagar Delhi -92 have lost my Voter ID card and original will dt. 04.08.1988 of my Maternal Grandfather, Lt. Sh. Prem Narayan Sharma, LR NO. 15994/ 2020, if found pls Contact me: 9868317010.

PUBLIC NOTICE

My clients Santosh kumar S/o Sheeru Mal and Veena Kumari W/o Santosh Kumar Both R/O H.No. 8, Block 10, Dakshin Puri Extension, New Delhi-110062 has disinherited their son Sumit, his wife namely Priya and Grandson namely Vivan from all their moveable/ immoveable properties and family due to their quarrelsome/ disobedient conduct/ misbehaviour and has served the relation, in future whosoever any transaction with them, they will themselves be responsible.

Sd/-
Mukesh Birla and Associates (Advocate)
Chamber No.343, Lawyers Chamber, Saket Court Complex, New Delhi-110017 Mob 9810162413

PUBLIC NOTICE

This is here by inform to general public at large that my client Mrs. Renu Gupta W/o Mr. Sanjay Gupta, R/o C-10, Chander Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201011, is willing to purchase property measuring 58 sq yds situated at IX/ 158 and IX/158-A, Shyam Block, Kailash Nagar, Delhi-110031, built upto last story from the owner Mr. Sumit Kumar S/o Vipin Kumar, R/o IX/3653, Gali No.1, Dharampura Gandhi Nagar, Delhi-110031. The original documents of the above said property mentioned hereunder are misplaced/ not traceable:
Sale Deed: Dated 12-07-2012, Favour of Sumit Kumar and other, Registration no: 13733, Book No: 6534, Page No: 35 to 46, Sub Registrar VIII, New Delhi. **Registered Will:** Dated 11-12-2000, Favour of Guljari Lal, Registration no: 9444, Book no: III, Vol no: 154, on pages 52 54, Sub Registrar VIII, New Delhi. **Notarized GPA, Affidavit, Receipt and Agreement to Sale:** Dated 24-04-1992, Favour of Gobind Ram Wadhwa, 45 Yard. **Registered Will:** Dated 24-04-1992, Favour of Gobind Ram Wadhwa. **Notarized GPA, Affidavit, Agreement to Sale:** Daled 04-10-1979, Favour of Dharampal and Om Prakash Batra **Registered Receipt:** Dated 04-10-1979, Registration no: 1190040, Book No: 583, Khata No: 4, Page No: 52, Favour of: Dharampal and Om Prakash Batra, Sub Registrar IV, Delhi. **Notarized GPA, Affidavit, Agreement to Sale and Receipt:** Dated 26-03-1975, Favour of Narayan Das Chandra **Registered Sale Deed:** Dated 23-11-1954, Favour of Santosh Rani, Registration no: 9802, Book no: 1, Vol no: 2908, Page no 18 to 22, Sub Registrar, Delhi.
If any person find the said documents then return the same to my client and if person having any type of claim/right/interest over the said property may inform to my client in writing within 30 days form the date of publication of this public notice, failing which it shall be presumed that the said property is free from all type of encumbrances, lien etc and the certified copy issued by the sub-registrar shall be treated as original sale deeds in future.
Further no person should enter into any transaction of whatsoever nature in respect of the subject property, in case after 30 days of this public notice any person enter into any agreement, or transaction with respect to the above said property with any person, the same shall not binding upon my client and would be entirely their own risk, cost and consequences.
ANKIT GUPTA & ASSOCIATES
ADVOCATE
Lawyers Chambers Karkardooma Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

It is notified for the information of general public that my clients (1) Shri Om Parkash Sharma S/o Late Nathu Ram Sharma and (2) Smt. Manju Sharma W/o Shri Om Parkash Sharma both R/o 111/4-A, Gali No. 24, Vashisht Park, Pankha Road, New Delhi-110046 have severed all their relations and connections with their son Shri Amit Sharma, his wife Smt. Rakhi Sharma and his son Sourish Sharma because they are out of control of my clients and have debarred them from their all movable and immovable properties.
Any body deals with them at his/her/their own risk, cost and expenses. My client shall neither liable nor responsible for their acts, deeds and things under any circumstances.
Sd/-GAUTAM KUMAR SINGH, ADVOCATE
SR IInd, B Campus, Janakpuri, N.Delhi-58

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients **Rajender** s/o Leela Ram & **Smt. Sona** w/o Rajender, R/o 10578/34, Street No. 2, Near Mata Temple, Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055 **disowned their son Jitendra and his to be wife or their to be children,** from their all movable immovable properties as he has abusing and quarreling with my clients and other family members and my clients have broken all relations from him and my clients have no concern with any liabilities or any transactions belongs to him in any manner.
Sd/-
G.L. GOSWAMI (Advocate)
3530, QUTAB ROAD, DELHI-110006

PUBLIC NOTICE

Please take notice that my client Vimlesh, wife of Late Sh. Puran Singh, R/o H. No. 667, Mukim Pura, Subzi Mandi Delhi due to the rude, intolerable, irresponsible and unruly behavior disown her son Sonu and his wife Smt. Pooja from her entire moveable and immovable properties. If anyone has any transaction or relations with her above said son, he will be himself responsible for the acts and omissions and any damage caused to him by said Sonu or his wife Ms pooja by any such transaction.
My client shall not be held liable for any kind of acts or omission, if any, committed by them at any point of time hereinafter and any person dealing with him in any respect whatsoever shall do so at his/her/their own risk.
UMESH SINGH (Advocate)
Ch. No. B-13, B.G.S. Block, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

This is for the information of general public that my client(s) (1) SH NIRANJAN S/o SH ZILE SINGH, (2) SMT SHEELA W/o Sh NIRANJAN Both R/o B-58, Gram Sabha Colony, Chander Vihar, Nilothi Extn, New Delhi-110041, have severed all relations and debarred their son namely, Sh PURAN SINGH along with his wife namely SMT Baby from all his/her movable and immovable properties with immediate effect due to personal reasons. Anybody dealing with them shall do so at his/her own risk, cost and responsibilities thereto.
Praveen Rastogi (Advocate)
Enrol No D/244/06

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Pancham Lal S/o Late Sh. Pitai & Smt. Manju Bala W/o Sh. Pancham Lal both R/o House No. 53, Gali No. 3, Kotla Village, Mayur Vihar-I, Delhi-91 have severed their relations in all respect with their son Sh. Rohit Kumar & his wife Smt. Priyanka, because they are out of my client's control & always threaten & fight with my clients with their oblique motive & thus now my clients have debarred them from their entire movable & immovable properties and shall not be responsible for any act(s)/ommission(s) done by them in future in any manner
Adv. Shantanu Bhardwaj
J-3, Park Street, Delhi-91

Public Notice

It is for general information that I Firoj Pal S/o Gule Ram residing at G-40,INA Colony, New Delhi-110023 and Permanent Address at 136/29, Kasampur,Tel Mandi,Kanker Khera,Meerut-250001 UP declare that Name of mine been wrongly written as Firoz Pal in my Service book record. The actual name of mine is Firoj Pal respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

This General Public is hereby informed that my clients Sh. Puran Chand Ahuja S/o Sh. Radhey Shyam & Smt. Mamta Rani W/o Sh. Puran Chand Ahuja R/o L-22/1, 23/1, Second Floor, Vijay Vihar, Phase-II, Delhi-110085 have disowned and served all their relation from their son Mohit Ahuja and his wife Jyoti Bhola and his daughter debarred them from all their movable and immovable properties/assets and their personal life forever due to their bad behavior and bad intentions and they are not obedient of my clients.
Any body dealings with them do at its own risks, my clients shall not be responsible for any kinds of acts.
Any dealing made by his previously shall be the sole responsibility of him.
Sd/-
SANJEEV JAIN (Advocate)
Enrl. No . D-226/91

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my clients Smt. Neeru Narang and her husband Sh. Inder Mohan Narang, R/o 6/293, Geeta Colony, Delhi-31 have severed all their relations with their son namely Sahil Narang and his wife Saru Khosla, they are not in my clients' control. My clients have disown Sahil Narang and Saru Khosla from all their moveable and immovable properties with immediate effect. In case any kind of misconduct, fighting, legal activity and transaction done by them my clients shall not be responsible for their any acts indeed.
Madan Gopal Vacher, Advocate
Ch. 234, Civil Wing, Tis Hazari Court, ND

PUBLIC NOTICE

My client Smt. NitiSehgal W/o Sh. PuneetSehgal R/o H. No. 07, Road No 13, Punjabi BaghExtn., New Delhi had lost her property documents i.e "Original sale deed executed by Sh. Amrit Pal S/o Sh. Valati Ram (1/2nd share of Basement Floor) in favour of Sh. Prashant Bajaj S/o Sh. HariKishan Bajaj, which is registered as Doc No. 12490, Addl. Book No. I, Vol No. 9766, Pages 190 to 195, Dated 18.12.2000 &Original sale deed executed by Sh. Rajinder Mittal S/o Sh. KunjLal (1/2nd share of Basement Floor) in favour of Sh. Prashant Bajaj S/o Sh. HariKishan Bajaj, which is registered as Doc No. 12491, Addl. Book No. I, Vol No. 9767, Pages 1 to 6, Dated 18.12.2000" of basement floor of property bearing no 31, west avenue road, Punjabi Bagh West, New Delhi, and she had filed a police complaint vide LR No. 15187/2020 dated 05.01.2020. Any person claiming any right, title & interest in the said property on basis of lost title documents should intimate the same to undersigned with documentary proof within 15 days from the publication of this notice at the address provided hereunder. In case no objections are received within the aforesaid time, it shall be presumed that Mrs. NitiSehgalW/o Sh. PuneetSehgal is right full owner of said property.
Amrendra Nath Shukla (Advocate)
Ch-No 717, 7th Floor, Rohini Courts, Delhi-85

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

दिल्ली में हल्की बारिश पहाड़ों में बर्फबारी

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में सोमवार को शीतलहर का प्रकोप जारी रहा और कश्मीर घाटी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई। दिल्ली में शाम के समय हल्की बारिश हुई तथा अगले 24 घंटे में और बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानियों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दिन में आकाश में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि हालांकि अगले दो-तीन दिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश के कारण तापमान में कमी आने की संभावना है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो साल की इस अवधि का सामान्य तापमान है। वहीं, शहर का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। इसने कहा कि उत्तर भारत में सात से नौ जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना है जिससे दिल्ली में तापमान में गिरावट आएगी।

कश्मीर में श्रीनगर और अन्य हिस्सों में 2020 की पहली बर्फबारी हुई। वहीं, ताजा बारिश की वजह से समूची घाटी में रात के तापमान में सुधार हुआ। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर शहर सहित समूचे कश्मीर में सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश होती रही। भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि श्रीनगर से जाने वाली और श्रीनगर आने वाली उड़ानें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी हैं। श्रीनगर में बीती रात तापमान शून्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा हिमपात हुआ और हाड़ कंपा देने वाली सर्दी जारी रही। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में रुक-रुककर बारिश हुई। बदरीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी सोमवार की सुबह ताजा बर्फबारी हुई। वहीं, निचले इलाकों में बारिश हुई। गंगोत्री, यमुनोत्री, हारसिल, हर की दून में भी बर्फ गिरी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में बारिश हुई। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में रातभर हुई बारिश के बाद शीतलहर जारी रही। न्यूनतम तापमान में हालांकि सामान्य से कई डिग्री अधिक वृद्धि देखी गई। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान में सामान्य से छह डिग्री अधिक की वृद्धि हुई और यह 11.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, राजस्थान में भी शीतलहर जारी रही।

मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामला : 17 मामलों में जांच पूरी

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न के 17 मामलों में जांच पूरी हो गई है और जिलाधिकारियों सहित संलिप्त सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दायर कर दी गई है।

सुप्रीम

'नई उम्मीद की दुनिया' का लोकार्पण और 'हिंदी साहित्य ज्ञानकोश' पर परिचर्चा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेला में सोमवार को वाणी प्रकाशन के स्टॉल पर भारतीय भाषा परिषद और वाणी प्रकाशन की ओर से आलोचक और विद्वान प्रो शंभुनाथ द्वारा संपादित सात खंडों में 'हिंदी साहित्य ज्ञानकोश' पर परिचर्चा की गई। साथ ही साहित्य अकादेमी के उपाध्यक्ष एवं लेखक माधव कौशिक की पुस्तक 'नई उम्मीद की दुनिया' का लोकार्पण हुआ।

पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर जवरीमल्ल पारिख, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह, वरिष्ठ आलोचक एवं कला विशेषज्ञ ज्योतिष जोशी, आलोचक व प्रोफेसर डॉ विनोद तिवारी, कथाकार भगवानदास मोरवाल, धीरेंद्र यादव और गोपाल प्रधान उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत में वाणी प्रकाशन की निदेशक अदिति माहेश्वरी गोयल ने सभी अथितियों का स्वागत किया। जवरीमल्ल पारिख ने इस हिन्दी साहित्य ज्ञानकोश के प्रकाशित होने की बहुत खुशी जताई।

गोपाल प्रधान ने इस 'हिंदी साहित्य ज्ञानकोश' पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पाठकों को अनौपनिवेशीकरण की ओर ले जाता है। भगवानदास मोरवाल ने ज्ञानकोश के प्रकाशन पर खुशी और गौरव जताया। ज्योतिष जोशी के अनुसार यह ज्ञानकोश हिंदी में एक बड़े अभाव की पूर्ति करता है।

जवरीमल्ल पारिख ने बताया कि हिंदी साहित्य ज्ञानकोश का उद्देश्य हिंदी साहित्य प्रेमियों और अध्ययनकर्ताओं के लिए वस्तुपरक और सटीक जानकरी उपलब्ध कराना है। शंभुनाथ ने साहित्य शब्द का ज्ञानकोश से संबंध बताया कि साहित्य संवेदना के सभी विषयों को अपने अंतर्गत समेटता है। सभी अतिथियों ने माना कि ज्ञानकोश का महत्व, 'बौद्धिकता की दरिद्रता' और 'मिथ्या चेतना' की खत्म करने में है। धीरेंद्र यादव, गोपेश्वर सिंह, विनोद तिवारी, भगवान दास मोरवाल ने साहित्य शब्द का ज्ञान कोश से संबंध बताया, कि साहित्य संवेदना के सभी विषयों को अपने अंतर्गत समेटता है।

पर्दे की बायोपिक्स की दास्तां बयां करेगी फजले गुफरान की किताब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

विश्व पुस्तक मेले के तीसरे दिन सोमवार को हॉल न. 12 ए में यश पब्लिकेशन के स्टॉल पर लेखक फजले गुफरान की दूसरी पुस्तक 'बॉलीवुड बायोपिक्स आधी हकीकत बाकी फसाना' का लोकार्पण हुआ। यश पब्लिकेशंस से प्रकाशित यह पुस्तक बायोपिक फिल्मों की मुकम्मल पड़ताल करती है।

इस मौके पर लेखक फजले गुफरान ने कहा कि मैं एक एंटरटेनमेंट पत्रकार रहा हूँ और मेरी एंटरटेनमेंट में हमेशा से दिलचस्पी रही है। मेरा यह सौभाग्य है की हिंदी सिनेमा के सौ वर्षों से अधिक के सफरनामे में जो कुछ देखा और महसूस किया उसका इस पुस्तक में पूरे विस्तार से जिक्र कर पाया हूं। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार व फिल्ममेकर अमिताभ परासर ने फजले गुफरान को उनकी दूसरी पुस्तक के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अनीता वर्मा, लेखक राजीव रंजन प्रसाद मौजूद रहे।

द बुक लाइन की प्रोत्साहन करने वाली पुस्तकों का लोकार्पण

नई दिल्ली। पुस्तक मेले में द बुक लाइन प्रकाशन के स्टॉल पर आरजेएस की 122वीं सकारात्मक बैठक का आयोजन प्रकाशक सुनील भनोट ने किया। इस बैठक में द बुक लाइन की तीन नई पुस्तकों 'सफलता की ऊंची उड़ान', 'प्रकृति की ओर', 'प्रकृति का विज्ञान' और इसके अलावा दो अंग्रेजी की नई पुस्तकें 'टॉर्चबियरर्स 51 रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज' और 'यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स' का लोकार्पण मुख्य अतिथि नेशनल बुक ट्रस्ट के उप निदेशक राकेश कुमार, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव डॉ. शिव शंकर अवस्थी की उपस्थिति में किया गया। (जसं)

आन्ध्रा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) आंचलिक कार्यालय
प्लाट नंबर 23, द्वितीय तल, अग्रवाल कॉरपोरेट टावर, 23, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008,
ई मेल: zodel@andhrabank.co.in, फोन : 011-25713643

लॉकर अवक्रेताओं को बकाया राशि के भुगतान हेतु लॉकर तोड़ने से पूर्व अंतिम सूचना

यह सूचना हमारे उन मूल्यवान संरक्षकों के लिए है जिनके द्वारा बैंक के विभिन्न शाखाओं में किराए पर लॉकर लिए गए है तथा बैंक के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन किया गया है । आर बी आई / बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लॉकर धारकों को बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज पतो पर सूचनाएं भेजी गई, जो कि इस टिप्पणी के साथ वापस आ गई कि पता खोजा नहीं जा सका या वह व्यक्ति उस पते पर नहीं रहता है । लॉकरधारकों को बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज उनके पतों पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का प्रयास भी निष्फल रहा और उनके वर्तमान और –ठिकाने भी अनिश्चित नहीं किए जा सके हैं । अतः अब कोई विकल्प न होने की स्थिति में यह सूचना निम्नलिखित व्यक्तियों को इसलिए भेजी जा रही है ताकि लॉकर धारक संबन्धित शाखा से संपर्क करें तथा बैंक की बकाया राशि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अवधि से भीतर चुकता कर दें, जिसमें असफल रहने पर बैंक उनकी लागत, जोखिम जिम्मेदारी पर लॉकर तोडकर खोलने की कार्यवाही आरंभ करेगा और बैंक अपने किराए लागतों तथा अन्य प्रभारों की वसूली के लिए इसके अतिरिक्त अपने ग्रहणाधिकार का प्रयोग करेगा ।

क्र. स.	शाखा	लॉकर धारक का नाम	लॉकर नंबर	बकाया किराया जब से
1	राजधानी एन्क्लेव	सुभाष चन्दर कटारिया एवं आशा रानी	A5/0640249	2012
2	राजधानी एन्क्लेव	अशोक कुमार एवं सुशीला देवी	A3/0120145	2015
3	राजधानी एन्क्लेव	आत्म प्रकाश सेठी एवं कला सेठी	A4/0300215	2010
4	राजधानी एन्क्लेव	दीपक प्रकाश अग्रवाल एवं मीतीं अग्रवाल	A10/6040619	2015
5	राजधानी एन्क्लेव	प्रेम प्रकाश एवं कुसुमलता	A2/0610015	2010
6	राजधानी एन्क्लेव	राज कुमार आर्य एवं सविता आर्य	A10/6640604	2014
7	राजधानी एन्क्लेव	मीता सिन्हा एवं एन के सिन्हा	A4/0350220	2010
8	मॉडल टाउन	नितिन मित्तल	G1/280080	2013
9	आर के पुरम	बलदेव अग्रवाल एवं प्रभा अग्रवाल	A1/407	2014
10	आर के पुरम	अनिल कुमार कोहली	A1/286	2014
11	आर के पुरम	कुलदीप कुमार धर	A1/21	2014
12	आर के पुरम	शंकर एवं एसोसिएट्स	A1/144	2013
13	आर के पुरम	पवन कुमार अरोड़ा	A1/13	2014
14	आर के पुरम	महिपाल सिंह	B2/428	2011
15	आर के पुरम	विदुरमुडी राजश्री	A/412	2014
16	वसंत कुंज	मयंक मौली सिंह एवं ऋचा सिंह	B2/290026	2016
17	प्रीत विहार	नेहा माहेश्वरी	A1/0190029	2011
18	प्रीत विहार	मदन लाल मल्होत्रा	A1/430053	2010
19	प्रीत विहार	आशीष आहूजा	A1/0580068	2014
20	प्रीत विहार	अल्का जैन	A1/0470057	2014
21	प्रीत विहार	दीपक सिंघल	A1/0690004	2017

स्थान: नई दिल्ली
ह० / आंचलिक प्रबंधक
आन्ध्रा बैंक

इंडियन बैंक Indian Bank
बी1 ब्लाक, 3, घण्डी रोड, ब्लाक बी, यमुना विहार, शाहदरा, दिल्ली-110053
विक्रय सूचना

श्री अंकित कुमार (कर्जदार) तथा श्री अंकुर पांचाल (जमानती)

विषय : इण्डियन बैंक यमुना विहार शाखा के साथ ऋण खाता सं. 6510974414

श्री अंकित कुमार [(इसके पश्चात इसे पार्टी कहा जायेगा)] ने इण्डियन बैंक, यमुना विहार शाखा (इसके पश्चात इसे बैंक कहा जायेगा) से साख सुविधाएँ ग्रहण कीं, जिसके पुनर्भुगतान अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति(यों), इसके बाद इसे ''सम्पत्तियों'' कहा जायेगा, के बंधक/दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत भी हैं। श्री अंकित कुमार इण्डियन बैंक को बकाया भुगतान करने में असफल रहे। अतः दिनांक 31.01.2018 को बैंक के दायित्वधारी श्री अंकित कुमार तथा श्री अंकुर पांचाल को भावी ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित रु. 5,56,589/- (रुपये पाँच लाख छप्पन हजार पाँच सौ नवासी मात्र) (15.01.2018 तक) की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहते हुए प्रत्यास्मरण सूचना निर्गत की गयी थी। श्री अंकित कुमार तथा श्री अंकुर पांचाल 31.01.2018 की प्रत्यास्मरण सूचना के बावजूद भुगतान करने में असफल रहे। कृपया ध्यान दें कि बैंक द्वारा अनुसूचित उल्लिखित आस्ति/यों का विक्रय ई–नीलामी द्वारा 29.01.2020 (तिथि) को 11 बजे पूर्वा. से 1 बजे अप. (आवश्यकतानुसार बन्द होने से पूर्व अन्तिम 5 मिनटों में संविदा की स्थिति में स्वतः विस्तार उपबन्ध सहित) किया जायेगा तथा संविदा हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा.लि. गुरुग्राम, हरियाणा की वेबसाइट http://www.bankeauctions.com के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संविदा'' द्वारा सम्पन्न की जायेगी। नीलामी संविदा प्रपत्र तथा संविदा प्रपत्र के संलग्नक विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु सम्पर्क व्यक्ति : श्री विनोद चौहान सम्पर्क नं. 9813887931, ई–मेल आईडी : Delhi@c1india.com, support@bankeauctions.com. संविदा वृद्धि हेतु राशि रु. 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) होगी। प्रतिभूति आस्तियों के विक्रय हेतु आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अनुसूची में निर्धारित के अनुसार नियत है। बिक्री उसी व्यक्ति को की जायेगी जो उच्चतम प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा बशर्ते इण्डियन बैंक की पुष्टि हो। बैंक के पास बिना कोई कारण बताये संविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। सम्पूर्ण विक्रय मूल्य डीडी/बीपीओ के माध्यम से विक्रय की तिथि पर तुरन्त अदा किया जाना है। आस्ति(यों) का निरीक्षण इच्छुक क्रेता(ओं) द्वारा अपने व्यय पर 24.01.2020 को 10 बजे प्रातः से 4 बजे सायं के बीच किया जा सकेगा। नियम एवं शर्तों सहित निविदा/संविदा प्रपत्र इण्डियन बैंक, बी–1/3, यमुना विहार, दिल्ली–110053 से प्राप्त किया जा सकता है तथा निविदा/संविदा प्रपत्र 17.01.2020 (तिथि) से 28.01.2020 (तिथि) को 10 बजे प्रातः से 4 बजे के बीच उपलब्ध होंगे। निर्धारित रीति से ईएमडी सहित समस्त आवश्यक नियमों के अनुपालन सहित निविदा/संविदा जमा करने हेतु अन्तिम तिथि 28.01.2020 को 4 बजे अप. तक है। निविदाओं के साथ डीडी/बीपीओ/आरटीजीएस/एनईएफटी/एकाउन्ट ट्रांसफर तथा/अथवा धन अन्तरण के किसी अन्य स्वीकार्य माध्यम सहित ईएमडी बिना समय गँवाये जमा करनी होगी जिसमें असफल रहने पर निविदा अयोग्य हो जायेगी।
ऑन लाइन धन अन्तरण हेतु नोडल बैंक खाता सं./आईएफएससी कोड आदि निम्नवत हैं :

क्र.सं.	नोडल बैंक खाता सं.	आईएफएससी कोड
1	94380027632	IDIB000Y010

- नीलामी/संविदा में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को अपने स्वीकृत केवाईसी दस्तावेज जमा करने होंगे।
- विक्रय बैंक की पुष्टि का विषय है।
- विक्रय ''जहाँ है जैसे है तथा जो है यही है'' आधार पर किया जायेगा और बैंक नीलामी किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता और विशिष्टि के विषय में कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। यह सफल संविदाकार का उत्तरदायित्व है।
- यह सूचना बैंक के पास उपलब्ध किसी अन्य उपचार के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।
- आस्ति के सफल क्रेता को राज्य/केन्द्र/स्थानीय प्रयोज्य कानूनों के अनुसार अपने पक्ष में पंजीकरण के अन्तरण हेतु देय समस्त प्रभारों/व्ययों/शुल्क/करों का वहन करना होगा।

आस्ति(यों) की अनुसूची

क्र.सं.	कर्जदार का नाम	आस्ति(यों) का विवरण	*आरक्षित मूल्य	ईएमडी की राशि
1	श्री अंकित कुमार	हुंडई ग्रैण्ड आई10 मैग्ना 1.2 वाहन, चार पहिया डीएल7सीएम6598	रु. 3.40 लाख	रु. 0.34 लाख

*आरक्षित मूल्य विक्रय की तिथि पर आस्ति के मूल्य पर निर्भरता के अनुसार परिवर्तित हो सकता है।

अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन बैंक

वसूली अधिकारी–II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

आर.सी. सं. 260/2017 बिक्री उद्घोषणा

बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स गोल्फ टेक्नोलॉजीज (प्रा.) लि.
ऋण की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

सीडी #1 **मैसर्स गोल्फ टेक्नोलॉजीज (प्रा.) लिमिटेड**
एफ –90/4,दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस – I, नई दिल्ली –110020
इसके अलावा: 104, पहली मंजिल, वीटीएन स्क्वायर, अरिहत बिल्डिंग, टी नगर, चेन्नई–600047
इसके अलावा: 415–416, चौथी मंजिल साकार – II, टाउन हॉल के सामने, न्यू एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन, आश्रम रोड, अहमदाबाद –380006
इसके अलावा: दूसरी मंजिल, कार्यालय नंबर 3 और 4, अत्तूर चैम्बर्स, मोलेदिना रोड, एसजीएस मॉल के सामने, पुणे कैंप, पुणे –411001
इसके अलावा: ए–408, एमआईडीसी, टीटीसी, औद्योगिक क्षेत्र, महापे, नवी मुंबई
इसके अलावा: भूतल, यूनिट नंबर R01, R03 और R10, गामा टॉवर, सिग्मा सॉफ्ट टेक पार्क, वरथल्ली, वरथुर रिंग रोड, वरथुर कोडी के पास, #7, व्हाइटफील्ड, मेन रोड, बैंगलोर

सीडी #2 **श्री दीपिन्दर सिंह**
निदेशक/गारंटर
मकान नंबर 1149, सेक्टर –21 ए, गुड़गांव, हरियाणा –122016
इसके अलावा: बी –303, सनश्री एमरॉल्ड, एनआईबीएम रोड, पुणे –411048

सीडी #3 **श्री संदीप सागर**
निदेशक/गारंटर
जी –3/9, दूसरी मंजिल, मालवीय नगर, नई दिल्ली –110017
इसके अलावा: मकान नंबर 6297, ब्लॉक नंबर 6, गली नंबर 4, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली –110005

सीडी #4 **मैसर्स सीडर होस्पिटेलिटीज (प्रा.) लिमिटेड**
गारंटर
जी.के. हाउस –187 ए, फ्लैट नंबर 102, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली –110065
इसके अलावा: इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर 51, फेस– I, इंडस्ट्रियल एरिया, यू.टी, चंडीगढ़

चूंकि पीठासन अधिकारी, ऋणी वसूली अधिकरण–II द्वारा वर्णित वसूली प्रमाणपत्र 260/2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार **रू. 36,15,39,997/– (रूपए छत्तीस करोड़ पंद्रह लाख उन्ध्तालीस हजार नौ सौ सत्तानवें मात्र)** की राशि आपके पास पीठासन अधिकारी, ऋणी वसूली अधिकरण–II द्वारा जारी बोली वसूली प्रमाणपत्र ओए नं. 58/2016 के अनुसार बकाया है आवेदक **रू. 36,13,89,997/– (रुपए छत्तीस करोड तेरह लाख नवासी हजार नौ सौ सत्तानवें मात्र)** के साथ 04.01.2016 की तिथि से रू. 1,50,000/– लागत के साथ वसूली की तिथि तक आगे ब्याज 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष से आप सभी सीडी से संयुक्त रूप से और अलग–अलग की वसुली करने का हकदार है ।

2. और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित वसूली प्रमाणत्र के सापेक्ष में अनुसूचि में वर्णित सम्पत्ति की ब्रिकी के आदेश दिये है।

3. एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में **12.02.2020 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे** के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई–नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली **"ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली"** द्वारा मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए–804, वॉल स्ट्रीट– I, ओरिएंट क्लब के सामने गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद––380006 दूरभाषः 079–61200520 और 6351896834 ईमेलः gujarat@auctiontiger.com, संपर्क व्यक्तिः श्री कुशल कोठारी, मोबाइल नं. –08980690773, ईमेलः kushal@auctiontiger.net और श्री राम शर्मा, मोबाइल नं. 6351896834/ 079–61200595, लैंड लाइन नंबर 07961200594/538/596, ई–मेलः support@auctiontiger.net और delhi@auctiontiger.net के द्वारा की जाएगी।

4. उपरोक्त नामित सीडी के नीचे अनुसूचि में वर्णित सम्पत्ति की ब्रिकी जाएगी और कथित सम्पति पर देनदारियां एवं दावें जिनके बारे में अब तक पता चला है उन्हें प्रत्येक लॉट के आगे अनुसूचि में विनिर्देशित किया गया हैं।

5. अनुसूचि में विनिर्देशित सम्पति के लॉट ब्रिकी के लिए रखा जाएगा। यदि सम्पति के किसी एक भाग की ब्रिकी पर राशि की वसूली हो जाती है तो नीलामी को तुरंत रोक दिया जाएगा। ब्रिकी को उस स्थिति में भी रोक दिया जाएगा यदि ब्रिकी आयोजित करने वाले अधिकारी को कथित प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, ब्याज लागत (ब्रिकी की कीमत सहित) की वसूली हो जाती है या अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी से पहले प्रमाणपत्र में दर्ज बकाया राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान करने का प्रमाण सौंप दिया जाता है।

6. कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसकी डयूटी ब्रिकी से जुड़ी है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पति की ब्रिकी में भाग लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा।

7. ब्रिकी आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तो और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आगे की शर्तो का पालन करते हुए की जाएगी।

7.1 सलंग्न सूची में विनिर्देशित विवरण अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार वर्णित किये गये हैं लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, मिथ्या कथन या गलत विवरण होने पर जवाबदेय नहीं होगा।

7.2 आरक्षित मूल्य जिससे कम मूल्य पर सम्पति नहीं बेची जाएगी वह इस प्रकार हैं:

लॉट सं.	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य (रू. में)	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (रू. में)
1.	104, पहली मंजिल, वीटीएन स्क्व्यायर, अरिहत बिल्डिंग, टी नगर, चेन्नई –600047	2,55,00,000/-	25,50,000/-
2.	415–416, चौथी मंजिल साकार – II, टाउन हॉल के सामने, न्यू एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन, आश्रम रोड, अहमदाबाद –380006	62,00,000/-	6,20,000/-
3.	दूसरी मंजिल, अत्तूर चौबंस, मोलेदिना रोड, कैंप, पुणे –411001	2,39,00,000/-	23,90,000/-
4.	ए–408, एमआईडीसी, टीटीसी, औद्योगिक क्षेत्र, महापे, नवी मुंबई (डाटा सेंटर)	4,35,00,000/-	43,50,000/-
5.	भूतल, गामा टॉवर, सिग्मा सॉफ्ट टेक पार्क, नं. 7, व्हाइटफील्ड, मेन रोड, बैंगलोर	4,83,00,000/-	48,30,000/-

7.3 इच्छुक बोलीदाता जो वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II दिल्ली के कार्यालय में **10.02.2020 को सांय 4.00 बजे** तक पैन कार्ड, पहचान पत्र, पते का प्रमाण आदि और कम्पनी के मामले में कम्पनी के प्रतिनिधि/अर्टार्नी की पुष्टि के लिए कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या अन्य कोई दस्तावेज के साथ अपनी बोली, जो आरक्षित मूल्य से कम नही हो जमा करेंगे, केवल उन्हें **12.02.2020 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे** के बीच आयोजित ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। व्यक्तिगत के मामले में, बोलीदाता स्वंय या अपने प्रधान व्यक्ति की ओर से बोली लगाने के संबंध में एक घोषणा पत्र जमा करना होगा। बाद में बोलीदाता को एक प्राधिकार पत्र जमा करना होगा और असफल रहने पर बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जाएगी । यदि नीलामी खत्म होने के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है तो समाप्त अवधि स्वतः ही 5 मिनट विस्तारित कर दी जाएगी।

7.4 बोली राशि **रू. 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र)** के गुणांक में बढ़ायी जाएगी।

7.5 असफल बोलीदाता ई–नीलामी ब्रिकी प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद **कार्यालय वसूली अधिकारी– II, डीआरटी–II, दिल्ली/सीएच, अर्थात बैंक ऑफ इण्डिया** से अपनी ईएमडी वापिस प्राप्त कर सकते हैं।

7.6 सफल/उच्चतम बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली/बिक्री की 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी को समायोजित करने के बाद, वसूली अधिकारी– II, डीआरटी– II, दिल्ली, खाता **आर.सी. सं. 260/2017** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर तैयार करना होगा और **अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 04.00 बजे तक जमा** करनी होगी।

7.7 सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को सम्पति की ब्रिकी की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी ब्रिकी की तिथि से 15वें दिन के अन्दर या 15वें दिन अवकाश पड़ता है तो इसके बाद आने वाले पहले दिन वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली खाता **आर सी नं. 260/2017** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के साथ रजिस्ट्रार, डीआरटी–II दिल्ली के पक्ष में रू. 1000/– तक 2 प्रतिशत की दर से पाउंडेज शुल्क और रू. 1000/– से अधिक सकल राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउंडेज शुल्क को जमा करना होगा (डाक द्वारा शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने पर यह उपरोक्त अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए)।

7.8. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुर्नबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त मान्य होंगे।

8. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है" तथा "जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।

9. सीएच बैंक/सीएच वित्तीय संस्था को यहां ऊपर दिए विवरण की सत्यता की जांच तथा प्रमाणित करने का निर्देश दिया जाता है।

10. अधोहस्ताक्षरी द्वारा निलामी अप्रसांगिक पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सम्पत्ति की अनुसूची

क्र. सं.	बिक्री की जा रही सम्पत्ति का वर्णन	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	सम्पत्ति के संबंध में देय किसी ऋणभार का विवरण
1.	104, पहली मंजिल, वीटीएन स्क्व्यायर, अरिहत बिल्डिंग, टी नगर, चेन्नई –600047	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
2.	415–416, चौथी मंजिल साकार – II, टाउन हॉल के सामने, न्यू एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन, आश्रम रोड, अहमदाबाद –380006	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
3.	दूसरी मंजिल, अत्तूर चौबंस, मोलेदिना रोड, कैंप, पुणे –411001	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
4.	ए–408, एमआईडीसी, टीटीसी, औद्योगिक क्षेत्र, महापे, नवी मुंबई (डाटा सेंटर)	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
5.	भूतल, गामा टॉवर, सिग्मा सॉफ्ट टेक पार्क, नं. 7, व्हाइटफील्ड, मेन रोड, बैंगलोर	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मेरे हस्ताक्षर और मोहर के साथ दिनांक 02.01.2020 को जारी किया गया।
(अविनाश चन्द्र)
वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली

टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड
संपर्क पता : 7वीं मंजिल विडियोकॉन टॉवर, झण्डेलवालन एक्सटैंशन, नई दिल्ली - 110055

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) अतंर्गत

सेवा में,
1. **देवेन्दर खुराना**
मकान सं. 166, डीअरवुड, निर्वाण कन्ट्री, सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा-122018 सम्पर्क नं. 9810236486
2. **श्रीमती सक्षम खुराना**
मकान सं. 166, डीअरवुड, निर्वाण कन्ट्री, सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा-122018
3. **मै. सुपर्व सॉल्यूशन प्रॉवाइटर प्राइवेट लिमिटेड,** द्वारा उसके निदेशक श्री देवेन्दर खुराना
साथ हीं: मकान सं. 166, डीअरवुड, निर्वाण कन्ट्री, सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा-122018

प्रिय महोदय/महोदया,
कृपया, सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत भेजी गई हमारी पूर्व की सूचना तिथि 10 दिसम्बर, 2018 देखें जिसकी प्राप्ति पर आप संबोध्य व्यक्यिों ने समय पर आगे के किस्तों को वापस लौटाने का वचन दिया था। आपके वचन तथा अंडरटैकिंग के अनुसार तथा आंशिक वकाये का भुगतान करने पर आपकी उक्त खाता एक बार पुनः मानकीकृत कम्पनी द्वारा की गई। पुनः समय पर ईएमडी के भुगतान का वचन एवं अंडरटैकिंग देने के बावजूद आपने अपने वचन को पूरा नहीं किया तथा उसकी अनदेखी की तथा चालू महीने की ईएमआई का भुगतान करने में चूक की है जिसके परिणामस्वरुप कम्पनी ने एक बार फिर से इस खाता को 7 अक्टूबर, 2019 को एनपीए घोषित कर दिया है। आपके अनुरोध पर तथा ऋण सं. 6112394, 6763681 तथा 6782311 के लिये भुगतान की प्राप्ति पर हमने उक्त ऋण खाताओं का समापन कर दिया है तथा सम्पत्ति सं. अपार्टमेन्ट नं. एम 1 बी-051, 5वां तल, एक्सप्रैस ग्रीन सेक्टर-एम-1, मानेसर गुड़गांव-122050, प्लॉट नं. 77ए ब्लॉक आर, उप्पल सातथ एंड, सेक्टर 48-49, गुड़गांव, हरियाणा-122018 के लिये उसके मूल टाइटल कागजातों को रिलीज कर दिया है, अतः वह अनुसूची क के भाग के रूप में नहीं दर्शाया गया है।
एलएएन 5788563 में टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 2 जनवरी, 2020 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता सं. 5788563 में रु. 68,96,717.55/- (रुपये अड़सठ लाख छियानवे हजार सात सौ सत्तरह तथा पैसे पचचन मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 7 अक्टूबर, 2019 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 2 जनवरी, 2020 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता सं. 5788563 में रु. 68,96,717.55/-की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

सम्पत्तियों की अनुसूची
1. कार्यालय सं. 201, माप 542.003 वर्ग फीट/सुपर एरिया (50.3838), दूसरा तल, ट्रेडेक्स कॉम्लैक्स जो आईएलडी ट्रेड सेन्टर के नाम विदित है, में जिसका विशेष रूप से विवरण बुक नं 1, वॉल्यूम नं. 13003, पेज 64, अतिरिक्त रुप से बुक नं. 1 वॉल्यूम नं. 2186, पेज 86 से 87 में दिया गया हो जो सब-रजिस्ट्रार ऑफ

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	20.0 डि.से.	20.0 डि.से.	20.0 डि.से.	21. डि.से.
न्यूनतम	10.0 डि.से.	10.0 डि.से.	9.0 डि.से.	9.0 डि.से.

खबरों में शहर

जेएनयू में हमलावरों की गिरफ्तारियों की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

जेएनयू के छात्रों व शिक्षकों पर हुए हथियारबंद नकाबपोश गुंडों के हमले का दलित शोषण मुक्ति मंच ने कड़े शब्दों में निंदा की है। मंच का कहना है कि एबीवीपी द्वारा बाहरी अराजक तत्वों को गैरकानूनी तरीके से जेएनयू परिसर में प्रवेश कराकर छात्र-छात्राओं पर गंभीर हमला करवाया। पुलिस व जेएनयू प्रशासन ने नजरअंदाज किया और हमलावरों ने छात्राओं के छात्रावास में घुसकर उन्हें घायल किया तथा तोड़फोड़ की। आरोप लगाया गया है कि इस सारे प्रकरण में पुलिस की कार्यशैली संदिग्ध रही। यह हमला पूर्व नियोजित बताते हुए दलित शोषण मुक्ति मंच ने मांग की है कि हमलावर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए एवं इस मानवीय कृत्य के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए। उपकुलपति व प्रॉक्टर के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए।

कांग्रेस ने हिंसा की जांच के लिए बनाई समिति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई हिंसा की घटना की जांच के लिए चार सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया है। यह समिति एक सप्ताह के भीतर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया है उसमें महिला कांग्रेस की प्रमुख सुष्मिता देव, लोकसभा सदस्य हिबी इडेन, राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन और एनएसयूआइ की पूर्व अध्यक्ष अमृता धवन शामिल हैं।

परिसर में घुसने की नहीं मिली अनुमति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

जेएनयू में हिंसक हमले के बाद सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने गया था लेकिन परिसर में घुसने की अनुमति नहीं दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी के नेतृत्व में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में सजदा अहमद, मानस भुंइया, विवेक मौजूद थे।

सीलमपुर हिंसा में दो बांग्लादेशी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

सीलमपुर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन और हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के विशेष जांच दल (एसआइटी) ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दो बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। दोनों अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे। पांचों को दिल्ली की एक अदालत ने दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार पांच लोगों में से दो बांग्लादेशी हैं, जबकि दो अन्य उत्तर प्रदेश से तथा एक सीमापुरी का है। आरोपियों में गाजियाबाद निवासी मोहम्मद शोएब (19), पीलीभीत निवासी मोहम्मद आमिर (24), सीमापुरी निवासी यूसुफ (40) और बांग्लादेशी नागरिकों-मोहम्मद आजाद तथा मोहम्मद सुभान के रूप में हुई है। साथ ही दो नाबालिगों को भी किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया है।

एनईए चुनाव : निर्विरोध चुना गया मल्हन पैनल

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 6 जनवरी।

उद्यमियों के प्रमुख संगठन नोएडा एन्ट्रेप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनईए) के चुनाव में उम्मीदवारों का सोमवार दोपहर दो बजे नाम वापिस लेने का समय था। लेकिन किसी ने नाम वापस नहीं लिया। साथ ही किसी भी अन्य पैनल से किसी भी प्रत्याशी या उम्मीदवार ने चुनाव के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया। पर्चा दाखिल नहीं होने से चुनाव अधिकारियों ने विपिन कुमार मल्हन और वीके सेठ पैनल को निर्विरोध विजयी घोषित किया।

आज के कार्यक्रम

पुस्तक मेला

सामयिक प्रकाशन : पाठकों से रचनात्मक संवाद कार्यक्रम, लेखक मंच, हॉल नंबर 12ए, विश्व पुस्तक मेला, प्रगति मैदान, समय साढ़े 12 बजे से।

सभा/संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : 'कीज टू गर्वनेंस : द स्टील फ्रेम' पर चर्चा, कांफ्रेंस रूम एक, सेंटर परिसर, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

इंडिया हैबीटाट सेंटर : अर्बन इथोस एंड पाथोस ए सेलक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑन सोसाइटल बिहेवियर, गवर्नेंस मिलयु एंड अर्बन इशूज, नामक किताब पर चर्चा, गुमलोहर हॉल, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

कुलपति ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा

प्रदर्शन में शामिल कुछ विद्यार्थी कर रहे हिंसा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति एम जगदीश कुमार ने सोमवार को छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। विश्वविद्यालय अकादमिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के इच्छुक सभी छात्रों के साथ है। हम सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों का सर्दियों में होने वाला पंजीकरण बिना किसी रुकावट के पूरा हो। उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में डरने की कोई जरुरत नहीं है।

जेएनयू के कुलपति की ओर से जारी बयान के मुताबिक मौजूदा हालात की जड़ में कारण यह है कि प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्र हिंसा कर रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रदर्शन में नहीं शामिल छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों को अवरुद्ध कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने शीतकालीन सत्र का पंजीकरण रोकने के लिए विश्वविद्यालय का संचार सर्वर क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि हजारों छात्रों को शीतकालीन सत्र के लिए पंजीकरण कराने से रोका। उनकी मंशा साफ-साफ विश्वविद्यालय के कामकाज को नुकसान पहुंचाना है। यह सिर्फ गुंडागर्दी है और जेएनयू के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और समुचित कार्रवाई की जाएगी। कुमार ने कहा कि जेएनयू प्रशासन

छात्रावास में बिखरा सामान

अपने छात्रों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। कुमार ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए हम सभी को साथ खड़े होने की जरुरत है। कुछ प्रदर्शनकारियों को विश्वविद्यालय को ब्लैकमेल नहीं करने देना चाहिए। उनके मन में छात्रों के मौलिक अधिकारों के लिए कोई सम्मान नहीं है।

महिला आयोग ने भेजा नोटिस

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने जेएनयू में छात्राओं के साथ हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में दर्ज प्राथमिकी का ब्योरा मांगा है और हिंसा पर तत्काल कदम नहीं उठाने के कारण स्पष्ट करने को कहा है।

छात्रों से परिसर न छोड़ने की अपील

जेएनयू के प्रॉक्टर धनंजय सिंह ने सोमवार को छात्रों से परिसर नहीं छोड़ने की अपील की और उन्हें आश्वस्त किया कि हालात सामान्य करने के कदम उठाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में रविवार को हुए हमले की पृष्ठभूमि में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सिंह ने कहा कि हम अपील करते हैं कि छात्र घबराएं नहीं और परिसर छोड़कर नहीं जाएं। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिसर में हालात सामान्य करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

छात्रों के आरोपों को किया खारिज

जेएनयू के छात्र संघ ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस से कई बार मदद की गुहार लगाई गई। पर पुलिस जेएनयू परिसर में देर से पहुंची। इन आरोपों को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष को किए गए फोन पर और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये पेशेवर अंदाज में काम किया। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि जेएनयू की आंतरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन के पास है।

कुलपति को हटना होगा : शिक्षक संघ

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (जेएनयूटीए) ने नकाबपोशों द्वारा छात्रों और अध्यापकों पर किए गए हमले के बाद सोमवार को कुलपति एम जगदीश कुमार को हटाने की मांग की। शिक्षकों ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिसा की जांच करने की मांग की। जेएनयूटीए ने कहा, 'कुलपति को जाना होगा।' प्राध्यापक सौगत भादुड़ी ने कहा कि प्राध्यापिका सुचरिता सेन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण नहीं आ सकीं। जेएनयूटीए के पूर्व अध्यक्ष सोनझरिया मिज ने पूछा, 'जब यह हमला हो रहा था तब हमारे सर्वोच्च अधिकारी हमारे कुलपति कहाँ थे? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी?'

जेएनयू हिंसा की अपराध शाखा कर रही जांच

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

जेएनयू परिसर में रविवार को विद्यार्थियों और शिक्षकों पर हुए हमले के मामले में वसंत कुंज उत्तरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस के उपायुक्त देवेंद्र आर्य ने बताया कि हमले में कई विद्यार्थियों और शिक्षकों को चोटें पहुंची थी। हमले में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्षा आईषी घोष भी घायल हुई हैं। इस संबंध में पुलिस को कई शिकायते मिली हैं, जिनके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने हिंसा, दंगा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले की आगे की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि अपराध शाखा को कुछ अहम सुराग मिले हैं और उन पर काम किया जा रहा है।

पुलिस ने बताया कि जेएनयू प्रशासन की ओर से बुलाने के बाद बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान रविवार रात को जेएनयू परिसर पहुंचे और मामले को शांत करवाने की कोशिश की। सोमवार को भी करीब 700 पुलिस के जवानों को परिसर में तैनात किया गया। साथ ही वसंत कुंज और मुनिरका की ओर से आने वाले मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई। पुलिस ने बताया कि सोमवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमलावरों पर कार्रवाई की मांगे करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। जेएनयू, जामिया और डीयू के छात्रों और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता को एक ज्ञापन सौंपा है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजीब रे ने कहा कि पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि वह मामले की जांच करेगी और हमारी मांगों पर गौर करेगी।

केंद्र और पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दायर

नई दिल्ली (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें जेएनयू में भीड़ हिंसा को रोकने और इससे निपटने के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश का कथित तौर पर पालन न करने को लेकर केंद्र और दिल्ली पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। तहसीन पूनावाला द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई, 2018 को सरकार और पुलिस अधिकारियों के लिए भीड़ हिंसा को रोकने और इससे निपटने के वास्ते एहतियातन दिशा-निर्देश जारी किए थे तथा निष्कर्ष दिया था कि कोई भी व्यक्ति निजी हैसियत से या समूह के रूप में कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता और दूसरे से दोषी के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता। याचिका में कहा गया कि कथित अवमाननकर्ता/प्रतिवादी (भारत सरकार) जेएनयू परिसर में पांच जनवरी, 2020 को घुसने वाले नकाबपोश शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है और दोषियों के खिलाफ अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है।

उपराज्यपाल से गृहमंत्री ने जेएनयू मामले में की बात

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से सोमवार को फोन पर बात की और उनसे कहा कि जेएनयू के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाएं। गृह मंत्री ने कल दिल्ली पुलिस के प्रमुख अमूल्य पटनायक से भी बात कर जांच की रिपोर्ट भी मांगी है।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हिंसा से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज मिली है। साथ ही सोशल मीडिया पर कई वीडियो और मैसेज वायरल हुए हैं, जो शक के घेरे में है। फिलहाल टीमें फुटेज और मैसेज की छानबीन कर रही है।

वोल्वो और स्कैनिया से यात्रा में छूट

आराम का सफर

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 6 जनवरी।

रेलवे में फ्लैक्सी फेयर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने उच्च श्रेणी वाली बसों में टेलीस्कोपिक फेयर प्रणाली (टीएफएस) लागू कर दिया गया है। यानी जितनी लंबी दूरी की यात्रा होगी, उतना कम किराया मुसाफिरों को देना पड़ेगा। लखनऊ से दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों को 15 फीसद की छूट मिलेगी।

यूपी परिवहन निगम के एआरएम अनुराग यादव के मुताबिक, लखनऊ से दिल्ली की दूरी 600 किलोमीटर है। इस दूरी के लिए यात्रियों को 189 रुपए की छूट मिलेगी। लखनऊ में 52 बसों में टीएफएस का प्रयोग शुरू किया जा रहा है। जिसमें यात्रियों को छूट दी जाएगी। टीएसएफ में दूरी के अनुसार किराए की श्रेणी तय की गई है। जैसे- जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, उसी आधार पर किराए में छूट मिलेगी। 100 किलोमीटर तक की दूरी के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद 150 किलोमीटर पर 1.5 फीसद की छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद प्रत्येक 50 किलोमीटर पर यात्रियों को डेढ़ फीसद की छूट मिलती जाएगी। यह छूट अधिकतम 15 फीसद तक की होगी। भले ही यात्रा 600 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की हो। यूपी रोडवेज अधिकारियों के अनुसार स्कैनिया और वॉल्वो बसों में लखनऊ से दिल्ली जाने वाली बसों में 80 फीसद अग्रिम (एडवांस) बुकिंग होती है। ऐसे में जिन यात्रियों ने पहले टिकट बुक करा ली होगी, उन्हें करीब 150 रुपए के हिसाब से रकम वापस की जाएगी।

लंबी दूरी की यात्रा पर कम लगेगा किराया

परीक्षण के तौर पर दिल्ली से लखनऊ के बीच शुरू हुई प्रणाली

विधानसभा चुनाव : काम पर दिल्ली फतह की तैयारी

भाजपा व 'आप' पीछे, कांग्रेस ही विकल्प : सुरजेवाला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि भाजपा व आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी आपसी लड़ाई में देश की राजधानी को विकास की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ दिया।

लिहाजा, इस बार दिल्ली की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी तथा भाजपा और आम आदमी पार्टी को खारिज करेगी। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि दोनों पार्टियों ने पांच साल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में बर्बाद कर दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में दिल वालों की दिल्ली विकास में पीछे छूट गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था खत्म हो गई है। सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली बदलाव चाहती है। यहां के विकास का एक ही रास्ता है और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है।

विकास के मुद्दे पर चुनाव : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कहा कि यह चुनाव काम के आधार पर लड़ा जाएगा। केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील की कि यदि उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी की अगुआई वाली दिल्ली सरकार ने काम किया है, तभी वे आम आदमी पार्टी को वोट दें। यदि उन्हें लगता है कि सरकार ने काम नहीं किया है, तो वे वोट बिल्कुल मत दें। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने भाजपा को जिम्मेदारी दी है पुलिस संभालने की, नगर निगम संभालने की और डीडीए को संभालने की, वहीं आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी दी है शिक्षा विभाग की, चिकित्सा विभाग की, लोक निर्माण विभाग की, जल बोर्ड की और अन्य कई विभागों की।

कामकाज के आधार पर लड़े जाएंगे चुनाव : जावडेकर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में चुनाव कामकाज के आधार पर लड़े जाएंगे, झूठ के आधार पर नहीं और प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है।

दिल्ली भाजपा के चुनाव प्रभारी जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा कि तरक्की में रोड़े अटकाने वाले कार्य अब समाप्त होंगे और विकास का रास्ता अख्तियार होगा। दावा किया कि दिल्ली की जनता भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। कहा कि दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से दिल्ली में मोदी सरकार की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना सहित कई योजनाओं को रोक दिया।

सौ इमारतें व स्पोर्ट्स कांप्लेक्स ध्वस्त करने का आदेश

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 6 जनवरी।

हिंडन नदी के डूब इलाके में अवैध रूप से बने स्पोर्ट्स कांप्लेक्स समेत व्यावसायिक गतिविधियां लंबे समय बाद अफसरों के निशाने पर आए हैं। किराए पर उठाए गए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स समेत डूब क्षेत्र में बनी 100 पक्की इमारतों को नोटिस जारी किए गए हैं। डूब क्षेत्र में बने पक्के मकान तोड़ने और जमीन खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

उसके बाद प्राधिकरण का दस्ता इन इमारतों को ध्वस्त करेगा। हाल ही में प्राधिकरण ने डूब इलाके में करीब 120 करोड़ रुपए कीमत की 50 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया था। हिंडन नदी और बांध के बीच नोएडा व ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई गांव हैं। इनमें गढ़ी चौखंडी, छिजारसी, कनावनी, बहलोलपुर, चोटपुर, चिपियाना खुर्द, चक शाहबेरी, सौहरखा जाहिदाबाद, जलपुरा, हल्दौनी, हैबतपुर, अलीवर्दीपुर व ककराला आदि हैं।

इन गांवों की जमीन से हिंडन डूब क्षेत्र जुड़ता है। सेक्टर-120 के पास डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन के छोटे-छोटे भूखंड काट कर अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं। जिसके चलते डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण लगातार और तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आवासीय के अलावा व्यावसायिक कार्य भी यहां जमकर किया जा रहा है। यहां पीजी के अलावा होटल भी बने हैं। करीब 150 से अधिक पक्की इमारतों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि करीब 100 इमारतों में निर्माण जारी है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से अधिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स हैं। जिन्हें 15-20 हजार रुपए प्रतिदिन के किराए के आधार पर दिया जा रहा है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा के नजदीक होने के चलते इनका खूब इस्तेमाल हो रहा है। इससे न केवल राजस्व का नुकसान बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह नुकसानदायक है। प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने डूब क्षेत्र में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर नाराजगी जताते हुए ध्वस्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

एसएसपी वैभव कृष्ण के समर्थन में सौंपा ज्ञापन

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोडा, 6 जनवरी।

एसएसपी वैभव कृष्ण का कथित वीडियो वायरल होने के मामले में भारतीय किसान यूनियन, एक्टिव सिटीजन टीम, व्यापार मंडल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग एसएसपी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। सोमवार को उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल, भारतीय किसान यूनियन एवं एक्टिव सिटीजन टीम के पदाधिकारी जिलाधिकारी से मिले और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सबका कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व एसएसपी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं।

दिल्ली चुनाव में दिखेगा पार्टियों के माहौल का असर

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। आठ फरवरी को मतदान के बाद 11 फरवरी को तय होगा कि आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने का जो माहौल बनाया, उसमें कितना दम है। यह भी तय होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और केंद्र सरकार के काम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी भाजपा क्या 22 साल का दिल्ली में सरकार में आने का वनवास खत्म कर पाएगी और वजूद की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस अपने को किस हैसियत में पहुंचाती है।

फरवरी, 2015 में 70 सदस्यों वाली विधानसभा में 67 सीटें जीत कर सत्ता में आई 'आप' के नेता इस बात को निश्चिंत दिख रहे हैं कि दिल्ली के एक करोड़ 46 लाख से ज्यादा मतदाता उनके चुनावी वायदों पर सवाल उठाएंगे। विपक्षी दल उनसे सवाल कर रहा है कि साढ़े चार साल तक कुछ न करने वाले केजरीवाल अचानक कुछ महीने में दिल्ली को स्वर्ग बनाने का दावा करने लगे हैं। मुख्यमंत्री की हर रोज की घोषणाओं ने दिल्ली का माहौल पहले ही चुनावी बना दिया था।

लोकसभा चुनाव में तो 'आप' न केवल चुनाव हारी बल्कि उसे इस चुनाव में सबसे कम करीब 18 फीसद वोट मिले। कांग्रेस 22.50 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रही। भाजपा को 57 फीसद वोट मिले। विधानसभा के हिसाब से इस नतीजे में भाजपा 70 में से 65 सीटों पर और कांग्रेस पांच विधानसभा सीटों पर पहले नंबर पर रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सरकार के सात में से पांच मंत्रियों के इलाके में 'आप' तीसरे नंबर पर रही। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद 'आप' का राजनीतिक ग्राफ लगातार गिरा है। ईमानदार सरकार के दावे की खिल्ली उड़ी है। एक मंत्री जाली प्रमाण पत्र के चक्कर में, दूसरे रिश्वत लेने के आरोप में और तीसरे सेक्स कांड में फंस चुके थे। इसके अलावा अनेक मामलों में अनेक नेता फंसते ही गए, उसकी सूची काफी लंबी हो गई है।

वैसे यह भी अजीब रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद 'आप' नेता भाजपा के आला नेताओं के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। करीब 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के फैसले से 'आप' परेशान दिखी और अपने वोट बैंक में सेंध लगने के डर से 'आप' नेता कुछ समय के लिए केंद्र सरकार पर हमला करने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में भी 'आप' को कोई सीट नहीं मिली थी लेकिन तब वह दूसरे नंबर पर रही। 'आप' और भाजपा के वोटों का अंतर 13 फीसद था, इस बार अंतर करीब 39 फीसद है। पहली बार जीतने पर 'आप' सरकार 49 दिन चली। दूसरी बार बिजली पानी सस्ता करने के नाम पर फरवरी, 2015 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। राजनीतिक पार्टी बनाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जुलाई, 2012 में जंतर मंतर पर 12 दिन का धरना दिया था।

लेकिन पहला बेमियादी अनशन बिजली के मुद्दे पर मार्च 2013 में सुंदर नगरी में 15 दिनों तक किया और वही अनशन उनकी राजनीतिक सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसी के बूते ही वे 2013 के विधानसभा में 28 सीटें और 2015 के विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीती। भाजपा को तीन सीट मिली और 15 साल दिल्ली में सत्ता में रही कांग्रेस के वोट दस फीसद से भी कम हो गए। पहली सरकार के दौरान कुछ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए उन्होंने जनवरी, 2014 में रेल भवन पर धरना दिया। दोबारा सत्ता में आने पर उनके काम का तरीका बदल गया। स्थापना की मूल बातें बदल गई और अलग-अलग दलों से आए पार्टी विधायक और केजरीवाल के समेत उनके करीबी लोग दूसरे दलों के रंग में रंगने लगे।

पंजाब विधानसभा और दिल्ली में राजौरी गार्डन विधानसभा चुनाव से उनका राजनीतिक ग्राफ गिरने लगा और 2017 के नगर निगमों के चुनाव में तो जिस कांग्रेस को 'आप' ने हाशिए पर ला दिया था, वह बराबरी पर आने लगी थी। 'आप' के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं कि लोकसभा चुनाव में उसे तीसरे नंबर पर ढकेलने वाली कांग्रेस फिर से अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है और भाजपा अब तक दिल्ली में मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर फैसला नहीं कर पाई। विधानसभा के मुद्दे लोकसभा से अलग होते हैं लेकिन फिर भी भाजपा नेता दिल्ली चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ने की तैयारी में हैं।

www.readwhere.com

साथ बैठकर मतभेद सुलझाएं वाडिया और टाटा

मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नुस्ली वाडिया से कहा

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बांबे डाइंग के अध्यक्ष नुस्ली वाडिया और टाटा संस के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष रतन टाटा से कहा कि वे एकसाथ बैठकर मानहानि के मामले में अपने मतभेद सुलझाएं। वाडिया ने 2016 में रतन टाटा और टाटा संस के अन्य निदेशकों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला उस वक्त दायर किया था जब उन्हें टाटा समूह की कुछ कंपनियों के निदेशक मंडल से निकाल दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी के लिए स्थगित करते हुए कहा, 'आप दोनों परिपक्व व्यक्ति हैं। आप दोनों उद्योग जगत के नेता हैं। आप दोनों इस मामले को सुलझा क्यों नहीं लेते। आप दोनों एकसाथ बैठकर अपने मतभेद सुलझा क्यों नहीं लेते।' पीठ शुरू में तो बंबई हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस मामले का निपटारा करना चाहती थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि इसमें मानहानि करने की कोई मंशा नहीं थी। लेकिन बाद में पीठ ने इसे 13 जनवरी के लिए उस समय स्थगित कर दिया जब वाडिया के वकील ने कहा कि इस मामले में अलग से दायर एक वाद के बारे में उन्हें अपने मुवक्किल से निर्देश प्राप्त करने होंगे।

इससे पहले, वाडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि वे टाटा समूह के खिलाफ नहीं हैं और न ही निदेशक मंडल से हटाए जाने की वजह से हुई मानहानि की भरपाई के लिए कोई दावा कर रहे हैं। कौल ने कहा, 'मैं कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, जिसने मुझे हटाया। मैं उन व्यक्तियों के खिलाफ हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाई, जिसे अंततः मीडिया को लीक किया गया।' उन्होंने कहा कि उन्हें आरोपों को वापस लेना चाहिए। पीठ ने वाडिया से कहा कि रतन टाटा और अन्य को उनसे भी कुछ शिकायतें हैं और सवाल यह है कि इसे मानहानि कैसे माना जाए।

रतन टाटा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वाडिया ने जवाब मांगने के लिए कानूनी नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि बंबई हाई कोर्ट का निष्कर्ष है कि उनकी मानहानि करने की कोई मंशा नहीं थी और शीर्ष अदालत को इसे दर्ज करके याचिका का निपटारा कर देना चाहिए। पीठ ने हाई कोर्ट के निष्कर्ष को सही ठहराने संबंधी आदेश लिखाना जब खत्म किया तो कौल ने कहा कि उन्हें निर्देश मिला है कि उनके मुवक्किल इस मामले में मानहानि का वाद जारी रखना चाहते हैं। इस पर पीठ ने उसे समझ में नहीं आ रहा कि वे (वाडिया) इस मुकदमे को क्यों आगे ले जाना चाहते हैं।

अभिनेता के खिलाफ आरोप तय

कोच्चि, 6 जनवरी (भाषा)।

दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री के 2017 में अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में एक निचली अदालत ने मलयालम फिल्म अभिनेता दिलीप और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अभिनेता और नौ अन्य आरोपी एर्णाकुलम में अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश हुए जहां उनके खिलाफ आरोप तय किए गए। सभी ने आरोपों से इनकार किया है। अदालत ने शनिवार को दिलीप द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने उन्हें आरोपियों की सूची से बाहर करने का अनुरोध किया था।

गुजरात : तस्करी के आरोप में पांच पाकिस्तानी पकड़े गए

अमदाबाद, 6 जनवरी (भाषा)।

गुजरात के समुद्र तट से नाव पर सवार पांच पाकिस्तानी नागरिकों को सोमवार सुबह पकड़ा गया, जब वे राज्य में ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने यह जानकारी दी।

कच्छ-पश्चिम के पुलिस अधीक्षक सौरभ तोलम्बिया ने बताया कि कच्छ जिले के जखाउ तट के पास पांच लोगों के पास से संदिग्ध ड्रग्स के करीब 35 पैकेट जब्त किए गए।

नाम सिक्योरिटीज लिमिटेड
सीआईएन : L74899DL1994PLC350531
पंजीकृत कार्यालय : 213, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001
ई-मेल आईडी : compliance@namsecurities.in,
वेबसाइट : www.namsecurthesin,
दूरभाष : 011-23731122/44

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने तथा अनुमोदन के लिए नाम सिक्योरिटीज लिमिटेड के निदेशक मण्डल की एक बैठक मंगलवार, 14 जनवरी, 2020 को इसके पंजीकृत कार्यालय 213, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 पर 04.00 बजे अपराह्न आयोजित की जायेगी। पुनः सेबी (आन्तरिक व्यापार निषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार व्यापार निषेध अवधि के सम्बन्ध में 2 अप्रैल, 2019 को इनसाइडर तथा बीएसई एवं बाहरी द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा प्रतिवेदन के संचालन के लिए कम्पनी की आचार संहिता के कारण व्यापारिक खिड़की परिणामों की घोषणा की पूर्णता के 48 घण्टे पश्चात 14 जनवरी, 2020 तक बन्द रहेगी।
यह सूचना बीएसई की वेबसाइट (https://www.bseindia.com/) तथा कम्पनी की वेबसाइट (http://mwe.namsecurilies.in/) पर उपलब्ध है।

कृते नाम सिक्योरिटीज लिमिटेड
ह./-
दिनांक : 06 जनवरी, 2020 — किरण गोयल
स्थान : दिल्ली — प्रबन्ध निदेशक

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
[कम्पनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खण्ड (क) के विषय में
तथा
सुर संगम इलेक्ट्रोनीडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन : U71909DL2000PTC107077) के विषय में जिसका पंजीकृत कार्यालय 4ए/10, द्वितीय तल, झंडेवालान राजिन्दर नगर दिल्ली - 110060 में स्थित है
.....याचिकादाता
एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में शुक्रवार 26 दिसम्बर 2019 को आयोजित इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निष्कर्षों के अनुसार कम्पनी के सदस्य बनाने से संबंधित की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निदेशक शिकायत प्रपत्र तरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर्त्ता सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए -
पंजीकृत कार्यालय : 4ए/10, द्वितीय तल, झंडेवालान राजिन्दर नगर, दिल्ली - 110060
कृते एस. डिले आवेदक
सुर संगम इलेक्ट्रोनीडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि : 06-01-2020 — संजीव मायना
स्थान : दिल्ली — (निदेशक)
डीआईएन : 00838230
पता: एम-28, सेक्टर-27, नोएडा-201301

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष तथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
कनव कैपिटल एडवाईजरज प्रा0 लि0, पंजीकृत कार्यालय- डी-13/28, सैक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110085 के मामले में
.....याचिकाकर्ता
एतद द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 06.01.2020 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से **हरियाणा राज्य** में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हो **एम सी ए 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक शिकायत फार्म दर्ज करें** या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय **बी-2 विंग, दूसरा तल, दीनदयाल अन्तोदय भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003** को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करे तथा इसकी एक कार्बन आवेदक कम्पनी को उसके ऊपर लिखे पंजीकृत कार्यालय पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते कनव कैपिटल एडवाईजरज प्रा0 लि0
हस्ता/-
गौरव सुद
तारीख: 06.01.2020 — निदेशक
स्थान: दिल्ली — डीआईएन: 00672008

Karnataka Bank Ltd.
आपका पारिवारिक बैंक। पूरे भारत में
प्रधान कार्यालय: मंगलुरु - 575002 — CIN : L85110KA1924PLC001128
आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा, 8-बी, प्रथम तल, राजेन्द्रा पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060, दूरभाष : 011-25813466 मोबाइल : 9319891680
वेबसाइट : www.karnatakabank.com, ई-मेल : delhiarm@ktkbank.com

अचल सम्पत्ति की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर कर्नाटका बैंक लि., प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी ने प्रथम तल एवं टेरेस सहित द्वितीय तल पर 08.09.2017 को तथा भूतल पर 09.09.2017 को भौतिक कब्जा किया है, (1) मैसर्स अरिहन्त इण्डस्ट्रीज, इसके प्रतिनिधि प्रोपराइटर श्री श्रीपाल जैन, कक्ष सं. 201-202, प्लॉट सं. 189-191, दूसरी मंजिल, लारेन्स रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110035, (2) श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री दौलत राम जैन, आरजेड-116, सन्तोष पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, (3) श्रीमती रेनू जैन पत्नी श्री श्रीपाल जैन, आरजेड-116, सन्तोष पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 जो कर्जदार/जमानती/सह-दायित्व निर्वहनकर्ता हैं, से बैंक की कुल राशि रु. 3,22,66,446.25 (रुपये तीन करोड़ बाईस लाख छियासठ हजार चार सौ छियालीस एवं पच्चीस पैसे मात्र) तथा 01.01.2020 से भावी ब्याज + पीएस ओवरड्राफ्ट खाता 5627000600001301 के तहत लागतों सहित कर्नाटक बैंक लि., विकासपुरी शाखा-दिल्ली, प्रतिभूत लेनदार के प्रति बकाया की वसूली हेतु 31.01.2020 को "जहाँ है जैसे है", "जो भी है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर विक्रय किया जायेगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1) खसरा नं. 44/12, ग्राम हस्तसाल, दिल्ली एस्टेट, आबादी मोहन गार्डन कॉलोनी, ब्लॉक-एल-II, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 पर छत/टेरेस सहित प्लॉट सं. 4-ए, माप 125 गज पर निर्मित भवन का सम्पूर्ण भाग जो श्रीमती रेनू जैन से सम्बद्ध है।
सीमाएँ : पूर्व : सम्पत्ति का भाग — पश्चिम : सम्पत्ति का भाग
उत्तर : 40 फीट चौड़ी सड़क — दक्षिण : सर्विस लेन
आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके कम मूल्य पर सम्पत्ति नहीं बेची जा सकती है : रु. 1,25,00,000.00 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
जमा की जाने वाली/निविदाकृत धरोहर राशि : रु. 12,50,000/- (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)।
(प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सम्बन्ध में कर्जदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।
(यह सूचना कर्जदाताओं/जमानतियों के लिए प्रतिभूत हित प्रवर्तन नियम-2002 के नियम (9) के उपनियम (1) के तहत सूचना भी होगी।)
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कर्नाटका बैंक लिमिटेड की वेबसाइट www.karnatakabank.com में "mortgaged assets for sale" शीर्षक के तहत लिंक देखें।
ई-नीलामी 05 मिनट के असीमित विस्तार सहित 31.01.2020 को 11.00 बजे प्रातः से 12.00 बजे दोपहर तक पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से संचालित की जायेगी। इच्छुक संविदाकार को https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत करना तथा निःशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अपेक्षित है तथा मैसर्स 4क्लोजर, फ्लैट सं. 102, प्लॉट सं. 20, अमृता अपार्टमेंट्स, मोतीनगर, हैदराबाद-500018, सम्पर्क नं. 040-23836405, मोबाइल : 8142000809, ई-मेल : vikas@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से ई-नीलामी के विषय में ऑनलाइन प्रशिक्षण (30.01.2020 से सम्भावित) प्राप्त कर सकते हैं।
तिथि : 06.01.2020 — कृते कर्नाटका बैंक लिमिटेड,
स्थान : दिल्ली — मुख्य प्रबन्धक एवं अधिकृत प्राधिकारी

टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड
TATA
संपर्क पता : 7वीं मंजिल विडियोकॉन टॉवर, झण्डेलवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में
1. **सुधीर बजाज,**
एच नं. 21, डीएलएफ फेज-3, मॉल सिरी रोड, ग्राम नाथपुर, तहसील गुरुग्राम, हरियाणा-122001
साथ हीं: सी-898 डी (बी), सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा-121001
2. **नरेन्दर बजाज,**
एच नं. 21, डीएलएफ फेज-3, मॉल सिरी रोड, ग्राम नाथपुर, तहसील गुरुग्राम, हरियाणा-122001
साथ हीं: सी-898 डी (बी), सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा-121001
3. **श्रीमती कान्ता बजाज एवं कान्ता, पत्नी श्री सुधीर बजाज**
एच नं. 21, डीएलएफ फेज-3, मॉल सिरी रोड, ग्राम नाथपुर, तहसील गुरुग्राम, हरियाणा-122001
साथ हीं: सी-898 डी (बी), सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा-121001
4. **श्रीमती शैली बजाज एवं कान्ता, पत्नी श्री सुधीर बजाज**
एच नं. 21, डीएलएफ फेज-3, मॉल सिरी रोड, ग्राम नाथपुर, तहसील गुरुग्राम, हरियाणा-122001
5. **मै. इन्टरलिंक्स ओवरसीज प्रा. लि., द्वारा: 301, गगनदीप बिल्डिंग, 12, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली**-110008
साथ हीं: एच नं. 21, डीएलएफ फेज-3, मॉल सिरी रोड, ग्राम नाथपुर, तहसील गुरुग्राम, हरियाणा-122001
साथ हीं: सी-898 डी (बी), सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा-121001

प्रिय महोदय/महोदया,
एलएएन 5033677 में 29.6.2015 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 17.12.2019 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता सं. 5033677 में रु. 1,50,08,747.14 (रुपये एक करोड़ पचास लाख आठ हजार सात सौ सैंतालिस पैसे चौदह मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 14 दिसम्बर, 2019 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 17 दिसम्बर, 2019 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता सं. 5033677 में रु. 1,50,08,747.14 (रुपये एक करोड़ पचास लाख आठ हजार सात सौ सैंतालिस तथा पैसे चौदह मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

समपत्तियों की अनुसूची
ग्राम सरहौल, चकरपुर सलोखरा, कन्हाई एवं वजीराबाद, जिला गुरुग्राम, हरियाणा में तथा आस-पास स्थित सुशांत लोक में 'सुशांत गार्डन' में सम्पत्ति सं. सी-898 डी (बी), ब्लॉक नं. सी, क्षेत्रफल माप 673.00 वर्ग फीट विशेष विवरण टाइटल डीड में दिया गया। चौहद्दी: उत्तरः सी-898 'सी', दक्षिणः रोड, पूर्वः सी- 897 'डी', पश्चिमः सी-899 डी'।
चूंकि सूचना 17 दिसम्बर, 2019 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।
स्थान: नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 07.01.2020 — टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

इण्डियन ओवरसीज बैंक
राजौरी गार्डन शाखा
एफ-105, बाली नगर, नई दिल्ली-110 015 दूरभाष : 011-25432494

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सूचना के लिए सार्वजनिक सूचना
प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 54) की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत बन्धक अचल सम्पत्ति/यों का विक्रय

जबकि इण्डियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित के अनुसार बैंक के बकायों और ब्याज तथा लागतों की वसूली हेतु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार "जहाँ है वहाँ है" "जो है यही है" "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर इनकी बिक्री के अधिकार सहित निम्नलिखित ऋण खाते में निम्नलिखित सम्पत्ति/यों की बिक्री की सूचना निर्गत की और जबकि बकायों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के परिणामस्वरूप अधोहस्ताक्षरी कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में कथित सम्पत्ति/यों की बिक्री द्वारा बैंक के बकाये की वसूली का प्रस्ताव करता है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेब पोर्टल https://auctions.magicbricks.com के माध्यम से ई-नीलामी प्लेटफॉर्म द्वारा की जायेगी।

कर्जदारों का नाम तथा पता :	मैसर्स इण्टरनेशनल क्वॉयल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : ए-21/24, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया फेज-II, नई दिल्ली -110028. कार्पोरेट कार्यालय : 7वीं मंजिल, बिल्डिंग 9बी, साइबर सिटी, डीएलएफ फेज 3, गुरुग्राम, हरियाणा-122002.
बंधककर्ताओं/जमानतियों के नाम तथा पता :	1. मैसर्स यूनिएयर प्रा.लि. (बंधककर्ता/कार्पोरेट/जमानती) सं. 21/24, ब्लॉक-ए, नारायण इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110028. 2. मैसर्स शुर्कुट हीट ट्रांसफर प्रा.लि. (बंधककर्ता/कार्पोरेट/जमानती) सं. जे-9/55सी, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027. 3.श्री जगजीत सिंह (व्यक्तिगत जमानती/बंधककर्ता) विला सं. 17, तत्वम विलास, जेड ब्लॉक, सोहना रोड, गुरुग्राम-122004. 4. श्री अमरदीप सिंह (व्यक्तिगत जमानती/बंधककर्ता) विला सं. 18, तत्वम विलास, जेड ब्लॉक, सोहना रोड, गुरुग्राम-122004 5. श्री परमजीत सिंह (व्यक्तिगत जमानती) विला सं. 26, तत्वम विलास, जेड ब्लॉक सोहना रोड, गुरुग्राम-122004 6. श्री सुचा सिंह (व्यक्तिगत जमानती) विला सं. 26, तत्वम विलास, जेड ब्लॉक सोहना रोड, गुरुग्राम-122004 7. मैसर्स क्वॉयल कम्पनी लि. (कार्पोरेट जमानती) सं. 21/24, ब्लॉक-ए, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली -110028.
एनपीए की तिथि	31.12.2018
माँग सूचना की तिथि	07.02.2019
माँग सूचना में दावाकृत बकाया	06.02.2019 तक रु. 26,08,87,480.21 (रुपये छब्बीस करोड़ आठ लाख सत्तासी हजार चार सौ अस्सी एवं इक्कीस पैसे मात्र)
कब्जा सूचना की तिथि	24.12.2019
***स्थानीय सरकार का बकाया (सम्पत्ति कर, पानी, सीवरेज, बिजली के बिल आदि)**	क्रेता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
लॉट सं. 1 : ए-21/24, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली पर भूमि तथा फैक्ट्री भवन का इक्विटेबल बन्धक जो इनके सम्बद्ध कम्पनी मैसर्स यूनिएयर प्रा.लि. के नाम पर है, क्षेत्रफल : 575.00 वर्ग गज।
लॉट सं. 2 : जे-9/55 सी, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली पर आवासीय सम्पत्ति का इक्विटेबल बन्धक, श्री जगजीत सिंह तथा श्री अमरदीप सिंह, कम्पनी के निदेशक के स्वामित्व में, क्षेत्रफल : 320.00 वर्ग गज।
लॉट सं. 3 : औद्योगिक सम्पत्ति सं. 77, सेक्टर-6, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा जिसका स्वामित्व मैसर्स शुर्कुट हीट ट्रांसफर प्रा.लि. के पास है, क्षेत्रफल : 1,012.50 वर्ग मीटर (सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे के अधीन है)

आरक्षित मूल्य	लॉट 1 : रु. 975.20 लाख, लॉट 2 : रु. 369.70 लाख, लॉट 3 : रु. 239.39 लाख (समस्त आरक्षित मूल्य में आयकर अधिनियम की धारा 194/ए के अनुसार 1% टीडीएस राशि शामिल है)
नीलामी की तिथि एवं समय	10.02.2020 को 11.00 बजे प्रातः से 01.00 अप. तक विक्रय की समाप्ति तक पाँच मिनट के स्वतः विस्तार सहित
ईएमडी	लॉट 1 : रु. 97.52 लाख लॉट 2 : रु. 36.97 लाख लॉट 3 : रु. 36.97 लाख
संविदा गुणक	रु. 1.00 लाख
स्वतः विस्तार समय	5 मिनट
ज्ञात ऋण भार यदि कोई हो	कोई नहीं
निरीक्षण की तिथि एवं समय	बैंक से पूर्व अनुमति सहित व्यापार घण्टों के दौरान
ईएमडी सहित संविदा हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय	07.02.2020 (05.00 बजे अप. तक)

बैंक के बकाये विधिक बकायों पर वरीय होंगे।
*इस सूचना को कथित ऋण के कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हेतु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिवसीय सूचना के रूप में भी लिया जाये।
नियमों एवं शर्तों के लिए देखें :
htlps://www.iob.in/e-Auctions.aspx htlps://www.publishtenders.gov.in, htlps://auctions.magicbricks.com
सम्पत्ति/ई-नीलामी के निरीक्षण सम्बन्धी अधिक विवरण हेतु इच्छुक संविदाकार शाखा प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, राजौरी गार्डन, एफ-105, बाली नगर, नई दिल्ली-110015 से कार्यालयी घण्टों के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं या श्री क्राइस्थुवराज एम (मुख्य प्रबन्धक) मो. नं. : 9884036103; श्री ए.सी. अट्टल : 8909979989, 011-25105131 या, बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स मैजिकब्रिक्स रिएल्टी सर्विसेज लिमिटेड, नीलामी हेल्प लाइन नं. 9212346000, मोबाइल नं. : 9212346000, श्री मोहित शर्मा : 9837778407, नीलामी हेल्पलाइन ई-मेल : Auction@magicbricks.com तथा mohit.sharma5@ magicbricks.com से सम्पर्क कर सकते हैं।
स्थान : नई दिल्ली — तिथि : 06.01.2020 — अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

वसूली अधिकारी-II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
ई-नीलामी बिक्री सूचना

आर.सी. सं. 268/2018 — **बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स अलकॉम परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स प्रा. लि.** — दिनांकित : 18-12-2019

"आदेश"
मेरे आदेश दिनांकित 18-12-2019 के अनुसार उक्त वसूली प्रमाणपत्र में निम्नवर्णित सम्पत्ति दिनांक 06-02-2020 को सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी :-
नीलामी बिक्री वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" होगी।
नीलामी की तिथि एवं समय : 06-02-2020 को अपराह्न 03.00 बजे और अपराह्न 04.00 बजे के बीच (अपराह्न 04.00 बजे के बाद 5 मिनट के विस्तारों सहित, यदि अपेक्षित है)।

सम्पत्ति का वर्णन

लॉट सं.	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य (रू. में)	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (रू. में)
1.	संपूर्ण भूतल, पहली और दूसरी मंजिल, डब्ल्यू -54 की फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, ग्रेटर कैलाश, भाग-I, नई दिल्ली (मापक्षेत्र 418.06 वर्ग मीटर)।	20,10,00,000/-	2,01,00,000/-

नियम और शर्तें
1. नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टल : www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" होगी।
2. ईएमडी "वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आर.सी. सं. 268/2018 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित खाता - बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, आस्ति वसूली शाखा, एच-2, स्टार हाउस, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, खामा नंबर 610220910000001, आईएफएससी कोड : BKID0006102" में जमा करनी होगी। उक्त डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर, अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का मूल प्रमाण, पहचान पत्र (निर्वाचन आई कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट), जिसमें आगे संचार/पत्रव्यवहार के लिए पता होना चाहिए, की स्व-सत्यापित प्रति तथा पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कोई अन्य दस्तावेज, जो कम्पनी का प्रतिनिधि/प्राधिकार धारक होने की पुष्टि करता है, की प्रति के साथ **वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्

जनसत्ता

7 जनवरी, 2020

परिसर पर हमला

राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार शाम जो हुआ, वह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हर तरफ किस तरह के तत्त्व हावी हो रहे हैं और पुलिस कैसे अराजक तत्त्वों को खुली छूट दे रही है! जिस जेएनयू परिसर में प्रवेश करने तक के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को एक औपचारिक पूछताछ और जांच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसमें पचास से ज्यादा नकाबपोश गुंडे सरियों और डंडे के साथ दाखिल हुए और दो घंटे तक आतंक मचाते रहे। वे लड़कियों के छात्रावासों तक में घुस गए और उन पर जानलेवा हमला किया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके सामने कोई छात्रा है या छात्र या कोई महिला प्रोफेसर, पूरी बर्बरता से उन्होंने डंडों और सरियों से उन्हें मारा-पीटा। नतीजतन, जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष का सिर फट गया, एक महिला प्रोफेसर के अलावा लगभग कई विद्यार्थी बुरी तरह घायल हो गए। अफसोसनाक यह है कि इस आपराधिक घटना को रोकने-टोकने के लिए न जेएनयू के सुरक्षा गार्ड सामने आए, न पुलिस को हस्तक्षेप करना जरूरी लगा।

सवाल है कि सरेआम इस तरह की अराजक हिंसा के बरक्स दिल्ली पुलिस के रवैये को किस तरह देखा जाएगा? क्या यह पुलिस की क्षमता की सीमा है या फिर वह किसी पूर्वाग्रह या अघोषित निर्देश पर काम कर रही थी? जो पुलिस हाल में जामिया मिल्लिया परिसर में कथित हिंसा से निपटने का हवाला देकर बिना किसी हिचक के घुस गई थी और व्यापक पैमाने पर छात्र-छात्राओं को बेहरमी से पीटा था, जेएनयू में घुसे नकाबपोश हमलावरों से निपटना उसे क्यों जरूरी नहीं लगा? हालत यह थी कि जेएनयू के मुख्य गेट के बाहर भी मौजूद अराजक लोग हिंसक नारे लगा रहे थे, परिसर के भीतर घायल विद्यार्थियों और शिक्षकों की मदद के लिए जा रही एंबुलेंस पर तोड़फोड़ कर रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मारपीट कर रहे थे और पुलिस मूकदर्शक खड़ी थी। क्या ऐसे संवेदनशील मौके पर पुलिस की यही भूमिका होती है? इस पूरी अवधि में दिल्ली पुलिस के आयुक्त क्या कर रहे थे? क्या यह समूचा प्रकरण खुद पुलिस आयुक्त की क्षमता पर सवालिया निशान नहीं है?

जेएनयू परिसर में छात्र-छात्राओं पर जानलेवा हमले की जैसी खबरें, ब्योरे और वीडियो सामने आए हैं, वे विचलित करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि सब सुनियोजित तरीके से हुआ। जेएनयू छात्र संघ ने सीधा आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोगों और उनके साथ आए गुंडों पर लगाया। प्रति-आरोप भी हैं। लेकिन घटना के दौरान किसी तरह कैद की गई तस्वीरों और वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं, उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। दूसरी ओर, पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, उसमें आरोपी 'अज्ञात लोग' हैं! हाल में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनों के बाद हिंसा का हवाला देकर पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा दर्ज किया, उसके बरक्स दिल्ली पुलिस के इस रवैये को कैसे देखा जाएगा? पिछले कुछ समय से जेएनयू में चल रही उथल-पुथल और विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये की वजह से पहले ही स्थितियां सहज नहीं थीं! यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जेएनयू परिसर में नकाबपोश गुंडों की शक्ल में जिन्होंने छात्र-छात्राओं पर जानलेवा हिंसा की, अगर ऐसी स्थितियों को तुरंत नहीं रोका गया तो दुनिया भर में देश की साख बेहतर बनाने वाले एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान के सामने चुनौतियां गहरा सकती हैं। इसके लिए नेताओं को भी किसी को 'सबक सिखाने' जैसी भाषा के इस्तेमाल के बजाय देश में सहज शैक्षणिक गतिविधियां और मानवीय जीवन की स्थितियां बनाने में ऊर्जा लगानी चाहिए।

मौत और राजनीति

राजस्थान में कोटा शहर के सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है कि अब जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर से भी दहला देने वाली खबरें आई हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात के अमदाबाद और राजकोट के सरकारी अस्पतालों में दो सौ से ज्यादा बच्चों के मारे जाने की खबर और ज्यादा स्तब्ध कर देने वाली है। हैरानी की बात यह है कि इन राज्यों में शिशुओं की मौत की खबरें जिस तरह छन-छन कर बाहर आ रही हैं, उससे यह साफ हो गया है कि राज्य सरकारों को इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन खबरों को बाहर आने से रोका गया। यह कोई नहीं जानता कि दोनों राज्यों के और जिलों में हालात कितने भयावह होंगे, कितने नवजात दम तोड़ चुके होंगे या नहीं बचने की हालत में होंगे। पिछले कई दिनों से सिर्फ कोटा के अस्पताल में बच्चों की मौत की खबर मीडिया में आ रही थी। लेकिन अचानक से अगर यह पता चले कि बीते दिसंबर में जोधपुर के संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज में एक सौ छियालीस, बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में एक सौ बासठ और उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में एक सौ उन्नीस बच्चे मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर नवजात हैं, तो किसके रोंगटे खड़े नहीं होंगे?

बच्चों का इस तरह से दम तोड़ते जाना बता रहा है कि हमारी सरकारें किस कदर निष्ठुर, निकम्मी और लापरवाह हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि पूरा सरकारी तंत्र आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ गया है। नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि क्या इतने दिनों मुख्यमंत्री को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि उनके गृह जिले में सिर्फ महीने भर में एक सौ छियालीस बच्चे मर चुके हैं! आखिर क्यों नहीं सरकार ने संज्ञान लिया? अगर मुख्यमंत्री के अपने शहर में ऐसा हो रहा है और उन्हें मालूम नहीं है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कैसे और क्या काम कर रही है।

देश के सबसे संपन्न राज्य होने का दावा करने वाले 'वाइब्रेंट' गुजरात ने तो राजस्थान को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले साल दिसंबर में राजकोट के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एक सौ ग्यारह और अमदाबाद के सिविल अस्पताल में अट्ठासी बच्चों की मौत गुजरात के सरकारी अस्पतालों की दयनीय हालत बताने के लिए काफी है। राजकोट के अस्पताल में तो पिछले तीन महीनों से बच्चे मर रहे हैं। अक्तूबर, 2019 में सत्तासी और नवंबर में इकहत्तर बच्चे मर चुके हैं। पर सरकारी तंत्र अपनी नाकामी को छिपाने में कामयाब रहा। विकास के मामले में जिस गुजरात को देश के दूसरे राज्यों के लिए मॉडल के रूप में पेश किया जाता रहा है, वहां बच्चे ऐसे दम तोड़ते रहें और सरकार मामलों को दबाए रहे, यह शर्मनाक है। सबसे ज्यादा अफसोसजनक तो यह है कि गुजरात के उपमुख्यमंत्री ने जहां इसे 'सामान्य' बताने में कोई झिझक महसूस नहीं की, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि उनके राज में मौतें कम हुई हैं, पिछली सरकार के राज में ज्यादा हुई थीं। हालात बता रहे हैं कि सुविधाओं के अभाव में सरकारी अस्पताल खुद दम तोड़ रहे हैं, बच्चों को क्या बचाएंगे! अगर अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, इमारतें जर्जर हैं, दवाइयां-बिस्तर नहीं हैं, तो फिर इन पर खर्च होने वाला पैसा कहां जा रहा है? अगर हम बच्चों को नहीं बचा पाएंगे तो विकास क्या करेंगे? बच्चों की मौतों का बढ़ता आंकड़ा कल्याणकारी सरकारों पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।

कल्पमेधा

विचार का चिराग बुझ जाने से
आचार अंधा हो जाता है।
-विनोबा भावे

रेलवे के कायाकल्प की चुनौती

प्रेमपाल शर्मा

यदि राजनीतिक हस्तक्षेप, मुफ्त यात्रा आदि को हटा लिया जाए तो रेल संगठन आज भी देश के सबसे कुशल संगठनों में गिना जाएगा। इसमें बहुत बड़ा योगदान ब्रिटेन द्वारा स्थापित नियमों, कार्य प्रणालियों का भी है। नकारात्मक बदलाव हुआ है तो राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से। जहां स्टेशन देने की जरूरत नहीं है, वहां राजनीतिक दबाव से देना पड़े, जहां रियायत देने की जरूरत न हो वहां भी देना पड़े तो उसके अंजाम ऐसे होंगे ही।

भारतीय रेल सचमुच में ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। रेल मंत्री ने जो तस्वीर पेश की है, उसके अनुसार रेलवे की आठ सेवाओं की बजाय रेल प्रबंधन सेवा नाम का केवल एक कैडर होगा। रेल मंत्री ने इसकी आवश्यकता इसलिए बताई कि आठ विभाग होने की वजह से कई बार उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा और गुटबाजी चलती रहती है, इससे निर्णय लेने में देरी होती है। एकीकृत सेवा से यह सब खत्म हो जाएगा। दूसरा महत्त्वपूर्ण निर्णय मौजूदा नौ सदस्यों के बोर्ड की बजाय पांच सदस्यों का बोर्ड रहेगा। अभी तक हर सदस्य अपनी तकनीकी योग्यता से जाना जाता था, जैसे- सदस्य इंजीनियरिंग, सदस्य यातायात, सदस्य सिगनलिंग। इसकी बजाय अब चेयरमैन सहित पांच सदस्य होंगे। एक आधारभूत ढांचा जैसे ट्रक सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन को देखेगा यानी सदस्य (इंफ्रास्ट्रचर)। दूसरा सदस्य (परिचालन) और बिजनेस, तीसरा वित्त और चौथा रेल इंजन, डिब्बे, पहिया आदि। शीर्ष पर इन सुधारों के साथ-साथ कुछ और भी सुधार होंगे, जैसे- महाप्रबंधक को प्रोन्नत किया जाएगा सचिव के पद पर। रेल की बढ़ती जिम्मेदारी और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलते वक्त के साथ किसी भी विचार का स्वागत किया जाना चाहिए। इस पर तुरंत कोई निर्णय या फतवा देना जल्दबाजी होगी। वैज्ञानिक सोच तो यही कहती है कि यदि चीजें सुधारने में न आ रही हों तो कोई और रास्ता निकाला जाए। उस रास्ते को आप प्रयोग भी कह सकते हैं।

अच्छी बात है कि रेलवे संगठन में पिछले बीस वर्षों से कई बार ऐसे विकल्पों पर विचार किया गया है और फिलहाल का निर्णय उन्हीं विकल्पों में से कुछ-कुछ सूत्र लेकर घोषित हुआ है। इस समय घोषित होने का कारण यह भी हो सकता है कि पिछले वर्ष रेलवे की कमाई और लागत का अनुपात (ऑपरेटिंग रेशो) और बिगड़ा है। अनठानवे रुपए खर्च करके सौ रुपए कमाए जा रहे हैं। पिछले बजट में भविष्य के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनको पूरा करने के लिए अगले बारह साल में पचास लाख करोड़ रुपए चाहिए। पटरियों को सुधारना है, सिगनल प्रणाली को आधुनिक बनाना है, ज्यादातर मार्गों पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ानी है, कश्मीर और पूर्वोत्तर में विस्तार करना है आदि।

इससे पहले वर्ष 1994 में प्रकाश टंडन कमेटी ने भी कुछ ऐसे ही सुझाव दिए थे, जिसके अनुसार रेल सेवाओं को टेक्निकल (तकनीकी) और नॉन-टेक्निकल (गैर-तकनीकी) नाम से केवल दो समूहों में रखा जाए। उसके बाद सन 2000 में राकेश मोहन कमेटी ने भी विभागों की आपसी लड़ाई को रेलवे की कार्यकुशलता में बाधक माना था। उन्होंने भी टंडन कमेटी के सुझावों को और आगे बढ़ाते हुए कहा था कि डीआरएम लेवल तक विभाग अलग रहे, उसके बाद उन सबको जनरल मैनेजमेंट में शामिल किया जाए। विवेक देवराय और सैम पित्रोदा समितियों ने भी अकाउंटिंग प्रोसीजर, जनरल मैनेजर को और शक्ति देने के साथ-साथ सुरक्षा और भर्ती के बारे में बहुत सारे सुझाव दिए थे।

पहले इसके कुछ खतरों या चुनौतियों की बात करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से चुने हुए सर्वश्रेष्ठ मेधावी नौजवान भारतीय रेल में आते हैं। इनमें यातायात, कार्मिक, लेखा सेवाओं में सिविल सेवा परीक्षा से और तकनीकी यानी सिविल, सिग्नल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा से आते हैं। दोनों में ही पिछले कुछ वर्षों से लगभग पचास फीसद आइआइटी से निकले हुए छात्र होते हैं। कोई अंतर नहीं होता इनकी मेधा, कार्यक्षमता और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में। रेलवे एक तकनीकी विभाग है, इसलिए किसी को भी शीर्ष पर बाहर से बिठाने से और नुकसान हो सकता है।

बड़ा प्रश्न यह है कि यदि एक प्रबंधन सेवा होगी तो उसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी? रेल में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों ही अधिकारियों की जरूरत है और यह सिर्फ एक परीक्षा से संभव नहीं है। अच्छा हो कि फिलहाल भर्ती की प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग के तहत कुछ वर्षों तक ज्यों की त्यों रखी जाए, रेलवे में सेवा के पांच वर्षों के बाद पर्याप्त प्रशिक्षण से एक कैडर हो। यह सरकार की मौजूदा सोच से भी मेल खाता है कि आपकी अभिरुचि या सामर्थ्य दक्षता क्या है, उसके आधार पर कैडर या मैनेजमेंट सेवा में उन्हें उचित पद दिए जाएं। लेकिन इसके बजाय अगले ही वर्ष प्रबंधन सेवा के नाम से भर्ती की जल्दबाजी, उसकी परीक्षा का प्रारूप बनाना आदि से चीजें और बिगड़ सकती हैं। उम्मीद है कि सचिवों की समिति और मंत्री समूह इस बात को ध्यान में रखेंगे। कार्मिक मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी मुश्किलें नहीं आएंगी। इस बीच में दुनिया के अनुभवों से सीखते हुए भर्ती प्रक्रिया के और विकल्पों पर विचार जारी रह सकता है।

बोर्ड का पुनर्गठन भी एक नई चुनौती पैदा करेगा, क्योंकि अभी तक तो वे अपनी-अपनी सेवाओं की वरिष्ठता के हिसाब से शीर्ष पर सीधे पहुंच जाते थे। उसका भी एक बुरा पहलू यह है कि आपकी कार्यक्षमता से ज्यादा से महत्त्वपूर्ण है आपकी जन्मतिथि। आधुनिक प्रबंधन में भारतीय रेल के लिए यह बहुत घातक साबित हो रहा है। अपनी कम उम्र की तड़ी में कुछ तो सेवा शुरू होने के वक्त ही बोर्ड के सदस्य के नशे में रहने लगते हैं बिना अपनी क्षमताओं को बढ़ाए। यूरोप के देशों में या दुनिया के तेजी से बढ़ते संगठनों में उम्र और वरिष्ठता इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपका योगदान और संगठन को आगे बढ़ाने की क्षमता। विभागीय खींचतान और अपने-अपने खांचे-सांचे में आत्मकेंद्रित रहने या गिरोह बनाने की जहां तक बात है, इसमें जरूर कुछ सच्चाई है। लेकिन समाज के किस स्तर पर ऐसा नहीं है? रेलवे की गंभीर दुर्घटनाओं के बाद ये विभागीय आरोप बार-बार साबित हुए हैं। इसकी बुनियाद तो दरअसल राजनीतिक सत्ता में है जो इसी के बूते पर शासन कर रही है। रेलवे अधिकारियों को पूरा दोष देना सही नहीं होगा।

कुछ और पक्षों पर विचार करने से पहले यदि दिल्ली मेट्रो जैसे विकल्प की तरफ बढ़ा जाए तो अच्छा रहे। दिल्ली मेट्रो ने परिवहन व्यवस्था में पूरे भारत के द्वार खोले हैं। उसके संगठन, कार्य-संस्कृति, अनुशासन, नई सोच, बदलाव के निर्णय से सीख लेने की जरूरत है। वह पूरी तरह सरकारी नहीं है, लेकिन सरकार के अधीन भी है, किसी निजी कंपनी की मनमानी नहीं है। उसमें भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार और जापानी सरकार का भी कुछ हस्तक्षेप और नियंत्रण है। बुनियादी फर्क यह है कि उसमें राजनीतिकों का हर पल गैरजरूरी हस्तक्षेप कम से कम है। रेलवे की यूनियन, संगठन का रेलवे के लिए योगदान कम नहीं है, लेकिन अनुशासन हीनता के लिए भी ये उतने ही जिम्मेदार हैं। कायाकल्प की जरूरत तो रेल यूनियन और संगठनों को भी है। यदि राजनीतिक हस्तक्षेप, मुफ्त यात्रा आदि को हटा लिया जाए तो रेल संगठन आज भी देश के सबसे कुशल संगठनों में गिना जाएगा। इसमें बहुत बड़ा योगदान ब्रिटेन द्वारा स्थापित नियमों, कार्य प्रणालियों का भी है। नकारात्मक बदलाव हुआ है तो राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से। जहां स्टेशन देने की जरूरत नहीं है, वहां राजनीतिक दबाव से देना पड़े, जहां रियायत देने की जरूरत न हो वहां भी देना पड़े तो उसके अंजाम ऐसे होंगे ही।

भारतीय रेल देश की धमनी के रूप में जानी जाती है, उसे और स्वस्थ और कुशल बनाने की जरूरत है। इतने विशाल देश का परिवहन एक मजबूत रेल नेटवर्क से ही संभव है। इक्कीसवीं सदी और समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप इसे बदलना ही होगा। पचास के दशक की समाजवादी नीतियां, अधिकारियों की फिजूलखर्ची, सामंतवादी सोच, लालफीताशाही से यह नहीं सुधर सकती। और न कॉरपोरेट पूंजी के सिर्फ मुनाफा कमाने के औजार के रूप में इसे बर्बाद करने की इजाजत दी जा सकती है।

जड़ता का समाज

अनीता यादव

दुनिया मेरे आगे

कुछ वक्त पहले एक मित्र के घर जाना हुआ। हाल ही उनके घर में लड़की का जन्म हुआ था। नवजात बच्ची की प्यारी-सी मुस्कान व्यक्ति के जन्मों का दर्द हर लेने को काफी थी। छोटी-छोटी आंखों से अभी वह दुनिया को ढंग से देख भी नहीं पा रही थी। फिर जीवन में सपनों का बुनना तो अभी दूर था। इसी के समकक्ष बच्ची के आसपास कुछ ऐसा भी था जो डरा और सहमा था। बच्ची की मां का चिंता से भरा चेहरा और पिता के माथे पर पड़े बल माहौल को गंभीर करने को काफी थे। एकबारगी मुझे लगा कि समाज में लड़की का जन्म बोझ स्वरूप माना जाता है, उसी का प्रभाव इस माता-पिता के चेहरे पर चस्पां है। लेकिन जिक्र करने पर पता चला कि मामला लड़की के पैदा होने का नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा का है। फिर मित्र ने जो कुछ मुझे बताया, उसका लब्बोलुआब था कि उनके पति ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा था कि बच्ची को लेकर कोताही नहीं बरतनी है। चाहे आस-पड़ोस हो या घर-परिवार या फिर नाते-रिश्तेदार, किसी भी पुरुष के पास बिटिया को अकेले नहीं छोड़ना है। इसे हम नवजात कन्या शिशु के पिता की चिंता मात्र नहीं कह सकते, बल्कि विश्रृंखल और विद्रूप होते संबंधों को यह एक वैधानिक चेतावनी भी है। साथ ही हमारे कुरूप होते समाज का प्रतिबिंब भी आसानी से देख सकते हैं।

आदिम विकास के शुरुआती चरणों में समाज या राज्य हमारी सुरक्षा के रूप में जन्मा था, जिसके बदले आम नागरिक को राज्य द्वारा निर्मित नियम-कायदे और कानून का पालन करना अनिवार्य भी था। बदले में व्यक्ति की सुरक्षा समेत उसके चहुंमुखी विकास की अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराना राज्य का कर्तव्य था। यानी सुरक्षा का नैतिक दायित्व समाज और राज्य के कंधों पर शुरुआती दौर से ही रहा है। आज हम सामाजिक, आर्थिक विकास से लेकर तकनीकी विकास के उच्चतम पायदान चढ़ चुके। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक संबंधों के मामले में हम सबसे निम्नतम पायदान पर आ चुके।

आज हम जिस दौर में पहुंच चुके हैं, वह आत्मिक और मानवीय संबंधों की दृष्टि से बेहद संवेदनहीन है। कंप्यूटर से स्मार्टफोन की यात्रा तक हमने आखिर क्या हासिल नहीं किया? घर बैठे एक क्लिक पर खरीदारी से लेकर शेयर बाजार तक, रोजमर्रा के सामान से लेकर यात्रा टिकट, टैक्सी- सब हमारी उंगली के नीचे समा गए हैं। इसके बावजूद हम महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व तक ढंग से नहीं संभाल पा रहे। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर हमारे जन प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं। जीतते भी हैं, लेकिन चुनावी वादे खोखले साबित होते हैं। कहा गया है कि किसी समाज की असली तस्वीर जाननी है तो उस समाज में महिलाओं की स्थिति देखनी चाहिए। यानी समाज में महिलाओं की अच्छी और खराब स्थिति समाज की उत्कृष्ट और अवनति।

आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। एसिड अटैक या तेजाबी हमले से लेकर अपहरण, सामूहिक बलात्कार, यौन शोषण सरीखे जघन्य अपराध कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। ये अपराध महिलाओं के न केवल आत्मसम्मान को तार-तार करते हैं, बल्कि तन, मन को क्षत-विक्षत कर समाज में सम्मानजनक जीवन से भी महरूम कर देते हैं। ऐसी कुत्सित मानसिकता की शिकार छह महीने की बच्ची से लेकर नब्बे साल की बुजुर्ग तक हैं। हम न केवल उनकी सुरक्षा में नाकाम हैं, बल्कि न्याय प्रणाली की लंबी और जटिल प्रक्रिया भी इसकी जिम्मेदार है। घटना के सालों बाद भी अपराधी को सजा नहीं मिल पाती। यह कहने में गुरेज नहीं कि न्याय व्यवस्था की कमजोरी ही हर रोज नए अपराधियों को पैदा होने के लिए कहीं न कहीं मानसिक आधार मुहैया करा रही है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व शासन-प्रशासन पर है। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। न केवल अपराधों पर लगाम, बल्कि जो घटनाएं हो चुकीं, उनमें पीड़ित को शीघ्र न्याय दिलाने का नैतिक दायित्व भी हमारी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के जिम्मे है।

सिमोन कहती हैं कि लड़कियां पैदा नहीं होती बनाई जाती हैं। वैसे ही अपराधी भी पैदा नहीं होते, बल्कि बनाए जाते हैं। बनने की इस प्रक्रिया को हमें रोकना होगा। घरों में लड़कों की परवरिश की तरफ ध्यान देना होगा, जिसमें मां और परिवार की भूमिका सर्वाधिक है। स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता, स्नेह और सम्मान जैसे भाव लड़कों में शिशुपन से ही परवरिश के दौरान भरने होंगे। आज भी समाज में खान-पान को लेकर लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि परिवार से लेकर सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक जननायकों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को महिलाओं के प्रति न केवल लिंग आधारित भेदभाव, सुरक्षा खामियों को दूर करने, न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, बल्कि उन्हें समाज में सहज रूप से जीवनयापन की अनुकूल स्थितियां उपलब्ध कराने की जिम्मेदारियों को सहर्ष उठाना होगा। अब इन विषयों पर न केवल विचार करना, बल्कि क्रियात्मक होना होगा। महिलाओं के प्रति समाज की संवेदनशीलता ही सही रूप में किसी समाज के विकास की साधक होगी।

स्वनिर्मित गैस चैंबर

बहुत जल्दी थी तो अब सुकून की तलाश क्यों? विकास की अंधी दौड़ ने, जीने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व हवा को ही ताक पर रख दिया है। वृक्षों को काट कर सड़कें चौड़ी हो रही हैं, कंक्रीट के जंगल उगाए जा रहे हैं, उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है। इस सबके बीच दिल्ली की हालत हिटलर के गैस चैंबर की याद दिला रही है अंतर बस इतना है कि यह चैंबर हम अपने लिए खुद तैयार कर रहे हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों का सैकड़े में जाना खतरनाक स्थिति माना जाता है लेकिन अब तो तकरीबन हर साल राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक चार सौ से पांच सौ अंकों तक अक्सर पहुंच जाता है।

किसी पदार्थ को जला कर नष्ट करना सबसे आसान तरीका है। इसी कारण रोक के बावजूद हर साल बड़े पैमाने पर पराली को जलाया जा रहा है। वैसे केवल पराली इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे अस्सी लाख दोपहिया और करीब छत्तीस लाख चौपहिया वाहन भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक परिवहन सुलभ होने के बावजूद कार से यात्रा करना अपनी सामाजिक हैसियत को दर्शाने का माध्यम होने के कारण वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बन रहा है। दिल्ली वाले दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल कम करेंगे तो भी वहां की जनसंख्या इतनी अधिक है कि पटाखों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। बाकी कसर दिल्ली के उद्योग, वातानुकूलन के साधन और प्रशीतक पूरी कर दे रहे हैं।

वायु प्रदूषण न केवल उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और जीव-जंतुओं, बल्कि अजन्मे बच्चों को भी अपनी जद में ले रहा है। बेल्जियम में हुए एक शोध में पाया गया कि मां के सांस के साथ भीतर गए ब्लैक कार्बन के कण उनके अजन्मे बच्चों के शरीर में भी पहुंच रहे हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर -2019 के अध्ययन के अनुसार भारत में 12.4 लाख लोग हर वर्ष इसका शिकार बन जाते हैं। आखिर हवा में कब तक जहर घोलते रहेंगे हम?

● *भावेश प्रताप सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय*

हठ से इतर

पिछले दिनों अमेरिकी सेना ने इराक के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया जिसमें ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी और उनके कई अहम सहयोगियों की मृत्यु हो गई। दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच कई मुद्दों पर टकराव है जिसके चलते दोनों के संबंध दिनोंदिन खराब होते जा रहे हैं। 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका का खुद को अलग करना, ईरान पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाना और उसके सैन्य अड्डों की ड्रोन द्वारा जासूसी कराना- यह सब अमेरिका के हठ को दर्शाता है।

इस सबके बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो उसका असर संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बिरादरी पर होगा। विशेषज्ञों की मानें तो इस युद्ध से विश्व में कच्चा तेल महंगा होने की आशंका है। लिहाजा, अमेरिका और ईरान के मध्य वैमनस्य को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए और दोनों देशों को भी अपने हठ से इतर वार्ताओं के लिए दरवाजे खोलने चाहिए।

● *मोहम्मद शायान, कैराना, उत्तर प्रदेश*

जानलेवा लापरवाही

राजस्थान में कोटा के अस्पताल में सौ से अधिक बच्चों की मौत की खबर से मन सिहर उठा। आखिर सरकारी व्यवस्था की लापरवाही सैकड़ों बच्चों को लील गई। हद तो तब हो गई जब राज्य सरकार ने जवाबदेही तक तय नहीं की। और तो और, पक्ष-विपक्ष राजनीति करने तथा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में लग गए। क्या बच्चों की मौत पर राजनीति करना उचित है? अच्छा होता, वे दुखी परिवारों के बीच जाकर उन्हें ढांढस बंधाते।

● *पूनम चंद सीरवी, कुक्षी, मध्यप्रदेश*

इंसाफ की राह

चार जनवरी को एक उन्मादी ननकाना साहब (पाकिस्तान) पर भीड़ लेकर हमला करता है, वहां से सिखों को खदेड़ने का आह्वान करता है, ननकाना साहब का नाम बदल कर गुलाम-ए-मुस्तफा करने की धमकी देता है, और कहता है कि वहां के ग्रंथी की पुत्री, जिसे उसके भाई ने चार महीने पहले अगवा कर मुसलिम बना दिया था, कभी वापस नहीं दी जाएगी। उसने ऐलान किया कि 'उसका निकाह रद्द नहीं हो सकता'। इसके अगले ही दिन किसी राजनीतिक की तरह पलटी मारते हुए वह कहता है कि सिख तो उसके भाई हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं हो सकती! अपनी शब्दावली में वह माफी भी मांग लेता है। अलबत्ता लड़की अब भी नहीं लौटाई जाएगी। वह तो 'स्वेच्छा से' मुसलिम बनकर उसके भाई की बेगम बन चुकी!

पाकिस्तान में यह स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकारने वाली गैर-मुसलिम लड़कियों की न सिर्फ संख्या बढ़ रही है, बल्कि उनकी वापसी की राह बंद होने का सिलसिला भी बरकरार है। वहां न्यायपालिका से भी इन लड़कियों और उनके माता-पिताओं को न्याय नहीं मिलता। 2014-15 में सिंध की तीन नाबालिग हिंदू बहनों- लता कुमारी, रिंकल कुमारी और आशा कुमारी, जिनका जबरिया धर्मांतरण कर निकाह कर दिया गया था, का मामला लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता व सांसद दिवंगत अस्मा जहांगीर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। वहां खुद मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद इफ्तखारुद्दीन ने इंसाफ का विद्रूप नाटक कर तीनों को उनके अपहर्ताओं को ही सौंप दिया था। न तो उन्हें अपने माता-पिता से मिलने दिया गया, न बात करने दी गई।

इतना ही नहीं, बुरका-बंद बहनों की पहचान भी उजागर नहीं होने दी गई। अस्मा ने कहा था कि ये इंसाफ अन्याय से भी बदतर है! तीनों के माता-पिता दहाड़ मार कर रोते-पीटते कोर्ट से लौटे। ऐसे लोग भारत में पनाह नहीं मांगेंगे तो और क्या करेंगे! लेकिन क्या उनके अपहर्ताओं-उत्पीड़कों को भारत अपने यहां बुलाएगा, बसाएगा? नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की आवश्यकता को इन घटनाओं से समझने की कोशिश की जानी चाहिए।

● *पूनम मित्तल, मेरठ*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

जरा हट के

मुंबई में फिल्म 'मलंग' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी, एली अवराम और अमृता खानविलकर तस्वीर खिंचवाती हुई।

बोल

किम को कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। उनका देश उत्तर कोरिया के साथ शांति चाहता है न कि विवाद।
-माइक पोम्पिओ, अमेरिकी विदेश मंत्री

विवाद

हमारे किसी भी प्रतिष्ठान में किसी की भी जान जाने या किसी भी प्रकार की क्षति के लिए ईरान पूरी ही तरह जिम्मेदार होगा। उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह धमकी नहीं, खतरा है।
-डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति

सम-सामयिक

चावल निर्यात : अफ्रीकी बाजार में भारत को चीन से कड़ी चुनौती

जनसत्ता संवाद

अफ्रीकी देश गैर-बासमती चावल के लिए भारत के सबसे बड़े बाजार रहे हैं, लेकिन इन देशों में चीन का चावल पहुंचने से भारत के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। अब तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक रहा है और दूसरे, तीसरे व चौथे नंबर पर क्रमशः थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान आते हैं। लेकिन चीन ने भारी मात्रा में अफ्रीकी बाजारों में अपना चावल उतारा है।

दरअसल, चावल का आयातक देश चीन निर्यातक बन गया है और वह सस्ते दर पर चावल का अपना पुराना स्टॉक विदेशी बाजारों में उतार रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के एक अधिकारी के मुताबिक, 'चीन के लोग लसलसा चावल यानी स्टिकी राइस खाना पसंद करते हैं। लेकिन भंडार में रखा हुआ चावल जब पुराना हो जाता है तो उसमें लसलसापन नहीं रह जाता है। यही कारण है कि चीन अपने गोदामों में पड़ा पुराना चावल विदेशों में बेच रहा है।' छह महीनों में चीन के सरकारी गोदामों से तकरीबन 30 लाख टन चावल अफ्रीकी बाजारों में निर्यात किया जा चुका है।

भारत से करीब 400 डॉलर प्रति टन की दर पर गैर-बासमती चावल निर्यात किया जाता है। लेकिन चीन इससे काफी कम कीमत पर चावल उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में भारत के सामने प्रतिस्पर्धा में बने रहना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहां धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ज्यादा होने के कारण चावल महंगा है। इस कारण इस साल गैर-बासमती चावल के निर्यात में कमी आई है। चीन 300 डॉलर से 320 डॉलर प्रति टन की दर से चावल (गैर-बासमती) का निर्यात कर रहा है।

देश में सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बड़े पैमाने पर धान खरीद करती है, जिसका चावल बनाकर भंडारण किया जाता है और इस भंडार के एक बड़े हिस्से का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए सस्ती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराने में होता है। एफसीआइ के गोदामों में दिसंबर 2019 के दौरान 212.79 लाख टन चावल और 259.11 लाख टन धान का भंडार उपलब्ध था।

वित मंत्रालय को देश के चावल निर्यातकों ने सुझाव दिया है कि सरकार को भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआइ के गोदामों में पड़ा पुराने चावल का स्टॉक उसी तर्ज पर निकालना चाहिए, जिस तर्ज पर चीन निकाल रहा है। चावल निर्यातक चाहते हैं कि सरकार एफसीआइ के पास पड़े चावल के अतिरिक्त भंडार को सस्ते दाम पर निर्यात करे। इस बीच, अमेरिका- ईरान के बीच ताजा तनाव के मद्देनजर भारत से ईरान को बासमती चावल का निर्यात रोक दिया गया है। अफ्रीका से मिल रही चुनौती के बीच इसे दोतरफा मार बताया जा रहा है। घरेलू व्यापार संगठन ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने निर्यातकों से कहा है कि जब तक हालात सामान्य न हो जाएं, तब तक वे ईरान को बासमती चावल का निर्यात रोक दें। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने कुल 32,800 करोड़ रुपए का बासमती चावल निर्यात किया था, जिसमें से लगभग 10,800 करोड़ रुपए कीमत का चावल ईरान को निर्यात किया था।

भारत का घटता निर्यात

अब तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक रहा है। लेकिन भारत से गैर-बासमती चावल का निर्यात जिस तरह घट रहा है, उससे शीर्ष निर्यातक का ओहदा छिन भी सकता है। चालू वित्त वर्ष में भारत का गैर-बासमती चावल निर्यात शुरुआती आठ महीनों में पिछले साल के मुकाबले 35 फीसद से ज्यादा घट चुका है। वर्ष 2019 के अप्रैल से नवंबर के दौरान भारत ने 9,028.34 करोड़ रुपए के गैर-बासमती चावल का निर्यात किया। जबकि 2018 में यह 14,059.51 करोड़ रुपए था।

शोध

गगनयान : अंतरिक्ष यात्रियों को मिलेगा घर का खाना

जनसत्ता संवाद

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) साल 2021 में अपना पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान भेजने वाला है। इसके लिए इसरो ने देशभर से चार लोगों का चुनाव किया है जो इस मिशन के जरिए चांद पर जाएंगे। ये अंतरिक्ष यात्री इस महीने के तीसरे सप्ताह में विशेष प्रशिक्षण के लिए रूस जाने वाले हैं। इसी बीच यह खबर आई है कि इन अंतरिक्ष यात्रियों को अब अंतरिक्ष में भी घर जैसा खाना खाने को मिलेगा। यही नहीं अंतरिक्ष यात्री अपने खाने का चुनाव भी कर सकेंगे यानी वे चुन सकेंगे कि उन्हें शाकाहारी खाना खाना है या फिर मांसाहारी। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भी गर्मागर्म खाने का स्वाद ले सकेंगे।

मैसूर में रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल) ने इस अंतरिक्ष मिशन के दौरान खाने के लिए 22 तरह के पकवान बनाए हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात के खाने के मेन्यू में 22 भारतीय व्यंजनों और फलों के रस को शामिल किया गया है। खाने के मेन्यू में शाकाहारी से लेकर मांसहारी और स्नैक्स का विकल्प मौजूद है। खाने में हल्का-फुल्का खाना, ज्यादा ऊर्जा वाला खाना, ड्राई फ्रूट्स और फल भी शामिल हैं।

खाने में दाल, आलू पराठा, पुलाव, बादाम, एग रोल, चिकन रोल, चिकन करी, पालक पनीर, उपमा, इडली, सांभर आदि को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। वहीं पेय पदार्थ के रूप में चाय, कॉफी और फ्रूट जूस पाउडर दिए जाएंगे। खाने की इन चीजों को जांच के लिए इसरो भेज दिया गया है। मेनू का परीक्षण आइएएफ के चार प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्रियों पर किया जाएगा। फीडबैक के आधार पर खाने में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। डीएफआरएल के निदेशक डॉ. अनिल दत्त सेमवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'खाने के ये सभी सामान एस्ट्रोनॉट्स खाकर देखेंगे क्योंकि इनका चुनाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि उन्हें ये कितने अच्छे लगते हैं। इसरो की एक टीम इनकी जांच करेगी।'

उन्होंने कहा, 'एस्ट्रोनॉट्स के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना बनाया गया है। इन्हें गर्म करके खाया जा सकता है। हम भारतीय गर्म खाना पसंद करते हैं। हम खाना गर्म करने के लिए एक उपकरण भी दे रहे हैं जिसके जरिए लगभग 92 वॉट बिजली से खाना गर्म किया जा सकता है। ये उपकरण खाने को 70 से 75 डिग्री तक गर्म कर सकता है।' अनिल दत्त सेमवाल ने यह भी कहा, 'ये खाना स्वस्थ है और एक साल तक चल सकता है. वे (इसरो) मटन या चिकन चाहते हैं। हमने चिकन करी और बिरयानी दी है। वे बस इसे पैकेट से निकालकर, गर्म करके खा सकते हैं।'

गर्मागर्म खाने के साथ अंतरिक्ष यात्री स्नैक्स भी खा सकेंगे। इसकी जानकारी देते हुए अनिल सेमवाल ने कहा, 'हमने अनानास और कटहल जैसे स्नैक्स भी दिए हैं। यह स्नैक्स के लिए एक बहुत ही स्वस्थ विकल्प है। हम सबकुछ रेडीमेड दे रहे हैं जैसे सांबर के साथ इडली। इसमें आप पानी डालकर खा सकते हैं।' उन्होंने कहा कि हालांकि एक बार पैकेट खुलने के बाद उसे 24 घंटों के अंदर खाना होगा। इस खाने को आधा खाकर नहीं रखा जा सकता।

डीएफआरएल में अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किया गया हर खाना नासा द्वारा तय कड़े मानदंडों के अनुसार बनाया गया है। जब अंतरिक्ष यात्री खाने के पैकेट खोलते हैं, तो उनके आसपास कोई रोगाणु नहीं होने चाहिए। अंतरिक्ष के खाने के बहुत विशिष्ट मानदंड होते हैं। अंतरिक्ष में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ उस खाने से काफी अलग होते हैं जिन्हें सियाचिन में सैनिकों को दिया जाता है जो धरती का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और जहां पर भारत और पाकिस्तान 1984 में लड़ चुके हैं।

डीएफआरएल ने 1984 में अंतरिक्ष मिशन में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा के लिए भी खाना तैयार किया था। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाना बनाने में इस संस्था को विशेषज्ञता हासिल है।

गगनयान मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भी घर जैसा खाने का आनंद ले सकेंगे। यह खाना मैसूर में रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल) ने तैयार किया है। इसमें 22 भारतीय व्यंजन शामिल हैं।

फाइल फोटो

डीएफआरएल रसोई में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन तैयार करते वैज्ञानिक।

विश्व परिक्रमा

सोमालिया : ट्रक बम विस्फोट में 76 की मौत

रविवार, 29 दिसंबर : सोमालिया की राजधानी में एक सुरक्षा जांच चौकी एवं कराधान कार्यालय पर शनिवार सुबह हुए एक ट्रक बम विस्फोट में कम से कम 76 लोग मारे गए। यह हमला हाल के वर्षों में मोगादिशु में हुए भीषणतम हमलों में से एक है।

नौसेना ने 14 भारतीय को किया गिरफ्तार

सोमवार, 30 दिसंबर : श्रीलंकाई नौसेना ने कम से कम 14 भारतीय मछुआरों को कथित रूप से उसकी जलसीमा में प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया है और उनके तीन जाल वाले जहाजों को जब्त कर लिया। ये गिरफ्तारियां शनिवार को डेल्फ्ट द्वीप के उत्तर में समुद्र में की गईं।

अफगानिस्तान में नहीं होगा संघर्षविराम

मंगलवार, 31 दिसंबर : तालिबान ने अफगानिस्तान में किसी भी तरह के संघर्ष विराम पर सहमत होने संबंधी खबरों को सोमवार को खारिज कर दिया। अफगानिस्तान में हिंसा समाप्त करने के लिए अमेरिका-तालिबान वार्ता फिर शुरू होने के बीच विद्रोहियों का यह बयान आया है।

कासिम सुलेमानी

बांग्लादेश में मोबाइल नेटवर्क पर रोक

बुधवार, 1 जनवरी : बांग्लादेश सरकार ने भारत के साथ लगे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मौजूदा परिस्थितियों में मोबाइल नेटवर्क पर अस्थायी रोक लगा दी है। ढाका ट्रिब्यून ने बीटीआरसी के अधिकारी के हवाले से कहा कि करीब दो हजार बेस ट्रांसीवर स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। इससे इस क्षेत्र के करीब एक करोड़ लोग प्रभावित होंगे।

उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षणों पर लगी रोक हटाई

गुरुवार, 2 जनवरी : उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों पर लगी रोक हटाने का एलान किया और जल्द नए सामरिक हथियार के प्रदर्शन की धमकी दी है।

किम जोंग ने दी चेतावनी

शुक्रवार, 3 जनवरी : उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका के साथ रुकी हुई परमाणु वार्ता पर गहरी निराशा जताते हुए 'चौंकाने वाली' कार्रवाई करने की चेतावनी दी और कहा कि उनका देश जल्द ही दुनिया के सामने एक नए 'सामरिक हथियार' का खुलासा करेगा।

ईरान के शीर्ष कमांडर की मौत

शनिवार, 4 जनवरी : इराक की राजधानी बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शुक्रवार को अमेरिकी हमले में ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। ईरान और अमेरिका ने इस सूचना की पुष्टि की है। हमले में शिया मिलिशिया हाशेद अल-शाबी का उपप्रमुख भी मारा गया।

जानें-समझें

जनरल सुलेमानी की हत्या

ईरान संकट से उपजे बड़े सवाल

दीपक रस्तोगी

नया साल 2020 और नया दशक मध्य पूर्व में उभरते नए संकट के साथ शुरू हुआ है। ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को दो जनवरी को बगदाद हवाई अड्डे के नजदीक अमेरिकी सेना ने ड्रोन हमले में मार डाला। इसके के बाद मध्य पूर्व में अशांति और तनाव बढ़ने लगा है। भारत के संदर्भ में बड़ा सवाल यह है कि इस हंगामे के आर्थिक और रणनीतिक सवाल क्या होंगे। कई सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को लेकर भी उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 2012 में हुए हमलों में भी सुलेमानी का हाथ था।

दिल्ली में हमलों के दावे की हकीकत

ट्रंप ने हालांकि अपने बयान में भारत में सुलेमानी के हमले के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा नई दिल्ली में 13 फरवरी 2012 की उस वारदात की ओर था, जिसमें एक इजरायली राजनयिक की गाड़ी को उड़ा दिया गया था। इसमें उनकी पत्नी और ड्राइवर जख्मी हो गए थे। कार में चुंबक के सहारे बम फिट किया गया, जिसकी गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाई और न ही भारत ने कभी उसके पीछे ईरान का हाथ बताया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि तेहरान में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मुस्तफा अहमदी रोशन की हत्या के बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने विस्फोट कराए। इस मामले में एक भारतीय पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी को पकड़ा गया, लेकिन अदालत ने जमानत दे दी। जिन अन्य पांच के नाम सामने आए, वे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्य थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया।

आर्थिक सुस्ती के बीच नई चुनौती

एक वक्त था जब ईरान भारत का मुख्य तेल आपूर्तिकर्ता था, लेकिन अमेरिका के दबावों की वजह से नई दिल्ली को तेहरान से तेल आयात को तकरीबन खत्म करना पड़ा। इस बीच अमेरिका बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश के तौर पर उभरा है। भारत की तेल जरूरतों के करीब 10 फीसद की आपूर्ति अमेरिका से होती है जबकि ईरान से आपूर्ति लगभग शून्य तक पहुंच गया है। सुलेमानी की हत्या की खबर के बाद कच्चे तेल की कीमत में चार फीसद का उछाल आ गया। सोने-चांदी की कीमत बढ़ गई। 2019 में कच्चा तेल लगभग 35 फीसद महंगा हो चुका है। भारत अपनी जरूरत का 83 फीसद तेल आयात करता है। जाहिर है, इन हालात में पहले से आर्थिक सुस्ती का सामना कर रही सरकार का सिरदर्द बढ़ सकता है।

खाड़ी में रणनीतिक हित

अमेरिका, भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, लेकिन ईरान के साथ इसका आर्थिक-सभ्यतागत संबंध है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में ईरान और अमेरिका दोनों को साधने की कोशिश की। भारत सरकार ने कहा, 'जरूरी है कि हालात काबू से बाहर नहीं जाएं। भारत ने लगातार संयम बरतने को तवज्जो दिया है और आगे भी यही करेगा।' दरअसल भारत को अब चाबहार में अपने हितों को लेकर अमेरिका को आश्वस्त करने के लिए मशक्कत करनी होगी। चाबहार पर भारत को छूट देने को लेकर अमेरिका के एक अधिकारी ने पिछले महीने कहा था कि इससे भारत अफगानिस्तान में जरूरी सामानों को निर्यात करने में सक्षम होगा जो काबुल के भी हित में है। अगर खाड़ी में तनाव बढ़ता है तो चाबहार परियोजना पर ग्रहण लग सकता है। दूसरे, खाड़ी में भारत के करीब 80 लाख लोग काम करते हैं। ये भारत के लिए विदेशी पूंजी का एक बड़ा स्रोत भी हैं। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने पर इन लोगों के वहां फंसने की आशंका भी रहेगी।

ईरान के साथ रिश्तों की नाजुक डोर

अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान के साथ भारत के रिश्ते पहले ही नाजुक दौर में हैं। अमेरिका की ताजा कार्रवाई से महज दो हफ्ते पहले ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर तेहरान गए थे। इस दौरान दोनों ही देश चाबहार बंदरगाह परियोजना को तेजी देने पर सहमत हुए थे। ईरान के साथ संबंध रखने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिका ने भारत को चाबहार को विकसित करने की इस शर्त पर 'छूट' दी है कि ईरानी सेना रिवोलूशनरी गार्ड्स इस परियोजना में शामिल न हो।

अमेरिका और ईरान का संतुलन

आज ईरान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं लेकिन एक वक्त में दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत थे। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद वॉशिंगटन और तेहरान के रिश्तों में तल्खी आ गई। इसके बाद भारत को भी तेहरान के साथ अपने रिश्तों को लेकर संतुलन साधना पड़ा। तब से नई दिल्ली अमेरिका और इजरायल के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को बरकरार रखते हुए तेहरान को भी साधे रखने की कोशिश करता है। ईरान के साथ भारत के रिश्तों की जटिलता सिर्फ अमेरिका और इजरायल की वजह से नहीं है। सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी भी जगजाहिर है।

क्या कहते हैं जानकार

फाइल फोटो

अमेरिकी हवाई हमले में जनरल कासिम सुलेमानी को मारे जाने के विरोध में प्रदर्शन।

ट्रंप के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैए से भारत के सामने मुश्किल हालात हैं। इससे जवाबी कार्रवाई को उकसावा मिलेगा। क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी और वहां हमारे व्यापक हितों को ठेस पहुंचेगी।
- कंवल सिब्बल, पूर्व विदेश सचिव

भारत को अब मैदान से बाहर नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी राजनयिक भूमिका निभाने की अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए।
-तलमीज अहमद, पूर्व राजनयिक और मध्य-पूर्व एशिया के जानकार

सुलेमानी की मौत के बाद मध्य पूर्व में अशांति और विवाद बढ़ना तय है। अब ईरान प्रॉक्सी फोर्सेस की कार्रवाई से बढ़कर कोई कदम उठा सकता है। ईरान या तो सीधे अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकता है या इजरायल जैसे उसके सहयोगियों पर हमला कर सकता है।
-लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन, श्रीनगर में सेना की 15वी कोर के पूर्व कमांडर और अभी कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर

व्यक्तित्व

सुचेता सतीश : 120 भाषाओं में गाने वाली भारतीय बालिका

जनसत्ता संवाद

दुबई में भारतीय मूल की चौदह वर्षीय सुचेता सतीश ने 'ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020' जीता है। सुचेता को यह पुरस्कार एक संगीत समारोह में सर्वाधिक भाषाओं में और सबसे लंबे समय तक गाने के लिए मिला है। शुक्रवार को दिल्ली में उन्हें 'ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड' से सम्मानित किया गया। सुचेता सतीश के साथ 99 अन्य बच्चों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसे गायन श्रेणी में यह जीत हासिल की है। खलीज टाइम्स की खबर के अनुसार केरल मूल की सुचेता सतीश दुबई के इंडियन हाईस्कूल की छात्रा है। वह 120 भाषाओं में गा सकती है। उन्हें दुबई इंडियन हाईस्कूल की कोकिला के रूप में जाना जाता है। 'ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड' डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और एआर रहमान द्वारा सहायता प्राप्त है। यह पुरस्कार नृत्य, संगीत, कला, लेखन, अभिनय, मॉडलिंग, विज्ञान, नवाचार, खेल आदि श्रेणियों में प्रतिभावान बच्चों को दिया जाता है। सुचेता ने 25 जनवरी, 2018 को दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में अपना दोहरा विश्व रेकॉर्ड बनाया था। उस समय वह 12 साल की थीं और उन्होंने छह घंटे और 15 मिनट में 102 अलग-अलग भाषाओं में गीत गाया था। वह वर्तमान में 120 भाषाओं में गा सकती हैं और हाल ही में अरबी में अपना दूसरा एल्बम जारी किया है।

अपनी जीत के बारे में बात करते हुए सुचेता ने कहा, 'मुझे मेरे दो कीर्तिमानों के लिए पुरस्कार दिया गया है। एक में मैंने एक कंसर्ट में सर्वाधिक भाषाओं में गाने का कीर्तिमान बनाया और दूसरा कीर्तिमान सबसे लंबे समय तक सीधे प्रसारण में गाने का था। मैंने ये कीर्तिमान बारह साल की उम्र में दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सभागार में बनाए थे जब मैंने 102 भाषाओं में छह घंटे से अधिक समय तक गाया था।' गायन के साथ पढ़ाई जारी रखने के बारे पूछे गए सवाल पर सुचेता ने कहा, 'मैंने प्रतिदिन रियाज करने का नियम बनाया है और भगवान की कृपा से बिना पढ़ाई को प्रभावित किए मैं ऐसा कर पाती हूं।'

सुचेता ने हाल में मलयालम सुपरस्टार मम्मूटी और अभिनेता उन्नी मुकुंदन के साथ अपना दूसरा एल्बम 'या हबीबी' जारी किया है। इससे पहले 2017 में भी सुचेता ने 80 भाषाओं में गीत गाया था। सुचेता छोटी सी उम्र से ही संगीत का रियाज कर रही हैं। शुरुआत में उन्होंने जापानी और अरबी में गीत गाने शुरू किए। वह स्कूल में अरबी भी पढ़ रही थीं, इसलिए उनके लिए इस भाषा में गाना आसान था, लेकिन इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वह अभी तक जारी है। फिर अंग्रेजी, डच, जर्मन, हिब्रू, गुजराती, हरियाणवी, भोजपुरी, असमिया, मंदारिन, मंगोलियन, फारसी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ग्रीक सहित 120 भाषाओं में गीत गा सकती हैं। उन्होंने 2016 से विदेशी भाषाओं में भी गीत गाना शुरू किया है। इस बारे में वह कहती हैं, 'विदेशी भाषा में उनका पहला गाना जापानी में था। उनके लिए फ्रांसीसी, हंगेरियन और जर्मन भाषाओं में गीत गाना सबसे कठिन था।'

कांग्रेस व 'आप' ने दिल्ली को दंगों में झुलसाया : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

गृह मंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली को दंगों की आग में झुलसाने का पाप किया है और प्रदेश की जनता उनसे इसका हिसाब मांगेगी।

शाह ने यहां एक समारोह में आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी वाड्रा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर झूठ बोल कर अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने देशभर के अल्पसंख्यकों को गुमराह किया कि वे देश के नागरिक नहीं रह पाएंगे, जबकि संशोधित नागरिकता कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं, इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है। उन्होंने सवाल किया कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश देख रहा है कि राहुल गांधी दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं।

शाह ने आरोप लगाया कि दिल्ली को दंगों की आग में झुलसाने का पाप कांग्रेस और 'आप' ने किया, दिल्ली की जनता उनसे इसका हिसाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि चार-चार दिन तक दिल्ली में दिक्कतें रहीं, दंगे हुए और इसके लिए कांग्रेस और 'आप' जिम्मेदार है। शाह ने आरोप लगाया कि वे (विपक्षी नेता) दंगा करने वालों को कानूनी मदद देने की बात भी कह रहे हैं, जो निंदनीय है। उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों को सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए या नहीं? उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल पुलिस को मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने पूछा कि केजरीवाल जी आप किसको बचाना चाहते हो? उन्होंने सवाल किया कि क्या जो 'देश के टुकड़े-टुकड़े' करने की बात कर रहे हैं, उनको बचाना चाहते हैं। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में शरण लेने वाले उन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए नया कानून लेकर आए लेकिन कांग्रेस और आप, विशेष तौर से राहुल, प्रियंका पूरे देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये झूठ बोल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि सीएए के कारण उनकी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन संशोधित कानून में ऐसी कोई बात नहीं है।

शाह ने कहा कि किसी के पास अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का साहस नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक झटके में इसे कर दिखाया। हमारा झंडा कश्मीर में ऊंचा लहरा रहा है। अब कोई कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में दोहरे मानदंड अपनाए। वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे को लटकाए रखा। शाह ने कहा कि चिंता न करें। राहुल, केजरीवाल एवं कंपनी जो चाहे करें, अयोध्या में एक गगनचुंबी मंदिर का निर्माण होगा।

जेएनयू की हिंसा निंदनीय, न्यायिक जांच हो : सोनिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 जनवरी।

देश के विपक्षी दलों सहित भाजपा के सहयोगी दल जनता दल (एकी) ने भी राजधानी के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में नकाबपोश हमलावारों के शिक्षकों व छात्रों पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को केंद्र की राजग सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की मांग की। दूसरी ओर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जेएनयू के कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की। राजग का हिस्सा जनता दल (एकी) ने न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान में कहा कि भारत के युवाओं और छात्रों की आवाज हर दिन दबाई जा रही है। भारत के युवाओं पर भयावह व अप्रत्याशित ढंग से हिंसा की गई और ऐसे करने वाले गुंड़ों को सत्तारूढ़ मोदी सरकार की ओर से उकसाया गया है। यह हिंसा निंदनीय और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में शैक्षणिक परिसरों और कालेजों पर भाजपा सरकार से सहयोग पाने वाले तत्त्व व पुलिस रोजाना हमले कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग करते हैं।

हमें ईरान के सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट करने का हक : ट्रंप

पेज 1 का बाकी

की अमेरिका ईरान में सांस्कृतिक स्थलों को भी निशाना बना सकता है। ट्रंप ने इस चेतावनी को लेकर हो रही उनकी आलोचनाओं को अपने ताजा बयान में खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा, 'उन्हें हमारे लोगों को मारने की अनुमति है। उन्हें हमारे लोगों का उत्पीड़न करने का अधिकार है। उन्हें सड़क किनारे बम विस्फोट करने और हमारे लोगों को उड़ाने की अनुमति है और हमें उनके सांस्कृतिक स्थलों को भी छूने का अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं चलेगा।'

ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, 'यदि वे कुछ करते हैं तो बड़ी जवाबी कार्रवाई होगी।' ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते को अब नहीं मानने का फैसला किया है।

फ्लोरिडा में छुट्टियां बिताकर वाशिंगटन लौट रहे ट्रंप ने 'एअर फोर्स वन' विमान से यह भी कहा कि यदि इराक अपने देश में अमेरिकी सैन्य बलों को बाहर निकालने को लेकर संसद में पारित प्रस्ताव का पालन करता है तो अमेरिका इराक पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाएगा। ट्रंप ने पहले भी धमकी दी थी कि यदि ईरान अमेरिकी बलों या हितों पर हमला करता है तो उस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इराक की संसद ने देश में अमेरिकी सेना की मौजूदगी समाप्त करने की अपील संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में रविवार को मतदान किया। प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य अमेरिका को इराक के विभिन्न हिस्सों में मौजूद करीब 5,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने को कहना है।

ट्रंप ने कहा, 'यदि वे हमें जाने को कहते हैं, यदि यह मित्रवत रूप से नहीं किया जाता है, तो हम उन पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाएंगे।' उन्होंने कहा, 'इन प्रतिबंधों से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध भी छोटे लगने लगेंगे।' ट्रंप ने कहा कि इराक में अमेरिका का सैन्य अड्डा बेहद महंगा है। यदि वे हमें इसके लिए भुगतान नहीं करते तो हम वापस नहीं जाएंगे। इस बीच, ट्रंप ने ट्वीट किया कि यदि वह ईरान के खिलाफ हमला करने का फैसला करते हैं, तो इस संबंध में पहले किए गए उनके ट्वीट अमेरिकी कांग्रेस को पूर्व में दी गई अधिसूचना समझे जाएंगे। दरअसल, डेमोक्रेटिक सांसदों ने सुलेमानी पर हमला करने से पहले कांग्रेस से विचार-विमर्श नहीं करने को लेकर अमेरिकी प्रशासन की निंदा की है।

ननकाना साहिब में तोड़फोड़ का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

से जुड़े अधिकारी (डिजिटल मीडिया) अजहर मासवानी ने ट्वीट कर गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, 'ननकाना साहिब घटना के मुख्य आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया गया है। ननकाना साहिब थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।' उन्होंने आगे कहा कि उस पर लगाई गई आतंकवाद निरोधी कानून की धारा 7 गैरजमानती धारा है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को चुप्पी तोड़ते हुए निंदा की और कहा कि यह उनकी सोच के विरुद्ध है और सरकार इसमें शामिल लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।

भारत ने इस पवित्र गुरद्वारे में तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान सरकार से वहां सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। शनिवार को भारत में विभिन्न दलों के नेताओं ने ननकाना साहिब पर हुए हमले की निंदा की थी और इसे कायराना व शर्मनाक करार दिया था। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पास सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि पाकिस्तान सिख धर्मस्थलों और सिखों को पर्याप्त सुरक्षा दे। भारत में सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक समिति ने कहा कि वह स्थिति का जायजा लेने के लिए चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजेगा।

समिति ने पाकिस्तान सरकार से ननकाना साहिब गुरद्वारे पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इन खबरों का खंडन किया कि किसी भीड़ ने ननकाना साहिब में बेअदबी की। उसने कहा कि सिख धर्म के संस्थापक के धर्मस्थल को किसी ने न तो छुआ है और न ही कोई नुकसान पहुंचाया है यहां तोड़फोड़ किए जाने का दावा झूठा है।

'मेरे समय जेएनयू में कोई 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग नहीं था'

पेज 1 का बाकी

जब मैं जेएनयू में पढ़ता था, हमने वहां कोई 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग नहीं देखा।' जेएनयू परिसर में रविवार को हुई हिंसा के बाद संस्थान के पूर्व छात्र जयशंकर ने फौरन इस घटना की निंदा करते हुए कहा था कि यह पूरी तरह से विश्वविद्यालय की परंपरा और संस्कृति के खिलाफ है। दक्षिणपंथी दलों द्वारा विपक्ष, खास तौर पर वाम और वाम समर्थित संगठनों के साथ ही उनका समर्थन करने वालों के लिए 'टुकड़े-टुकड़े' शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। जयशंकर ने एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में यह भी कहा कि चीन के विपरीत भारत ने अनुच्छेद 370, अयोध्या और जीएसटी जैसे मुद्दे को काफी लंबे समय तक खिंचने दिया।

मंत्रालय ने बुलाई बैठक

पेज 1 का बाकी

बैठक की। हालांकि, कुलपति एम जगदीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बैठक के मद्देनजर यहां शास्त्री भवन के बाहर सोमवार को भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जहां एचआरडी मंत्रालय है।

बैठक में जेएनयू रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर और प्रशासन के अन्य अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को परिसर में हुए हमले के घटनाक्रम और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। एचआरडी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'एचआरडी सचिव अमित खरे ने आज प्रो. वीसी चिंतामणि महापात्रा, रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार, रेक्टर राणा प्रताप सिंह और प्रॉक्टर धनंजय सिंह समेत जेएनयू अधिकारियों की टीम के साथ बैठक की। सचिव ने उनके साथ विस्तृत चर्चा की और उन्हें जेएनयू में मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई।'

मंत्रालय ने हिंसा भड़कने और छात्रों एवं अध्यापकों पर हमले के बाद रविवार को जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार से छात्रों और शिक्षकों पर हुए हमले के संबंध में तत्काल रिपोर्ट देने को कहा था। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार के मुताबिक, 'पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट एचआरडी मंत्रालय को भेज दी गई है। मौजूदा स्थिति की विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मंत्रालय में मौजूद हैं।'

इस बीच, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने जेएनयू छात्रों से विश्वविद्यालय की गरिमा बनाए रखने और परिसर में शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। जेएनयू प्रॉक्टर धनंजय सिंह ने छात्रों से नहीं घबराने को कहा है।

पूर्व नियोजित थी हिंसा : आईशी

पेज 1 का बाकी

कि संगठित अंदाज में नकाबपोशों ने हमला किया। विद्यार्थियों, प्रोफेसरों और अन्य लोगों को चुन-चुनकर निशाना बनाया गया।

आईशी घोष को हिंसा में चोटें आईं थीं और उन्हें एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उनके सिर में 16 टांके लगाए गए। आईशी का आरोप है कि जेएनयू प्रशासन सुरक्षाकर्मियों, पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से हिंसा भड़की। जेएनयू प्रशासन ने हिंसा रोकने की कोई कोशिश नही की।उन्होंने कहा कि परिसर में शांति मार्च के दौरान उन्हें विशेष तौर पर निशाना बनाया गया। घोष ने कहा कि रविवार को 20 से 25 नकाबपोश लोग शांति मार्च में घुस आए और उन पर लोहे के सरियों से हमला किया। घोष को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घोष ने आरोप लगाया कि शनिवार को जेएनयूएसयू द्वारा पंजीयन बहिष्कार का जायजा लेने वे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज गईं थीं, तब एक प्रोफेसर ने उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी थी। छात्र संघ ने एक से पांच जनवरी तक चलने वाली सेमेस्टर पंजीयन प्रक्रिया के बहिष्कार का आह्वान किया था।

पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया

पेज 1 का बाकी

गया कि पाकिस्तान को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, 'पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी सैयद हैदर शाह को आज समन किया गया और ननकाना साहिब में स्थित पवित्र गुरुद्वारा श्री जनम अस्थान में तोड़फोड़ तथा गुरुद्वारे को अपवित्र करने एवं पेशावर में सिख समुदाय के एक व्यक्ति की लक्षित हत्या पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई।'

तिब्बत में चीनी सेना का बड़ा सैन्य अभ्यास

पेज 1 का बाकी

सेंसर से लैस है। इससे पहले, रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि चीन, लद्दाख से सटे सीमावर्ती इलाके में अपने बुनियादी ढाचे को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग झील से सटे इलाके में सैन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर काम करना शुरू कर चुकी है। चीनी सेना ने इस इलाके में टेंट स्थापित किया है और वह इस इलाके में भूमिगत सुरंगों का निर्माण किया है। दूसरी ओर, पैंगोंग त्सो क्षेत्र के पास विवादित फिंगर 8 माउंटेन स्पर में और अधिक सुरंगों का निर्माण चीनी सेना कर रही है।

1,038 करोड़ का कालाधन हांगकांग भेजने में 51 कंपनियां नामजद

पेज 1 का बाकी

के लिए किया गया। सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि 24 खातों का इस्तेमाल वस्तुओं के आयात के अग्रिम भुगतान के रूप में विदेशों में पैसा भेजने के लिए किया गया, जिसके तहत 488.39 करोड़ रुपए की राशि डॉलर में भेजी गई। वहीं, 27 खातों का इस्तेमाल भारतीय पर्यटकों की विदेशी यात्राओं के लिए 549.95 करोड़ रुपये की राशि भेजने के लिए किया गया।

सीबीआइ ने प्राथमिकी में 48 कंपनियों और तीन व्यक्तियों- मोहम्मद इब्राम्सा जॉनी, जिंटा मिढार और निजामुद्दीन को नामजद किया है। अधिकारियों के मुताबिक, वस्तुओं के आयात के संबंध में 24 कंपनियों में से 10 ने कम मात्रा में आयात किया, लेकिन आयात किया गया सामान और आयात का मूल्य कंपनियों द्वारा बैंकों को जमा किए गए बिल से मेल नहीं खाता था।

जांच एजंसी ने अपनी प्राथमिकी में कहा, 'आगे खुलासा हुआ कि आरोपियों और अन्य जो इस काम से जुड़े थे, उनको स्थानांतरित की गई राशि और बैंक खातों के सक्रिय रहने की अवधि के आधार पर कमीशन मिला तथा संबंधित बैंक अधिकारियों को नकद रिश्वत दी गई।' सीबीआइ का कहना है कि अधिकांश राशि 2015 की दूसरी छमाही में भेजी गई और कंपनियों का कारोबार लाखों में दिखाया गया, जबकि बाहर भेजी गई राशि करोड़ों में थी जिसे बैंक अधिकारियों ने फर्जी तरीके और बेईमानी से भेजना आसान बनाया।

सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं

पेज 1 का बाकी

डंडा लेकर पड़ी रहती है। कुछ बेईमान और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि उनकी सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ है।'

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार में उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना गया है और उन्हें दूर भी किया गया है। उन्होंने उद्यमियों के डरे होने की बात को दुष्प्रचार बताते हुए कहा, 'इन दिनों दिवाला एवं ऋणशोधन संहिता (आइबीसी) की खूब चर्चा होती है। यह कानून सिर्फ डूबा पैसा वसूल करने का कानून नहीं होकर ईमानदार उद्यमियों का भविष्य बचाने का भी कानून है। इसने इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है। इसने ईमानदार उद्यमियों को किन्हीं परिस्थितियों में असफल हो जाने पर धंधे से निकलने का विकल्प दिया है।'

मोदी ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने हमेशा इस बात के प्रयास किए हैं कि भारतीय उद्यमियों को किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उद्योग जगत को कानूनों के जाल में फंसने से बचाना है ताकि वे अपने लिए भी और देश के लिए भी मूल्यवर्धन कर सकें। इन्हीं कोशिशों के तहत 13 हजार से अधिक कानूनों को समाप्त किया गया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव आठ फरवरी को, 11 को परिणाम

पेज 1 का बाकी

के आधार पर नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपना तय कर लिया है। उधर, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने इस बार आप व भाजपा दोनों को खारिज करने का मन बना लिया है और कांग्रेस की सत्ता में शानदार वापसी तय है।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सोमवार को दिल्ली चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव एक ही चरण में आठ फरवरी को होगा। इसके लिए 14 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख तारीख 21 जनवरी होगी जबकि 24 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 2689 जगहों पर मतदान होगा। इसके लिए कुल 13757 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली में करीब 1 करोड़ 47 लाख वोटर हैं। उन्होंने बताया कि चुनावी व्यवस्था में 90 हजार कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार मतदान स्थलों पर मोबाइल फोन के लिए लॉकर की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति पर निगरानी रखने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं, जिससे उनको वोट डालने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि 80 साल और इससे ऊपर के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं की सहूलियत के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। इसके लिए उन्हें मतदान केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके तहत चुनाव आयोग डाक मतपत्रों से मतदान कराया जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस चुनाव में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए यह प्रणाली शुरू की गई है। इसके तहत वे मतदाता, जो शारीरिक दिक्कतों या अन्य अपरिहार्य कारणों के चलते मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच सकते हैं, वे भी अपना वोट दे सकेंगे। विशेष लोग और 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक इस चुनाव में व्यक्तिगत तौर पर या पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

इतना ही नहीं, दिल्ली के 1.46 करोड़ मतदाता चुनाव में घर बैठे यह जान सकेंगे कि उनके नजदीकी मतदान केंद्र पर कितनी लंबी लाइन है और अब तक कितने लोगों ने मतदान किया।

देश-विदेश में प्रदर्शन

पेज 1 का बाकी

कार्यकताओं के बीच हिंसक झड़पों के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को भगाया। पुडुचेरी से लेकर चंडीगढ़ और अलीगढ़ से लेकर कोलकाता तक सोमवार को विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन किए गए। बंगलुरु की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आइआइटी- बंबई और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में भी प्रदर्शन हुए। एजंसियों के मुताबिक, पुडुचेरी विश्वविद्यालय के छात्र रइजा ने कहा, 'आज वो हैं, कल हम हो सकते हैं।' मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर शनिवार रात से प्रदर्शन चल रहा है।कोलकाता के जादवपुर में जेएनयू की घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हो गई।

अंबानी, अडाणी व अन्य उद्योगपतियों संग बैठक

पेज 1 का बाकी

अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। आम बजट से पहले पहले हुई यह बैठक काफी महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, टाटा समूह के संरक्षक रतन टाटा, दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज सुनील मित्तल, अरबपति उद्योगपति गौतम अडाणी, महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और खनन क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल इस बैठक में मौजूद थे।

बैठक की जो तस्वीर जारी की गई उसके अनुसार इसमें टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, टीवीएस के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, एलएंडटी के प्रमुख एएम नाईक भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री पिछले कुछ सप्ताह के दौरान कई उद्योगपतियों के साथ बैठकें कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री अब तक 60 से अधिक उद्यमियों और कारोबारियों के साथ बैठकें कर चुके हैं। उन्होंने एफएमसीजी, वित्त, अक्षय ऊर्जा, हीरा कारोबारी, खुदरा क्षेत्र, कपड़ा, एमएसएमई, प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप से जुड़े उद्यमियों के साथ विचार विमर्श किया।

'ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा...'

पेज 1 का बाकी

किया मुकाबला छात्रा रिपी बोरा ने बताया कि सब कुछ सोची-समझी साजिश के तहत हुआ। हमलावरों के साथ जेएनयू के भी कुछ छात्र थे, जो उन्हें बता रहे थे कि कौन किस संगठन से जुड़ा है। साबरमती छात्रावास में एक तरफ छात्र रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ छात्राएं। घटना के समय केवल एक सुरक्षाकर्मी तैनात था, लेकिन नकाबपोशों को देखकर वह भी फरार हो गया। जब छात्राओं को लगा कि वे मुश्किल में हैं, तो उन्होंने एक दूसरे के हाथ थाम मानव शृंखला बनाई और छात्रावास के अंदर जाने से हमलवारों को रोक दिया। छात्राओं ने वीडियो भी बनाने शुरू कर दिए, ताकि हमलावरों को डर लगे और वहां से चले जाएं।

अंतहीन हिंसा का तांडव

छात्र राहुल कुमार ने बताया कि सबसे अधिक तोड़फोड़ और छात्रों पर हमला साबरमती छात्रावास में किया गया। पहली मंजिल के अलावा दूसरी मंजिल पर रहने वाली छात्राओं को भी पीटा गया। उन्होंने बताया कि यह पूरा उपद्रव एक से दो घंटे तक चला और पुलिस के अलावा परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बने रहे। उन्होंने कहा कि भले ही एबीवीपी से जुड़े छात्र डर का माहौल बनाकर दूसरे छात्र संगठनों से जुड़े छात्र-छात्राओं को डराना चाहते हैं, पर कोई डरने वाला नहीं है। राहुल ने बताया कि सोमवार को पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय पुस्तकालय बंद रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

मुद्दे से भटकाने की कोशिश

छात्रा स्वाति का आरोप है कि जेएनयू प्रशासन के साथ मिल कर केंद्र सरकार ने असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ करवाया है। स्वाति ने बताया कि बीते 65-70 दिनों से जेएनयू में फीस वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जब यह एहसास हो गया कि छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो हमला कर उन्हें डराया गया। जेएनयू के अधिकतर विद्यार्थी अगली कक्षा में जाने के लिए पंजीकरण करवाना नहीं चाहते। पर सरकार चाहती है कि हर कक्षा के कुछ छात्र पंजीकरण करवा लें। रविवार को भी पंजीकरण करवाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद हिंसा हुई।

जेएनयू : दंगे का मामला, पर कोई गिरफ्तारी नहीं

पेज 1 का बाकी

सेंटर में उपचार के बाद सोमवार सुबह छुट्टी दे दी गई। हिंसा के दौरान छात्रों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाने की जिम्मेदारी लेते हुए साबरमती हॉस्टल के दो वार्डनों ने इस्तीफा सौंप दिया है।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ हमलावरों की पहचान की गई है। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के अलावा सोशल मीडिया पर वायरल किए गए मैसेज और वीडियो फुटेज जुटाए गए हैं। हिंसा को लेकर कई शिकायतें दिल्ली पुलिस को मिली हैं। सभी शिकायतों के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पीसीआर को रविवार शाम 4:57 बजे कैम्पस में नकाबपोश हमलावरों के घुसने की सूचना मिली, लेकिन वे लोग रात नौ बजे तक तांडव मचाते रहे।

रंधावा का तर्क है कि सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक भवन के पास तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू पाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश पर प्रशासनिक भवन के पास ही दिल्ली पुलिस की तैनाती रहती है। बाद में शाम 7:45 बजे पुलिस को परिसर के अंदर जाने की अनुमति दी गई, जिसके बाद फ्लैग मार्च कर स्थिति पर काबू पाया गया।

जेएनयू परिसर में अभी भी पुलिस बल तैनात है। सोमवार को दिल्ली पुलिस के करीब 700 जवानों को जेएनयू परिसर और बाहर तैनात किया गया। वसंत कुंज और मुनिरका की ओर से आने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई है और वहां से आवाजाही बंद कर दी गई है। सोमवार को भी कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमलावरों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। जेएनयू, जामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चार मांगों का एक ज्ञापन पुलिस को सौंपा है। इसमें घायलों को चिकित्सकीय मदद मुहैया कराना और हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग शामिल है।

इस बीच, साबरमती होस्टल के वरिष्ठ वार्डन राम अवतार मीणा और प्रकाश साहू ने इस्तीफा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दिया है। राम अवतार ने लिखा कि मैंने हॉस्टल की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए, लेकिन असफल रहा। इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं, प्रकाश साहू ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वे चाह कर भी साबरमती होस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा करने में असफल रहे। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वे पद से इस्तीफा दे रहे हैं।

जनरल सुलेमानी के जनाजे की नमाज में रो पड़े खमैनी

पेज 1 का बाकी

लोग जनरल के लिए मातम कर रहे थे। खुद खमैनी भी रो पड़े। अमेरिकी हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य जनरल के मारे जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है।

तेहरान में जमा लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए सुलेमानी की बेटी जैनब ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों पर सीधे हमले की धमकी दी। ईरान की सरकारी टीवी के अनुसार लाखों की संख्या में लोग शोक में जमा हुए थे। हालांकि संख्या की पुष्टि नहीं हो सकी है लेकिन जहां तक आंखें देख सकती थीं, वहां तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। जैनब ने कहा, 'पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के परिवार अब अपने बच्चों के मरने के इंतजार में दिन काटेंगे।' ईरान के सर्वोच्च नेता खमैनी ने खुद सुलेमानी और हमले में मारे गए अन्य लोगों के जनाजे की नमाज पढ़ी और इस दौरान रोए भी। दोनों के बीच करीबी संबंध थे। नमाज के दौरान पूरी भीड़ विलाप कर रही थी। सुलेमानी के उत्तराधिकारी इस्माईल गनी, राष्ट्रपति हसन रुहानी और अन्य शीर्ष नेता खमैनी के पास खड़े थे। शीर्ष सैन्य कमांडर की अंतिम यात्रा में देश के सभी राजनीतिक हलकों के नेता शामिल हुए।

सुलेमानी की जगह लेने के बाद ईरान के सरकारी टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में सोमवार को गनी ने बदला लेने की धमकी दी है। उन्होंने कहा, 'अल्लाह ने बदला लेने का वादा किया है, अल्लाह ही बदला लेता है। कार्रवाई जरूर होगी।' गनी लंबे समय से सुलेमानी के डिप्टी थे। अब वे ईरान की सेना के प्रमुख हैं। ईरान की सेना सीधे खमैनी के मातहत आती है।

नई दिल्ली

www.readwhere.com

आयकर मामले में सोनिया व राहुल की अपील पर सुनवाई 17 मार्च को

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी के 2011-12 के आयकर के पुनः आकलन की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपीलों पर 17 मार्च को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य का जिक्र किया कि आयकर अपीलीय अधिकरण में कार्यवाही लंबित है और वह 17 मार्च तक उसका नतीजा आने की प्रतीक्षा करेगी। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ऋषिकेश राय के पीठ ने कहा कि वह इस मामले को अंतिम निपटारे के लिए 17 मार्च को सूचीबद्ध कर रही है क्योंकि याचियों ने बताया है कि आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित है।

इससे पहले, सोनिया गांधी और अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने कहा कि अपीलीय अधिकरण ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है लेकिन उसने कम से कम छह बिंदुओं पर विचार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इन छह बिंदुओं पर व्यवस्था के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण में आवेदन किया गया है और यह मामला 28 फरवरी के लिए सूचीबद्ध है।

न्यायालय ने कहा कि अपीलीय अधिकरण के अंतिम आदेशों का शीर्ष अदालत के फैसले पर असर हो सकता है और इसलिए वह अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही के नतीजे देखना चाहेगा। पीठ ने साथ ही स्पष्ट किया कि यदि अधिकरण 17 मार्च तक लंबित बिंदुओं पर अपना फैसला नहीं सुनाता है तो भी वह इन मामलों में आगे सुनवाई करेगा।

महाराष्ट्र में कृषि ऋण माफी से 45,000-51,000 करोड़ का पड़ेगा बोझ : रिपोर्ट

मुंबई, 6 जनवरी (भाषा)।

उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली महाराष्ट्र सरकार की कृषि ऋण माफी योजना पर अमल से चालू वित्त वर्ष के दौरान खजाने पर 45,000-51,000 करोड़ रुपए तक बोझ पड़ेगा। एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।

नवगठित शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने किसानों का 30 सितंबर, 2019 तक का दो-दो लाख रुपए का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ समय पर कर्ज चुकाने वाले ऐसे किसानों को मिलेगा, जिनका बकाया कर्ज दो लाख रुपए या उससे अधिक है।

एसबीआइ रिसर्च ने सोमवार को जारी एक नोट में कहा कि 2017-18 में 44 लाख किसानों ने ऋण माफी का अधिकतम लाभ लिया था। उस साल 89 लाख किसानों ने फसल ऋण लिया था। राज्य में किसानों की संख्या 137 लाख है। रिपोर्ट कहती है कि इस बार 50 लाख या इससे अधिक किसानों को योजना का अधिकतम लाभ मिलेगा क्योंकि कर्ज माफी सीमा को डेढ़ से बढ़ाकर दो लाख कर दिया गया है।

एसबीआइ रिसर्च ने कहा कि पिछली भाजपा-शिवसेना सरकार के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि नई सरकार में कृषि ऋण माफी योजना की लागत कम से कम 45,000 करोड़ रुपए बैठेगी। ऐसा उस स्थिति में होगा जबकि किसान अधिकतम लाभ प्राप्त करें और पूर्ण ऋण माफी में पिछली बार की तुलना में बदलाव नहीं हो।

यदि इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ती है तो यह राशि 51,000 करोड़ रुपए बैठेगी। नोट में कहा गया है कि यदि पहले की गई ऋण माफी के तहत भुगतान को नई योजना के तहत स्थगित कर दिया जाता है या इसका दायरा सीमित कर दिया जाता है तो यह राशि 12,500 करोड़ रुपए बैठेगी।

बेहमई कांड पर फैसला 18 तक टाला

कानपुर, 6 जनवरी (भाषा)।

कानपुर की एक विशेष अदालत ने वर्ष 1981 के बेहमई कांड पर अपना फैसला सोमवार को 18 जनवरी के लिए टाल दिया। सरकारी वकील राजू पोरवाल ने बताया कि विशेष अदालत को सोमवार को ही फैसला सुनाना था लेकिन उसने बचाव पक्ष के वकील को 16 जनवरी तक लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली तारीख 18 जनवरी तय की है, जब 39 साल पुराने नरसंहार कांड पर फैसला आने की उम्मीद है।

मुंबई के कमाठीपुरा क्षेत्र में एक व्यावसायिक इमारत में बड़े पैमाने पर आग लग गई जिसकी चपेट में आकर आठ लोग घायल हो गए। (भाषा)

SSPN FINANCE LIMITED
CIN: L65923MH2012PLC225735
Registered Office: Vaintheya CHS Ltd., Ground Floor, Flat No.02, Plot No.192B, Near Sony Mony, S.V Road, Vile Parle West, Mumbai, Maharashtra, 400056. Phone No.: 022 6127 5138;
Website: www.sspnfin.com ; Email: sspnfin@gmail.com

RECORD DATE FOR ISSUE OF BONUS SHARES

NOTICE is hereby given to all members of the Company that pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company has fixed **17th January, 2020** as the Record Date for the purpose of deciding the members who shall be eligible to allotment of Bonus Shares in the proportion of 1 (One) Bonus Equity Share of Rs 10/- (Rupees Ten) each, for 1 (One) fully paid-up Equity Share of Rs 10/- (Rupees Ten) each.

For SSPN Finance Limited
Sd/-
Mrs. Sheela Somnath Kadechkar
Director
DIN- 06862410
Place: Mumbai
Date: 06/01/2020

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : 66, जनपथ, नई दिल्ली-110001
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **22/09/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री रमेश कुमार पुत्र गणेशी एवं श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री रमेश कुमार (कर्जदार का आवास ऋण खाता सं.3932190295)**, मकान नं.10/71, बारह मोहल्ला, वार्ड नं.10, खेरी कलाँ, **फरीदाबाद-121002**, को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.30,21,399/- (तीस लाख इक्कीस हजार तीन सौ निन्यानबे रूपये मात्र) अर्जित ब्याज के साथ**, उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 02 जनवरी, 2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.30,21,399/- (तीस लाख इक्कीस हजार तीन सौ निन्यानबे रूपये मात्र) इसके अलावा 22/09/2019 से ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुडाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

आवासीय मकान सं. एलआईजी 1295-पी, भूतल, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर-29, फरीदाबाद। परिमाप 35.25 वर्ग गज, सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से **जो घिरा है:-**

उत्तरः रोड **दक्षिणः** रोड
पूर्वः खाली जमीन **पश्चिमः** मकान नं.1294

तिथिः 02/01/2020 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः फरीदाबाद **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

प्रपत्र सं. आइएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)(क) खंड के मामले में
और
जीओ ग्रानिटो इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय : प्लॉट नं. 64, इंडस्ट्रीयल सेक्टर-34, गुरुग्राम-122001 में स्थित है, के मामले में
.....आवेदक
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन कार्यवाही का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य** में अर्थात कंपनी पंजीयक, के क्षेत्राधिकार के भीतर में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **13 दिसम्बर, 2019, सुबह 11:00 बजे** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या स्वयं दे सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :
प्लॉट नं. 64, इंडस्ट्रीयल सेक्टर-34, गुरुग्राम-122001
बोर्ड के निदेशक के और से
जीओ ग्रानिटो इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
रोहित कपूर
निदेशक
तिथि : 06.01.2020
स्थान : गुरुग्राम
डीआइएन : 01363490

THE ANDHRA PETROCHEMICALS LIMITED
Venkatarayapuram, Tanuku - 534215, W.G. Dist., Andhra Pradesh
NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

NOTICE is hereby given that the following share certificates issued by the Company in the name **NAMITA MOHAN and SURINDAR MOHAN** of has/have applied to the Company for issue of Duplicate Share Certificate:

Folio No.	Share Certificate Nos.	Distinctive Numbers From	To	No. of Shares of face value Rs. 10/-
00233636	287843	42723501	42723600	100

The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above Share Certificates. Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said Share Certificates should lodge such claim(s) with the Company at its registered office at the address given above within 15 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue duplicate Share Certificates.

For THE ANDHRA PETROCHEMICALS LIMITED
P.Narendranath Chowdary (Director)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः मेरठ रोड, सेहानी गाँव, गाजियाबाद, उ0प्र0
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, सिहानी, गाजियाबाद शाखा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों : श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबू राम एवं श्रीमती सुदेश पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार, मकान नं. बी-2/261, यमुना विहार, दिल्ली-110053 से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 33,16,675/- (रुपये तैंतीस लाख सोलह हजार छः सौ पचहत्तर मात्र) का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 01.10.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी। कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 04.01.2020 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 33,16,675/- (रुपये तैंतीस लाख सोलह हजार छः सौ पचहत्तर मात्र) के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, सिहानी, गाजियाबाद शाखा के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सम्बन्ध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा (13) की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खसरा नं. 474 ग्राम घोण्डा में से तीसरी मंजिल (आवासीय) छत के अधिकार सहित ग्राम घोण्डा गुजरान खद्दर, ब्लॉक-सी, गली नं. 2, भजनपुरा, शाहदरा, दिल्ली-110032 पर स्थित श्री नरेन्द्र कुमार के नाम पर फ्लैट का सम्पूर्ण भाग

सीमाएँ :
उत्तर : 15 फीट चौड़ी सड़क दक्षिण : 15 फीट चौड़ी सड़क
पूर्व : अन्य की सम्पत्ति पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(4) और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत पूर्व में जारी सभी सूचनाएं वापिस ली जाती हैं।

स्थानः शाहदरा, दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 04.01.2020 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः मेरठ रोड, सेहानी गाँव, गाजियाबाद, उ0प्र0
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, सिहानी, गाजियाबाद शाखा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों : श्री देविन्दर कुमार पुत्र भगवान सहाय एवं श्रीमती रेखा रानी पत्नी देविन्दर कुमार (सह कर्जदार), 20-ई, मेन रोड, ईस्ट बाबरपुर, ग्राम-मौजपुर, शाहदरा, दिल्ली-1100032 से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 58,33,850/- (रुपये अट्ठावन लाख तैंतीस हजार आठ सौ पचास मात्र) का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 01.10.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी। कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 06.01.2020 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 58,33,850/- (रुपये अट्ठावन लाख तैंतीस हजार आठ सौ पचास मात्र) के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, सिहानी, गाजियाबाद शाखा के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सम्बन्ध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा (13) की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खसरा नं. 10 ग्राम मौजपुर में से सम्पत्ति सं. 2, मेन रोड ईस्ट बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली-110032 पर स्थित श्री देविन्दर कुमार के नाम पर भूमि के सम्पूर्ण भाग का इक्विटेबल बन्धक तथा अन्तिम मंजिल तक उपयोग एवं निर्माण के अधिकार सहित। सीमाएँ :
उत्तर : अन्य की सम्पत्ति दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति
पूर्व : अन्य की सम्पत्ति पश्चिम : मेन बाबरपुर रोड

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(4) और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत पूर्व में जारी सभी सूचनाएं वापिस ली जाती हैं।

स्थानः शाहदरा, दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 06.01.2020 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

BERVIN INVESTMENT & LEASING LTD.
CIN No.: L65993DL1990PLC039397
Regd. Office: 607, Rohit House,3, Tolstoy Marg New Delhi-110 001,
Website: www.bervin.com, Email Id: secretary@bervin.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 13th February 2020 to inter-alia consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st December, 2019.

Further, as per the provisions of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and Company's Code for Prevention of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the securities of the Company remains closed from 1st January, 2020 and would re-open after 48 hours from the date of announcement / declaration of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2019.

The said notice can be accessed on the Company website at www.bervin.com as well as Stock Exchange website at www.bseindia.com.

For Bervin Investment and Leasing Limited
Sd/-
Kalpana Umakanth
Company Secretary
Date: 07.01.2020
Place: New Delhi

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) एक नवरत्न कंपनी
(A Govt. of India Undertaking) A Navratna Company
ICD, Tughlakabad, New Delhi – 110 020
कोनकोर CONCOR

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग पद्धति)

"उत्तरी क्षेत्र टर्मिनलों के लिए ले-ऑफ स्टाफ पर ट्रांसपोर्टरों के पूर्णनामांकन" के लिए केवल ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से एकल बिंदु प्रणाली में ऑनलाइन ई-बोली की आमंत्रित आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज ऑनलाइन ₹ 1000/- का भुगतान करने के बाद केवल वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

निविदा सं.	CONNRT/CH/REGIONAL/FMLM/2020
अनुमानित लागत	रु. 12,13,67,022/- (प्रतिवर्ष)
अनुबंध की अवधि	24 (+1) वर्ष
धरोहर जमा राशि	रु. 10,00,000/- ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा दस्तावेज की कीमत	रु. 1,000/- सभी कर एवं प्रसार सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	रु. 5,310/- सभी कर एवं प्रसार सहित ई-भुगतान के माध्यम से (अ-प्रतिदेय)
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	07.01.2020 (19:00 बजे) से 27.01.2020 (16:00 बजे तक)
निविदा पूर्व बैठक	17.01.2020 को 15.00 बजे कोनकोर / उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
बुलिटिन विविध कोई भी जारी करना	केवल www.tenderwizard.com/CCIL पर 20.01.2020 को या उसके बाद
जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	28.01.2020 को 15:00 बजे तक
खोलने की तिथि एवं समय	29.01.2020 को 16:30 बजे

तकनीकी स्पष्टीकरण एवं अन्य विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.com या eprocure.gov.in या www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। निविदाकारों से अनुरोध है कि वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। कोनकोर बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार रखता है।

कार्यकारी निदेशक/उ.क्षे.

सार्वजनिक सूचना – सम्पत्तियों की नीलामी सह बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रस्तुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटरों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल), भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफासी एक्ट, 2002 के प्रावधानों के अधीन प्राप्त किया जा चुका है। आर्सिल ने निम्नवर्णित वित्तीय आस्तिया बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से अधिग्रहीत कर ली हैं और प्रतिभूत लेनदार के अधिकार अर्जित कर लिए हैं। आस्तिया 'जैसी है जहां है', 'जैसी है जो है' तथा 'जो भी है वहां है' आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण और कार्यक्रम के अनुसार बेची जाएगी :

क्र. सं.	ऋण खाता नंबर / बैंक का नाम / वित्तीय संपत्ति	मूल कर्जदार / सह-कर्जदार / जमानतदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	सम्पत्ति का प्रकार / आकार / प्रकृति	कुल बकाया राशि भारतीय रुपए में	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) भारतीय रुपए में	सुरक्षित मूल्य (रू.) भारतीय रुपए में	निरीक्षण की तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय	कब्जा का प्रकार
1	19800000005 / आवास परिषद फाइनेंस लिमिटेड	गजेंदर शर्मा / हरीश शर्मा / राम निवास शर्मा / सीमा शर्मा	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो -047-ए-ट्रस्ट	भूमि - 2011 वर्ग फीट कारपेट / 3451 वर्ग फीट (फ्रीहोल्ड)	2,09,12,178.76 26/12/2019 तक	9,70,000/-	97,00,000/-	17/01/2020	10/02/2020 15:30:00	भौतिक

प्रतिभूत सम्पत्ति पता : हाउस नंबर एसजी-67/8 सेक्टर 16, जीएमपी शास्त्री नगर, गाजियाबाद (पानी की टंकी और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पास) पिनकोड : 201001

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

1	नीलामी तिथि	यहां ऊपर वर्णित अनुसार	5	ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटा पहले
2	बोली जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान	द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्ड्री स्कूल, एमआर्आर लैण्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060	6	ईएमडी सहित सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किए जाने हैं	नई दिल्ली
3	नीलामी हेतु वेबसाइट	www.arcil.co.in	7	नाम जिसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट आहरित किया जाना है	नाम प्रत्येक सम्पत्ति के सामने ट्रस्ट कॉलम में दर्शाया गया है
4	सम्पर्क व्यक्ति तथा फोन नंबर	वर, कमल मिश्रा – 9619820760, विक्रम तंवर – 8860122299	8	निरीक्षण का समय	पूर्व 10:00 बजे से अप 5:00 बजे तक

बोलीदाता, उपरिवर्णित वेबसाइट पते पर ऑफर / निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके, अपनी पसंद के अनुसार नीलामी में ऑनलाइन प्रतिभागिता की सुविधा प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन विडिंग उपरिवर्णित संस्थान की वेबसाइट पर सम्पन्न होगी तथा निविदा दस्तावेज में दिए गए नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के नियम एवं शर्तें हमारी वेबसाइट www.arcil.co.in से डाउनलोड की जा सकती हैं अथवा आर्सिल के उपरिवर्णित शाखा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। कृपया नोट करें कि यह बिक्री बिड दस्तावेज में वर्णित नियमों एवं शर्तों के तहत होगी। बिक्री पूर्णतया इस विज्ञापन तथा बिड / निविदा दस्तावेज में सम्मिलित नियमों एवं शर्तों के तहत होगी। प्राधिकृत अधिकारी का बिना कोई कारण बताए किसी भी / सभी बिड्स अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 तथा 9 के तहत सूचना भी मानी जाएगी।

स्थान : नई दिल्ली **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि : 07-01-2020 **असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड**

Arcil Premier ARC
असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, सीआईएन : U65999MH2002PLC134884,
पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028. फोन : + 91 2266581300
शाखा पता : द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2 डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्ड्री स्कूल, एमआर्आर लैण्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060. फोन : 011-46376444 www.arcil.co.in

प्रपत्र – 'जी'
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	**रियासत टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	17/03/2004
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45201DL2004PTC125229
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	एम्बस 4 बी, 294 / ई कमल कुंज करियप्पा मार्ग वेस्टर्न एक्स्टेंशन, सीनेक फार्म, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली – 110062
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	22-10-2019 (आदेश 04/11/2019 को प्राप्त हुआ)
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	07/01/2020
8.	संहिता की धारा 26(2)(एक) के अधीन समाधान आवेदकों की संख्या	विवरण "cirp.riyasat@gmail.com" पर ईमेल करके मांगा जा सकता है
9.	धारा 29क के अधीन लागू अपात्रता के मानदंड	इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 29 ए और अन्य प्रावधानों के अनुसार, विवरण "cirp.riyasat@gmail.com" पर ईमेल करके भी प्राप्त किया जा सकता है
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	23/01/2020
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	02/02/2020
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	07/02/2020
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	17/02/2020
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा संभावित योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	07/02/2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की तिथि	विवरण "cirp.riyasat@gmail.com" पर ईमेल करके मांगा जा सकता है
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	08/03/2020
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की तिथि	cirp.riyasat@gmail.com पर ईमेल करके और 806 अनुष्का टॉवर, मार्ग ट्रेड सेंटर, सेक्टर – 11, सीबीडी, नई दिल्ली – 110085 पर स्पीड पोस्ट द्वारा
18.	निपटारक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	03/04/2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**हरीश तनेजा** **पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10223**
20	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**हरीश तनेजा** 238-एल मॉडल टाउन, गुरुद्वारा अरुणाचल के पास, सोनीपत – 131001

Corporation Bank

(A Premier Public Sector Bank)

अंचल कार्यालय-दिल्ली उत्तर, दूसरा तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन नं. 011-28754615, 28754642,
ईमेल आईडी: dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट: www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल/चल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास बंधक/चार्ज नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कार्पोरेशन बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा किया गया है की, नीचे वर्णित ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर(रों) से कॉर्पोरेशन बैंक के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित तिथि को ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण यहाँ नीचे वर्णित है:

शाखा का नाम एवं पताः एआरएमबी, कॉर्पोरेशन बैंक 116, एफ 14, कम्पीटेन्ट हाउस, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली, फोन सं.: 011-42143976

ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम		
	ऋणधारकः याअली इन्टरनेशनल, बी 1, डीडीए कॉलोनी, बी ब्लॉक, शाहदरा दिल्ली-32 प्रॉप्राईटर का नामः श्री अब्बास हैदर, गारन्टरः जावेद हुसैन	बकाया राशिः रु. 22710406.12/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 1. न्यू जाफराबाद, दिल्ली-110032 में सम्पत्ति सं. बी-1, माप 2260 वर्ग फीट अर्थात् 209 वर्ग मीटर के तीन मंजिला भवन में बेसमेन्ट तल तथा भूतल का आधा भाग।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 70,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 7,00,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/yalli_internaitional.1.pdf में दी गई लिंक देखें।
सम्पत्ति सं. 2. न्यू जाफराबाद, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 में सम्पत्ति सं. बी-1, सम्पत्ति सं. बी-1, क्षेत्रफल माप 1500 वर्ग फीट अर्थात् 139.95 वर्ग मीटर पर निर्मित सम्पूर्ण प्रथम तल
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 72,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 7,20,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/yalli_internaitional.1.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम		
	ऋणधारकः मै. जीवन सार एजुकेशनल सोसायटी, एच-7, कस्तुरबा अपार्टमेन्ट्स, पीतम पुरा, नई दिल्ली-110034 गारन्टरः 1. श्री हरित शर्मा, एजी-20, निर्वाणा कन्ट्री, गुड़गाँव, हरियाणा, 2. सुश्री कोमल सत्ती, बी-67, सिल्वर क्रेस्ट, सुशांत लोक-3, सेक-57, गुड़गाँव, 3. श्री अनिल अरोड़ा, 203, मैरीगोल्ड अपार्टमेन्ट, अमरावती एन्क्लेव, चांदी, मंदिर, पंचकूला, हरियाणा-134107, 4. श्री दीपक दुआ, कनाडा, 5. श्री राजविन्दर सिंह, एच-7, एचआईजी फ्लैट्स, कस्तूरबा अपार्टमेन्ट्स, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, 6. श्री अनीता अरोड़ा, 203, मैरीगोल्ड अपार्टमेन्ट, अमरावती एन्क्लेव, चांदी मंदिर, पंचकूला, हरियाणा-134107, 7. श्री सुधीर कान्त गुप्ता, मकान सं. 751, 8वाँ क्रॉस रोड, 2रा ब्लॉक, आर.टी.नगर, बैंग्लोर-560032, 8. श्री रवीश बागला, एम-21, कस्तूरबा अपार्टमेन्ट, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, 8. श्री पी.के. उप्पल, 77, सेक-17ए, गुड़गाँव, हरियाणा, 9. श्री कुल भूषण, जी-3/84, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली-110085, 10. सुश्री आरटी धींगरा, ई-82, निर्वाण कन्ट्री, सेक-50, गुड़गाँव, हरियाणा	बकाया राशिः रु. 37,47,85,188.50 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 3. निर्वाणा कोर्ट यार्ड, निर्वाणा कन्ट्री, साउथ सिटी-, फेज-II, गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित प्रथम तल पर शॉप/कार्यालय परिसर सं. 149 ब्लॉक-सी का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 72,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 7,20,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/jeran_saar_educational_society_3.pdf में लिंक देखें।
सम्पत्ति सं. 4. निर्वाणा कोर्ट यार्ड, निर्वाणा कन्ट्री, साउथ सिटी-, फेज-II, गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित प्रथम तल पर शॉप/कार्यालय परिसर सं. 148 का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 70,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 7,00,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/jeran_saar_educational_society_3.pdf में लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम		
	ऋणधारकः मै. पवित्र मिल्क प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, 104 तथा 103, प्रथम तल, टाइम्स एस्क्वॉयर बिल्डिंग, सुशांत लोक 1, गुड़गाँव, हरियाणा-122002 गारन्टरोंः 1. श्री भगवान, एच.नं. 5, चक्करपुर, सीधी गणेश मंदिर के निकट, डीएल फेज-2, गुड़गाँव, हरियाणा, 2. श्रीमती गुणीता, एच.नं. 5, चक्करपुर, सीधी गणेश मंदिर के निकट, डीएल फेज-2, गुड़गाँव, हरियाणा, 3. श्रीमती दयावती, एच.नं. 5, चक्करपुर, सीधी गणेश मंदिर के निकट, डीएल फेज-2, गुड़गाँव, हरियाणा,	बकाया राशिः रु. 16,43,16,295.10/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 5. संयुक्त रूप से 3 प्लॉट्स, नं. एच-83, एच 1-103 एवं एच 1-104 पर औद्योगिक सम्पत्ति, इंडस्ट्रियल एरिया ईपीआईपी नीमराना, दिल्ली जयपुर राजमार्ग, एमएच-8, नीमराना, जिला-अलवर, राजस्थान का ईएमजी।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 3,11,83,200/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 31,18,320/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/pavitra_milk_products_private_limited_1.pdf में दी गई लिंक देखें।
सम्पत्ति सं. 6. प्लान्ट एवं मशीनरी
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 3,17,82,600/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 31,78,260/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/pavitra_milk_products_private_limited_1.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम		
	ऋणधारकः मै. क्रेसैन्ट मार्बल प्रा.लि., के-41/42, शहूरपुर, चौ. बलवीर सिंह मार्के, मैन छत्तरपुर मंदिर रोड, चंदन हुल्ला, नई दिल्ली गारन्टरः श्री प्रदीप गोयल, जे-102, सैनिक फार्म्स, नई दिल्ली-110062, श्री प्रदीप गोयल, प्लॉट नं. 54, गांधी नगर कॉलोनी, हरि पर्वत वार्ड, आगरा, उ.प्र., श्री प्रदीप गोयल, मकान सं. 25/46, गांधी नगर कॉलोनी, आगरा, उ.प्र., श्री प्रदीप गोयल, बेस्मेन्ट तल, डी-22, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव-1, नई दिल्ली	बकाया राशिः रु. 4,61,17,716.90/- तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

संपत्ति सं. 7. ''कुल (मिनजुमला) म्यूनिसपैलिटी (म्यूनिसिपल कमिटी) नं. 25/46 (भाग 25/46 डी विदित), गांधी नगर, हरि पर्वत वार्ड, आगरा सिटी में सम्पत्ति जिसके 50 मीटर की दूरी पर पुराना आवासीय संरचना, भवन, उस पर निर्मित मकान स्थित है जो श्री प्रदीप गोयल के नाम में है, का सभी भाग तथा हिस्सा।''
चौहद्दीः पूर्वः 72''4'', सम्पत्ति में कुछ भाग कुल (मिनजुमला) नं. 54 में, फ्रान्ट साइड पार्टी नं.1 तथा सम्पत्ति का कुछ भाग रास्ता में तथा समतल 15'' चौड़ा, पश्चिमः 72''4'' सर्विस लेन, उत्तरः 70'' सर्विस लेन, दक्षिणः 64''6'' सम्पत्ति, अंशतः नं. 54.1 में।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 1,82,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 18,20,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/crescent_marble_pvt_ltd_5.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम		
	ऋणधारकः मै. ब्लिस इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड, 2/4, 2रा तल, सराय जुलेना, न्यू फ्रैंडस कॉलोनी, दिल्ली-110025 गारन्टरोंः 1. श्री अजहर अली, सी-88, चौथा तल, शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025, 2. श्रीमती सानाअली, पत्नी श्री अजहर अली, सी-88, चौथा तल, शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025	बकाया राशिः रु. 12527395.00/- तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

संपत्ति सं. 8. 1) लिमिटेशन बिलेज दुहाई, गाजियाबाद में स्थित खाली प्लॉट नं. 41, 42, 43, 44, खसरा नं. 449, एरिया माप 334.44 वर्ग मी., बुक नं.-01, जिल्द नं. 5721, पेज 59 से 114, दस्तावेज नं. 4233 में उप रजिस्ट्रार II रा, गाजियाबाद, उ.प्र. में तिथि 11.4.2012 में पंजीकृत का सभी भाग तथा हिस्सा।
2) लिमिटेशन विलेज दुहाई, गाजियाबाद में स्थित खाली प्लॉट नं. 39, 40 खसरा नं. 449, एरिया माप 167.22 वर्ग मी., बुक नं.-01, जिल्द नं. 6528, पेज 397 से 432, दस्तावेज नं. 16367 में उप-रजिस्ट्रार II रा, गाजियाबाद, उ.प्र. में तिथि 5.12.2012 में पंजीकृत।
3. लिमिटेशन विलेज दुहाई, गाजियाबाद में स्थित खाली प्लॉट नं. 35, 36, 37, 38, खसरा नं. 449, एरिया माप 278.83 वर्ग मी., बुक नं. 01, जिल्द नं. 6767, पेज 183 से 236, दस्तावेज नं. 2314 में उप-रजिस्ट्रार IIरा, गाजियाबाद, उ.प्र. में तिथि 14.02.2013 में पंजीकृत
4. लिमिटेशन विलेज दुहाई, गाजियाबाद में स्थित खाली प्लॉट नं. 17, 28, 29, 45, 46, खसरा नं. 449, एरिया माप 418.05 वर्ग मी., बुक नं. 01, जिल्द नं. 5462, पेज 153 से 214, दस्तावेज नं. 803, उप-रजिस्ट्रार IIरा, गाजियाबाद, उ.प्र., तिथि 23.01.2012 में पंजीकृत।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ, आरक्षित मूल्यः रु. 2,31,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 23,10,000/-
बिक्री के लिये विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank_page_files/bliss_infratech_private limited_3.pdf में दी गई लिंक देखें।

शाखा का नाम एवं पताः ओवरसीज शाखा, फोन नं. 011-23418730, 23418720

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम		
	ऋणधारकः मै. विजय श्री एण्टरप्राईजेज, 4012-13, 1ला तल, नया बाजार, दिल्ली-110006 गारन्टरः श्री राजीव बंसल, पुत्र श्री बाबूलाल बंसल, श्रीमती सीमा बंसल, पत्नी श्री राजीव बंसल, श्री नितिन सक्सेना	बकाया राशिः रु. 89372683/- तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 9. प्लॉट नं. 98, चौखंडी (मीरा एन्क्लेव), नई दिल्ली में स्थित आवासीय भवन का बेस्मेन्ट तल, माप 250 वर्ग मी.
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ, आरक्षित मूल्यः रु. 42,50,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 4,25,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank_page_files/tender/vijay_shree_enterprises_4pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम		
	ऋणधारकः एमआर चैम्स प्राईवेट लिमिटेड, 1245, 2रा तल, कूचा महाजनी, चांदनी चौक, दिल्ली, प्रॉप्राईटर/पार्टनर का नामः श्री मुनिराम वर्मा, श्रीमती आशा वर्मा, गारन्टरः 1. श्री मुनि राम वर्मा, 2. श्रीमती आशा वर्मा	बकाया राशिः रु. 343410426.37 तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 10. बस्ती रेघर, सरसवती मार्ग, बेडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित ब्लॉक-पी, प्लाट नं. 113, खसरा नं. 2746/2616, गली नं. 34 में सम्पत्ति म्यूनिसिपल नं. 3160, वार्ड नं. XVI पर व्यावसायिक सम्पत्ति-
प्रथम् तल (बिना छत/टैरेस के अधिकार के) का सभी भाग तथा हिस्सा
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ, आरक्षित मूल्यः रु. 2,15,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 21,50,000/-
सम्पत्ति सं. 11: बस्ती रेघर, सरसवती मार्ग, बेडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित ब्लॉक-पी, प्लाट नं. 113, खसरा नं. 2746/2616, गली नं. 34 में सम्पत्ति म्यूनिसिपल नं. 3160, वार्ड नं. XVI पर व्यावसायिक सम्पत्ति- दूसरा तल (बिना छत/टैरेस के अधिकार के) का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ, आरक्षित मूल्यः रु. 1,33,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 13,30,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/m.r.chains.pvt.ltd.2. pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम		
	ऋणधारकः रैनबो वर्ल्डवाइड प्रा.लि., ए-37, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली गारन्टरः 1. लव भारद्वाज, 2. रवि भोला 3. रंगोली इन्टरनेशनल प्रा.लि.	बकाया राशिः रु. 50,02,89,487.80 तथा उस पर ब्याज एवं चार्जेज

सम्पत्ति सं. 12: श्री लव भारद्वाज के नाम में म्यूनिसिपल नं. 106-110-ए-बी, 111 से 114, 115-ए/5-13, 115-बी/1-9, 120-बी, सी.डी.ई. तथा एफ, लोकैलिटी तेलीवारा एन्ट्री, छोटा बाजार कॉम्प्लैक्स, अपना बाजार के नाम से विदित शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति (गव. हॉस्पीटल), पूर्वः कॉमन पैसेज तथा पश्चिमः अन्य सम्पत्ति
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ, आरक्षित मूल्यः रु. 12,74,64,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1,27,46,400/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rainbow_worldwide_private_limited-6.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम		
	ऋणधारकः मै. एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लि., 370-371/2, शशि हॉस्पीटल रोड, जंगपुरा, भोगल, नई दिल्ली-110014 गारन्टरः 1. श्री. एच.एस. भराना, सी-146, 1ला तल, सर्वोदय एन्क्लेव, दिल्ली-110017 2. लीड फाइनांसियल सर्विसेस लि., 101, सीताराम मैंशन, 718/21, जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 3. मै. डोरे रीअल्टर्स प्रा. लि., एच. नं. 130, 1ला तल, मस्जिद मोठ, साउथ एक्स्टेंशन पार्ट -II, नई दिल्ली-110049 साथ ही: बी-165, फ्लैट नं. डी, भू तल, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली-110096	बकाया राशिः रु. 6,01,99,93,843.80 तथा उस पर ब्याज एवं चार्जेज

सम्पत्ति सं. 13. ग्राम मोहम्मद हेड़ी, जिला गुड़गाँव, हरियाणा में डोरे रीअल्टर्स प्रा. लि. के नाम में स्थित खेवत नं. 22, खतौनी नं. 37, खसरा नं. 189(1-15-0), 210(1-7-0), 216(1-6-0), 218(3-2-0), 248(1-9-0) तथा 250(1-19-0), कित्ता 6 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा 0 बिस वानी पार्ट 640/1468,, कुल 4 बीघा 15 बिसवा 1 बिसवानी में भूमि माप 2.9703 एकड़ की भूमि का सभी तथा हिस्सा
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 17,79,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1,77,90,000/-
सम्पत्ति सं. 14. ग्राम मोहम्मद हेड़ी, जिला गुड़गाँव, हरियाणा में डोरे रीअल्टर्स प्रा. लि. के नाम में स्थित खेवत नं. 22, खसरा नं. 189(1-15-0), 210(1-7-0), 216(1-6-0), 218(3-2-0), 248(1-9-0) तथा 250(1-19-0), कित्ता 6 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा 0 बिसवानी पार्ट 1810/4360,, कुल 4 बीघा 10 बिसवा 10 बिसबानी में भूमि माप 2.8281 एकड़ का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 16,95,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1,69,50,000/-
सम्पत्ति सं. 15. ग्राम मोहम्मद हेड़ी, जिला गुड़गाँव, हरियाणा में डोरे रीअल्टर्स प्रा. लि. के नाम में स्थित खेवत नं. 13, खाता नं. 23 एवं 24, खसरा नं. 159(1-15-0), 160(0-18-0), 164(3-5-0), कित्ता 3 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा पार्ट 1/2, कुल 2 बीघा 19 बिसवा में भूमि माप 1.8438 एकड़ का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 11,05,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1,10,50,000/-
सम्पत्ति सं. 16. ग्राम मोहम्मद हेड़ी, जिला गुड़गाँव, हरियाणा में डोरे रीअल्टर्स प्रा. लि. के नाम में स्थित खेवत नं. 22, खसरा नं. 189(1-15-0), 210(1-7-0), 216(1-6-0), 218(3-2-0) कित्ता 4 रकबा 7 बीघा 10 बिसवा 0 बिसवानी पार्ट 1/48, कुल 0 बीघा 3 बिसवा 2.5 बिसवानी में भूमि माप 0.0977 एकड़ का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 58,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 5,80,000/-
सम्पत्ति सं. 17. ग्राम मोहम्मद हेड़ी, जिला गुड़गाँव, हरियाणा में डोरे रीअल्टर्स प्रा. लि. के नाम में स्थित खेवत नं. 32, खसरा नं. 232(2-3), 295/235 मिन शुमल (0-8), 240 मिन जैनुब (1-0), 242/2, (1-8)111/2(0-6), 233(1-19), 295(235) मिन जैनुब (0-7), 177(1-4), 240 मिन शुमल (1-11), 237 मिन शुमल (1-0), 240 मिन डर्मानयन (1-10), 237 मिन जैनुब (0-19), कित्ता-11, रकबा 14 बीघा 5 बिसा तथा खेवत नं. 53, खसरा नं. 174(2-15), 236(0-17), कित्ता 2 रकबा 3 बीघा 12 बिसवा कुल 17 बीघा 17 बिसवा पार्ट 103/714, पार्ट रकबा 2 बीघा 11 बिसवा 10 बिसवानी में भूमि माप 1.6094 एकड़ का सभी भाग तथा हिस्सा
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 9,64,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 96,40,000/-
सम्पत्ति सं. 18. ग्राम मोहम्मद हेड़ी, जिला गुड़गाँव, हरियाणा में डोरे रीअल्टर्स प्रा. लि. के नाम में स्थित खेवत नं. 61, खतौनी नं. 89, खसरा नं. 171(1-18-0), कित्ता 1 रकबा 1 बीघा 18 बिसवा पार्ट 3/8 कुल 0 बीघा 14 बिसवा 5 बिसवानी में भूमि माप 0.4453 एकड़ का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 2,67,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 26,70,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम		
	ऋणधारकः हरीश चन्द्र इंडिया लि. 113-ए, कमला नगर, दिल्ली, निदेशक/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों का नामः 1. श्री अजय गुप्ता, 2. श्रीमती रजनी गुप्ता, 3. श्रीमती मीना गुप्ता, 4. मै. आर.के. मोटेल्स (इंडिया) पी लि. 5. मै. सेठ दौलत राम श्री राम प्रा. लि., 6. श्री अशोक गुप्ता, 7. श्री शैलेश गुप्ता, 8. श्री अभिशेक गुप्ता, 9. श्रीमती रीता गुप्ता, 10. श्रीमती मंजू गुप्ता, 11. श्री सिद्धार्थ गुप्ता, 12. मै. पैरामाउन्ट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (प्रॉप्राईटर मै. गुलाब राय एंड संस पी लि.), 13. मै. गैबलेस (इंडिया) पी लि., 14. श्रीमती शांतिदेवी (मृतका, पत्नी स्व. श्री फूल चंद गुप्ता, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके कानूनी उत्तराधिकारियों i) श्री अजय गुप्ता, ii) श्री अशोक गुप्ता, iii) श्री विजय गुप्ता (मृतक), पुत्र स्व. श्री फूल चंद गुप्ता, प्रतिनिधित्व द्वारा-क) श्रीमती मीना गुप्ता, ख) श्री सिद्धार्थ गुप्ता, iv) सुश्री विमल अग्रवाल, पुत्र स्व. श्री फूल चंद गुप्ता, v) सुश्री विनीता पोद्दार, पुत्री स्व. श्री फूल चन्द गुप्ता	बकाया राशिः रु. 4768009979.00 तथा उस पर ब्याज एवं चार्जेज

सम्पत्ति सं. 19. श्रीमती रजनी गुप्ता, श्रीमती रीता गुप्ता, श्रीमती मीना गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता के संयुक्त स्वामित्व में ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 में स्थित आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 79, ब्लॉक-एम का सभी भाग तथा हिस्सा, माप 500 वर्ग यार्ड्स। चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तरः सर्विस लेन, दक्षिणः रोड, पूर्वः प्लॉट नं. एम-77, पश्चिमः प्लॉट नं. एम-81
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 229500000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 2,29,50,000/-
सम्पत्ति सं. 20. श्री अशोक गुप्ता, श्री अजय गुप्ता, श्री विजय गुप्ता एवं श्री शैलेश गुप्ता के संयुक्त स्वामित्व में प्लॉट नं. 117, ब्लॉक-एम, ग्रेटर कैलाश पार्ट, नई दिल्ली-110048 में आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा, माप 522.70 वर्ग यार्ड्स। चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तरः सम्पत्ति सं. एम-115, दक्षिणः रोड, पूर्वः सर्विस लेन, पश्चिमः रोड
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 24,36,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 2,43,60,000/-
सम्पत्ति सं. 21. श्री अशोक गुप्ता, श्री अजय गुप्ता, श्री सिद्धार्थ गुप्ता एवं श्री शैलेश गुप्ता के संयुक्त स्वामित्व में आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 42, ब्लॉक-ए, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048 का सभी भाग तथा हिस्सा, माप 1050.00 वर्ग यार्ड्स। चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तरः रोड, दक्षिणः सी-6 एवं सी-7, पूर्वः ए-43, पश्चिमः ए-41
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 430000000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 4,30,00,000/-
सम्पत्ति सं. 22. सुश्री मीना गुप्ता तथा सुश्री मंजू गुप्ता के संयुक्त स्वामित्व में पुराने खसरा नं. 1173(3-4), 1192 (1-10), 1193/1(4-11), 1194(0-5), 1195/1 (3-8), 1261(1-1), 1262(0-8), 1263(2-8), 1264/2/1(2-8) तथा 1265/1(2-7), ख) सुश्री रजनी गुप्ता तथा सुश्री रीता गुप्ता के संयुक्त स्वामित्व में 79/9, (2-2), 79/12(2-16), 79/13(4-16), 79/18(4-16), 79/23(4-16), 86/3(0-15) तथा 86/4(1-8), ग) अलीपुर रोड, गाँव अलीपुर, दिल्ली-110036 में स्थित श्री अजय गुप्ता के स्वामित्व में 79/10 मिन (0-8), 11 मिन (4-3)तथा 26(0-13), 79/1 मिन (1-1), 10 मिन (1-7), 80/5/2(1-2), 79/21 मिन (2-5) 60/22/1 (1-0) 79/2(1-0), 79/3 मिन (0-4), 79/20 मिन (1-3), 79/20 मिन (1-2), 79/14 मिन (1-12), 60/22/2(0-10), 79/2 मिन (0-10), 79/3 मिन (0-8) में कृषि भूमि एवं फार्म हाउस बिल्डिंग का सभी भाग तथा हिस्सा।
उत्तरः अन्य भूमि, दक्षिणः अन्य भूमि, पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः वाइड लेन
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 18,81,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1,88,10,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tedner/harish_chandra_india_4.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक/ गारन्टरों का नाम		
	ऋणधारकः मै. शर्मा कैलिप्सो प्रा. लि. (पूर्व में राउस इन्फ्रा लि.), 16 सी, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 गारन्टरः श्री रमेश शर्मा, श्रीमती उषा शर्मा, श्री एम.सी. अग्निहोत्री, श्रीमती रक्षा शर्मा	बकाया राशिः रु. 791495288.21 तथा उस पर ब्याज एवं चार्जेज

सम्पत्ति सं. 23: श्रीमती उषा शर्मा एवं श्रीमती रक्षा के स्वामित्व में ग्राम शफीपुर, खसरा नं. 31/17 (उत्तरी एवं दक्षिणी भाग) रणहोला, नांगलोई-नजफगढ़ रोड, दिल्ली क्षेत्रफल माप प्रति 1200 वर्ग फीट में स्थित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा (यह सम्पत्ति कॉर्पोरेशन बैंक में गिरवी है) चौहद्दीः उत्तरः सम्पत्ति सं. 45 एवं 46, दक्षिणः सम्पत्ति सं. 49 एवं 50, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः 25 फीट चौड़ी सड़क होते हुए सम्पत्ति में प्रवेश
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 21.01.2020 को 11.45 पूर्वा से 1.15 अप. 10, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 5,04,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशि रु. 50,40,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corbank-page-files/tender/sharma_kalypso_pvt._ltd_5.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 24 श्री रमेश शर्मा के प्रतिनिधित्व के द्

दिवालिया मामले में लंबित याचिका की सहायता नहीं ले सकता माल्या

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विजय माल्या शीर्ष अदालत में लंबित अपनी याचिका का इस्तेमाल दूसरे देशों में कर्जदाताओं द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गयी दिवालिया कार्यवाही रुकवाने के लिए नहीं कर सकता।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने केंद्र की इस दलील को सुनने के बाद यह आदेश दिया कि माल्या ने ब्रिटेन की अदालत में दिवालिया कार्यवाही में फैसला सुनाने से रोकने के लिए अपनी लंबित याचिका का इस्तेमाल किया था। पीठ ने कहा कि यहां मामला लंबित होना दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी मामले को रोकने का आधार नहीं हो सकता है।

पीठ ने कहा, 'याचिकाकर्ता के एडवोकेट ऑन रिकार्ड के पत्र के मद्देनजर इस मामले को 10 जनवरी, 2020 के लिए इस शर्त के साथ सूचीबद्ध किया जाए कि इन लंबित याचिकाओं का इस्तेमाल किसी भी न्यायाधिकरण, अदालत या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले की सुनवाई स्थगित कराने के लिए नहीं किया जाएगा।' केंद्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि स्टेट बैंक द्वारा माल्या के खिलाफ ब्रिटेन में दायर दिवालिया मामले में कार्यवाही पूरी हो गयी है और अब आदेश की प्रतीक्षा है।

मेहता ने कहा कि माल्या के वकील ने ब्रिटेन की अदालत से इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं करने का अनुरोध किया और दलील दी कि भारत की शीर्ष अदालत में समझौता प्रस्ताव लंबित है। उन्होंने न्यायालय से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया। माल्या इस समय ब्रिटेन में है और उसपर प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों से लिए गए 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज वापस नहीं करने का आरोप लगाया है। ब्रिटेन में माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण कार्रवाई भी चल रही है। विशेष धनशोधन अदालत ने पिछले साल पांच जनवरी को विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के साथ ही उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी थी।

पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग कानून की वैधता बरकरार

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग कानून, 2008 की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की और इसके साथ ही राज्य के मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। इस अधिनियम के तहत गठित आयोग द्वारा की गई शिक्षकों की नियुक्ति को भी शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इस कानून को असंवैधानिक करार दिया गया था। पीठ ने कहा कि मदरसा प्रबंध समिति की ओर से अब तक की गई नियुक्तियां व्यापक हितों को देखते हुए वैध रहेंगी।

शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग कानून, 2008 की संवैधानिक वैधता भी बरकरार रखी है। यह कानून मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति आयोग द्वारा करने को अनिवार्य बनाता है। इसे चुनौती देने वाली कई याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। इनमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक संस्थानों को आर्थिक मदद देनेवाली वाली सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश तो बना सकती है लेकिन नियुक्ति नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा था कि यह अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन देखने का अधिकार है। हाई कोर्ट के फैसले को नए कानून के तहत नियुक्ति पाए शिक्षकों ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी।

इण्डियन ओवरसीज बैंक
परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
रचना बिल्डिंग, 4था तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008
फोन नं.: 011-25758124, ई-मेल: iob1997@iob.in

शुद्धिपत्र

4.1.2020 को फाइनांसियल एक्सप्रैस (अंग्रेजी) तथा 5.1.2020 को जनसत्ता (हिंदी) में प्रकाशित ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में मै. एआई मेटल्स प्रा. लि. ऋणधारक के संदर्भ क्रम सं. 1 में एक सुधार इस प्रकार है:

1) कब्जा का प्रकार 'लॉट-1 एवं लॉट 5' में भौतिक कब्जा तथा लॉट 2, लॉट-3 एवं लॉट 4 में बैंक के सांकेतिक कब्जे के अंतर्गत पढ़ें।
अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

स्थान: नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 6.1.2020 — इंडियन ओवरसीज बैंक

PXIL
Transforming Power Market
Power Exchange India Limited
Sumer Plaza,Unit No.901, 9th Floor, Marol Maroshi Road,
Andheri(East) ,Mumbai- 400 059.India.Tel: + 91 22 40096667/87
Fax: + 91 22 4006633/90. Email:info@pxil.co.in , CIN:U74900MH2008PLC179152
Trading Month December - 2019

Markets Traded	DAS Prices (Rs/KWh)	DAS Volume (MUs)	INTRADAY Prices (Rs/KWh)	INTRADAY Volume (MUs)	ANYDAY Prices (Rs/KWh)	ANYDAY Volume (MUs)	WEEKLY Prices (Rs/KWh)	WEEKLY Volume (MUs)
Min	2.89	0.02	2.64	0.05	2.95	0.75	3.60	0.20
Max	2.96	0.05	5.10	4.23	3.60	7.20	3.60	0.20
Avg.	2.93	0.04	3.26	0.65	3.03	5.13	3.60	0.20
Total		0.46		19.53		123.15		0.20

राजीव हत्याकांड के दोषी को मिली 15 दिन की पैरोल

मदुरै, 6 जनवरी (भाषा)।

मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद प्राप्त सात दोषियों में से एक रविचंद्रन को सोमवार को 15 दिनों के लिए पैरोल की मंजूरी दे दी। उसे अपनी बीमार मां को देखने और कुछ पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए पैरोल दिया गया है।

रविचंद्रन की मां की याचिका पर न्यायमूर्ति टी राजा और न्यायमूर्ति बी पुगालेंदी ने उसे दस जनवरी से पैरोल की मंजूरी दी।

सिंडिकेट बैंक SyndicateBank
एसएसआई फरीदाबाद, 1एफ/20, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा
फोन : 0129-2429146, ई-मेल : br.8238@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [अधनियम के तहत परिशिष्ट-IV, नियम 8(1)]

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडीकेट बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदार(रों) से निम्नलिखित तिथियों पर सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/सम्पत्ति के स्वामी द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 02 जनवरी, 2020 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से कर्जदार(रों) और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर भावी ब्याज, लागतों आदि के लिए सिंडीकेट बैंक (एसएसआई फरीदाबाद आईएफ/20, सामने एनआईटी बस स्टैण्ड, फरीदाबाद, हरियाणा) के अभियोग का विषय होगा।

कर्जदार/जमानती का नाम तथा पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	माँग सूचना के अनुसार राशि	माँग सूचना की तिथि
कर्जदार : श्री करन कुमार भाटिया 5ई 22 बीपी बीके चौक, एनआईटी फरीदाबाद-121001 जमानती : श्रीमती निकिता भाटिया पत्नी करन कुमार भाटिया 5ई 22 बीपी बीके चौक, एनआईटी फरीदाबाद-121001	बंगला प्लॉट सं. 5ई/22, बी.पी. एनएच-5, एनआईटी, जिला फरीदाबाद के पूर्वी भाग निर्मित करने वाले प्लॉट माप 266.66 वर्ग गज पर प्रथम तल पर भूतल तथा आवासीय इकाई पर गोदाम तथा आफिस से युक्त दो मंजिले मकान का सम्पूर्ण भाग। सम्पत्ति की सीमाएँ : उत्तर : सड़क, दक्षिण : रास्ता, पूर्व : म.नं. 5-ई/21 बीपी, पश्चिम : म.नं. 5-ई/22 बीपी (पश्चिमी भाग)	रु. 35,03,147.26 (रुपये पैंतीस लाख तीन हजार एक सौ सैंतालीस एवं छब्बीस पैसे मात्र) तथा 01.10.2019 से भावी लागत, ब्याज एवं व्यय।	05.10.2019 कब्जा सूचना की तिथि 02.01.2020

तिथि : 07.01.2020 स्थान : फरीदाबाद — अधिकृत प्राधिकारी, सिण्डीकेट बैंक

आन्ध्रा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
एन-22, सेक्टर-18, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर-201301
दूरभाष : 0120-2511962, 2511408
ई-मेल : bm1106@andhrabank.co.in

विक्रय के विषय में कर्जदार को सूचित करने की सूचना (30 दिवसीय सूचना)
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 का नियम 6(2)/8(6)]

शाखा कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों)/सह दायित्वधारियों का नाम/पता	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / माँग सूचना की तिथि	कब्जा सूचना की तिथि
कर्जदार : मैसर्स एस3 इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री : बी-62, सेक्टर-83, फेज-II, नोएडा, उ.प्र. पंजीकृत कार्यालय : #101, जगदम्बे अपार्टमेंट, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085 बंधककर्ता मैसर्स आन्ध्रा नेटवर्क्स लि. पंजीकृत कार्यालय : 6-3--652, III/4, ध्रुवतारा कॉम्पलेक्स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082 कार्पोरेट कार्यालय : 18ए/19, डोड्डानेकुण्डी इण्डस्ट्रियल एरिया, महादेवपुरा, पोस्ट, ह्वाइटफील्ड, बेंगलुरू-560048 जमानती (अ) श्री शलभ श्रीवास्तव #151/1, शोभा ओनिक्स, तीसरा ब्लॉक, कोरमनगाला, बेंगलुरू, कर्नाटक-560025 (ब) श्रीमती सजला सिन्हा #151/1, शोभा ओनिक्स, तीसरा ब्लॉक, कोरमनगाला, बेंगलुरू, कर्नाटक-560025 (स) श्री अनुज अग्रवाल डब्ल्यू-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032	अचल सम्पत्ति निम्नलिखित से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : मैसर्स आन्ध्रा नेटवर्क्स लि., इकाई सं. 908, नवीं मंजिल, टॉवर बी, ग्लोबल बिजिनेस पार्क, ग्राम सिकन्दरपुर, घोसी, महरौली, जिला गुरुग्राम पर स्थित लगभग 1932 वर्ग फीट माप का भवन-कार्यालय।	रु. 2,96,00,000/- 03.01.2019	29.04.2019

जबकि उपर्युक्त तिथियों के अनुसार धारा 13(2) के तहत माँग सूचना के माध्यम से मेरे/बैंक द्वारा माँग किये जाने के बावजूद आपकी ओर बकाया अदा करने में आपसे चूक हुई है। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सम्पत्ति पर कब्जा करने के बावजूद, आपने अपनी ओर आन्ध्रा बैंक के बकाये का भुगतान नहीं किया। अतः इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के पश्चात ई-नीलामी के आमन्त्रण द्वारा निम्नलिखित सम्पत्ति को बेचना अनिवार्य हो गया। नीलामी की तिथि तथा समय एवं सेवा प्रदाता का विवरण एक विक्रय सूचना के माध्यम से सूचित किया जायेगा जिसे अलग से निर्गत किया जायेगा और सम्पत्ति को उच्चतम मूल्य प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति को बेच दिया जायेगा। चूँकि सम्पत्ति निजी विक्रय द्वारा भी बेची जा सकती है अथवा व्यक्तियों से कोटेशन भी प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते नियम एवं शर्तें हम दोनों को स्वीकार्य हों। यदि आपके पास किसी व्यक्ति को अथवा कोटेशन प्राप्त करके सम्पत्ति को बेचने का कोई प्रस्ताव है तो इसे इस पत्र/सूचना की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर मुझसे सम्पर्क किया जाये। जिसमें असफल होने पर यह माना जायेगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और मैं निविदा आमन्त्रण/सार्वजनिक नीलामी/ई-नीलामी/निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति/मशीनरी की विक्रय प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊँगा। पुनः, कृपया ध्यान दें कि यदि आप आज की तिथि तक अथवा उपर्युक्त विक्रय हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व बैंक की लागत तथा व्ययों सहित भावी ब्याज के साथ माँग सूचना में निर्दिष्ट राशि अदा करते हैं तो अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय हेतु आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

स्थान : नोएडा — तिथि : 06.01.2020 — अधिकृत प्राधिकारी, आन्ध्रा बैंक

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए
सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉरपोरेट मामले मन्त्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मैसर्स सुपर सील्स (इण्डिया) लिमिटेड
(सीआईएन : U51909DL1960PLC003193)
के मामले में

जिसका पंजीकृत कार्यालय 404, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 पर है ... आवेदक

एतद्वारा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि कम्पनी 30.11.2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में निजी मर्यादित कम्पनी में परिवर्तित होने की इच्छुक है जिसके लिए वह उपर्युक्त नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत केन्द्र सरकार से आवेदन करने की इच्छुक है ताकि वह ऐसे परिवर्तन में सक्षम हो सके।

कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने वाला कोई भी सम्भावित व्यक्ति अपने हित तथा विरोध की पृष्ठभूमि की प्रकृति बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के पास तथा एक प्रति आवेदक कम्पनी के पास इसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है :
404, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
ह./-
कमल तलवार
प्रबन्धक निदेशक
डीआईएन : 00053478
पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता :
404, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

तिथि : 06.01.2020
स्थान : दिल्ली

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने हेतु विज्ञापन
[सीमित उत्तरदायित्व साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17(4) के साथ पठित सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार]
तथा
स्पैक इंजीनियरिंग एलएलपी (पंजी. सं. एएएल-1903)
जिसका पंजीकृत कार्यालय 81, पॉकेट सी-9, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-1100085 पर है, के मामले में।

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि स्पैक इंजीनियरिंग एलएलपी अपने पंजीकृत कार्यालय को सीमित दायित्व साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17 के तहत 'रा.रा.क्षे. दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव करती है।

एलएलपी ने सीमित साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17(1) के साथ पठित सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 एवं एलएलपी के सीमित दायित्व समझौता दिनांक 21.11.2017 के उपबन्ध 2 की वांछनीयता के अनुसार 02.01.2020 को आयोजित अपनी बैठक में सभी साझेदारी की सहमति ले ली है। कोई भी व्यक्ति जो एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होना सम्भावित है वह अपने विरोध की रुचि तथा पृष्ठभूमि की प्रकृति बताते हुए शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ या भेजने का कारण दे सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर इसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी के निम्नलिखित पंजीकृत पते पर भेजते हुए रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास इसके पते 4थी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पास भेज सकता है :
81, पॉकेट सी-9, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
ह./-
निदेशक
उमेश कुमार सरदाना
डीआईएन : 00225618

तिथि : 06.01.2020
स्थान : नई दिल्ली

नियुक्तियां

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
केंद्रीय भर्ती व पदोन्नति विभाग, कारपोरेट केंद्र, मुंबई
फोन: 022-22820427; फैक्स: 022-22820411.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में लिपिकीय संवर्ग में कनिष्ठ सहयोगियों (ग्राहक सहायता एवं विक्रय) की भर्ती
(विज्ञापन संख्या: CRPD/CR/2019-20/20)

भारतीय नागरिकों से एसबीआई में लिपिकीय संवर्ग में कनिष्ठ सहयोगियों (ग्राहक सहायता एवं विक्रय) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं.

रिक्तियाँ: 8224

रिक्त स्थानों के विवरण, योग्यता मापदंड, नियमों व शर्तों तथा ऑनलाइन आवेदन के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi/careers** या **https://www.sbi.co.in/careers-Latest Announcement/ Current Openings** देखें. उम्मीदवार यहां उपलब्ध लिंक के जरिए अपने आवेदन दर्ज कर सकते हैं

- ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने तथा शुल्क का भुगतान करने की तिथि: 03.01.2020 से 26.01.2020 तक
- ऑनलाइन प्राथमिक परीक्षा की तिथि (अनंतिम): फरवरी 2020/मार्च 2020 में विभिन्न तिथियां
- ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की तिथि (अनंतिम): 19.04.2020

स्थान: मुंबई
दिनांक: 03.01.2020
महाप्रबंधक
सीआरपीडी

मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: डेवलपमेन्ट हाउस, 24 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016
शाखा कार्या.: एससीएफ-75, ऊपरी तल, फेज-9, मोहाली, पंजाब-160062

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद 'अधिनियम' वर्णित) के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसम्पत्ति की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लि. के पास गिरवी नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका अधिनियम की धारा 13(4)/धारा 14 के अंतर्गत कम्पनी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की लागू ब्याज, चार्जेज तथा खर्चे आदि के साथ कम्पनी के बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित शर्तों के अनुसार ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति की बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियम (यहां के बाद नियमों वर्णित) के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत 'जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा उपचार-रहित आधार' पर होगी।

1. ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारन्टरों का नाम 2. मांग सूचना तिथि 3. कुल बकाया + ब्याज	सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति का प्रकार	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी (धरोहर राशि) जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य (लाख में) 2. ईएमडी राशि (लाख में)
हरिमोहन गोयल (ऋणधारक) स्नेह लता, निखिल गोयल, सिद्धार्थ गोयल एवं मै. राम नारायण चन्दरभान (सह-ऋणधारक) ऋण खाता संख्या: HL/0036/H/14/100062 2. सूचना की तिथि: 20.8.2018 3. कुल देयताऐं: 14.00% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज के साथ 14.8.2018 को देय रु. 3781948.25/- (रुपये सैंतीस लाख इक्यासी हजार नौ सौ अड़तालिस एवं पैसे पच्चीस मात्र)	पुराना अनाज मंडी, रोहतक, हरियाणा-124001 में स्थित I ला तल पर मकान सं. 1936/5, एरिया माप 145 वर्ग यार्ड्स के भाग की गिरवी सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दी: पूर्व: 76'-0'' चांदगी भगत का मकान पश्चिम: 76'-0'' राम गोपाल धर्मदा ट्रस्ट उत्तर: 36'-0' रोड पेक पराश्रम दक्षिण: 36'-0' रोड अनाज मंडी	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 11.2.2020 (11 बजे पूर्वा से 2.00 बजे अप.) 2. ईएमडी (धरोहर राशि) जमा करने की अंतिम तिथि: 7.2.2020 को 5 बजे अप. से पूर्व 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय: 5.2.2020 (11 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.)	1. आरक्षित मूल्य (लाख में): 4453000/- (रुपये चौआलिस लाख तिड़ेपन हजार मात्र) 2. ईएमडी राशि (लाख में): 445300/- (रुपये चार लाख पैंतालिस हजार तीन सौ मात्र)

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो का भुगतान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता को ही करना होगा। उनके स्वयं के हित में बोलीदाता/संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व उपरोक्त के संदर्भ में तथा संपत्ति से संबंधित अन्य विवरणों के विषय अपने स्वयं के हित में जांच करके संतुष्ट हो लें।

नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

1. यह नीलामी https://sarfaesi.auctiontiger.net या Auction Tiger Mobile APP द्वारा 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ऊपर तालिका में वर्णित तिथि को ''ऑन लाइन ई नीलामी'' बोली होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को अग्रिम में पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जिसे मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (Auction Tiger) अहमदाबाद (टेली.: 079 4005416), श्री सचिन शर्मा, सेल नं. 9898137576, ईमेल: punjab@auctiontiger.net एवं kushal@auctiontiger.net, श्री कुशल कोठारी, मो.: 6351896834, ई-मेल: support@auctiontiger.net, फैक्स नं. 079-40230847 से प्राप्त किया जा सकता है जो ई-बोली के लिये जरूरी है। कृपया ध्यान रहे कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ही ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को 5.2.2020 को किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक के ''मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लि.'', बैंक भारतीय स्टेट बैंक, खाता नं. 32903006646 तथा आईएफएससी कोड: SBIN0007502, शाखा: कॉमर्सियल शाखा, 24, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016 की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा https://sarfaesi.auctiontiger.net पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों प्रतियों को ईमेल करना होगा तथा अधोलिखित के पास भेजना होगा: प्राधिकृत अधिकारी, मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लि. श्री हिमेन्द्र पाल सिंह, मोबाईल नं. 7087434675, मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लि., पता: एससीएफ 75, 2रा तल, फेज 9, मोहाली, 160062 में, मोबाईल नं. 7087434675, ईमेल आईडी: himendrap.singh@magmahfc.co.in/Auction Tiger, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. 079-40005416), श्री सचिन शर्मा, सेल नं. 9898137576, ईमेल: punjab@auctiontiger.net एवं kushal@auctiontiger.net, श्री कुशल कोठारी, मो. 6351896834, ईमेल: support@auctiontiger.net
3. वेबसाईट पर प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारुप में आवेदन कर नीलामी प्रक्रिया में ऑन लाईन ई-नीलामी भागीदारी अनिवार्य है। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बोली प्रक्रिया में लेने से पूर्व नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें। ऑन लाइन बोली उक्त संगठन की वेबसाईट पर आयोजित होगी तथा निविदा/ई-नीलामी दस्तावेज में शामिल निमयों एवं शर्तों के अधीन होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net से प्राप्त की जा सकती है अथवा मैग्मा हाउसिंग फाइनांस की संबंधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है। ऑन लाइन जमा की गई संलग्नकों (यूटीआर नम्बर का उल्लेख करते हुए) के साथ बोली प्रपत्र की प्रति संबंधित प्राधिकृत अधिकारी, श्री हिमेन्द्र पाल सिंह, मो. 7087434675 को मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लि., पता: एससीएफ 75, 2रा तल, फेज 9, मोहाली-160062 के पास उपरोक्त तिथि एवं समय से पूर्व जमा की जायेगी।
4. अधिक विवरणों तथा पूछताछ के लिए सम्पर्क करें: प्राधिकृत अधिकारी, मैग्मा हाउसिंग पाइनांस लि., नामः श्री हिमेन्द्र पाल सिंह, मो. नं. 7087934675
5. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसंपत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
6. प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से ऊपर की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेंट ऊपर शुरू होगी तथा बोलीदाता न्यूनतम् रु. 10,000/- (रुपए दस हजार) की वृद्धि राशि पर अपने प्रस्ताव में स्वीकार कर सकते हैं।
7. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पास्वर्ड एवं एनईएफटी/ आरटीजीएस/ डीडी द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा। प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
8. बिक्री की पुष्टि ऐसे क्रेता/ बोलीदाता के पक्ष में जीगी जिन्होंने प्राधिकृत अधिकारी के पास अपनी बोली/ निविदा/ प्रस्ताव में उच्च मूल्य का प्रस्ताव किये हों। लेकिन वह प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
9. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री के भाग के रूप में रख ली जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी। सफल बोलीदाता को पहले जमा की गई ईएमडी को समायोजित कर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य के स्वीकृत होने के दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक 25% बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगी। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने पर (ईएमडी अथवा अन्य रूप में) जमा की गई राशि कम्पनी द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी फिर से सम्पत्ति की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
10. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगा।
11. उपरोक्त शर्त के अनुसार 25% बिक्री मूल्य का भुगतान करने के बाद 75% शेष बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पूर्व अथ

ट्रेड यूनियनों की कल राष्ट्रव्यापी हड़ताल

ट्रेड यूनियनों का दावा- पच्चीस करोड़ लोग शामिल होंगे

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने दावा किया है कि आठ जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 25 करोड़ लोग शामिल होंगे। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया गया है। ट्रेड यूनियनों इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआइयूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्लूए, एआइसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी सहित विभिन्न संघों और फेडरेशनों ने पिछले साल सितंबर में आठ जनवरी, 2020 को हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।

दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त बयान में कहा- आठ जनवरी को आगामी आम हड़ताल में हम कम से कम 25 करोड़ लोगों की भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद हम कई और कदम उठाएंगे और सरकार से श्रमिक विरोधी, जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग करेंगे। बयान में कहा गया है- श्रम मंत्रालय अब तक श्रमिको को उनकी किसी भी मांग पर आश्वासन देने में विफल रहा है। श्रम मंत्रालय ने दो जनवरी, 2020 को बैठक बुलाई थी। सरकार का रवैया श्रमिकों के प्रति अवमानना का है। बयान में कहा गया है कि छात्रों के 60 संगठनों और कुछ विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने भी हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। उनका एजंडा बढ़ी फीस और शिक्षा के व्यावसायीकरण का विरोध करने का है।

ट्रेड यूनियनों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा और अन्य विश्वविद्यालय परिसरों में इसी तरह की घटनाओं की आलोचना की है और देशभर में छात्रों और शिक्षकों को समर्थन देने की घोषणा की है। यूनियनों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जुलाई, 2015 से एक भी भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ है। इसके अलावा यूनियनों ने श्रम कानूनों की संहिता बनाने और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का भी विरोध किया है।

आर्थिक मुद्दों पर केंद्र को बदनाम कर रही हैं कई ताकतें : राजनाथ

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आर्थिक मुद्दों पर कई ताकतें केंद्र को 'बदनाम' करने की कोशिश कर रही हैं। सिंह ने सोमवार को यहां कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स के तीन दिन के महाधिवेशन में कहा कि सरकार व्यापारियों के हित को समझती है और इस दिशा में काम कर रही है।

सिंह ने कहा कि उन्होंने सीलिंग के मुद्दे पर आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात की है। उन्होंने इस पर ध्यान देने का भरोसा दिलाया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती वैश्विक आर्थिक मंदी का हिस्सा है।

डीजल 17 और पेट्रोल 15 पैसे महंगा

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत में तेल वितरण कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर क्रम से 15 पैसे और 17 पैसे बढ़ा दिए। अमेरिका और ईरान के बीच नए तनाव के बाद कच्चे तेल का बाजार उफान पर है और इसका भाव 70 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है।

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से मूल्य वृद्धि की ताजा घोषणाओं के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 75.69 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। नवंबर, 2018 के बाद यह पेट्रोल की सबसे ऊंची दर है। इसी तरह राजधानी में डीजल भी 68.68 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पेट्रोलियम कंपनियां लगातार पांच दिन से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही हैं।

बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के एक सैन्य अधिकारी के मारे जाने के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता का वातावरण है। मानक ब्रेंट कच्चा तेल न्यूयॉर्क बाजार में 2.14 डॉलर प्रति बैरल यानी 3.1 फीसद उछलकर 70.74 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था। इससे पहले कच्चे तेल का भाव इस स्तर पर सितंबर, 2019 में था। उस समय सऊदी अरब के तेल शोधन संयंत्र पर हमले से कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति पांच फीसद गिर गयी थी।

खाड़ी क्षेत्र में तनाव से वैश्विक शेयर बजारों में भी उथल-पुथल मची हुई है। वैश्वि बाजारों के शेयर गिर रहे हैं और निवेशक सुरक्षा के लिए सोने की ओर झुक गए हैं।

सेबी नोटिस के खिलाफ एनडीटीवी प्रवर्तकों की याचिका खारिज

मुंबई, 6 जनवरी (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन के 2018 के एक मामले में सेबी की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आरआई चाग्ला के खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता नोटिस का जवाब दे सकते हैं और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की सुनवाई में उपस्थित हो सकते हैं। अदालत ने कहा- ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता पंचाट के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। वे न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह सेबी के नोटिस को खारिज कर दे और सेबी को निर्देश दे कि उसने जिन दस्तावेजों, रेकॉर्ड व फाइलों और नोटिग के आधार पर नोटिस जारी किया है, उनको रॉय पति-पत्नी को देखने दिया जाए।

सेबी ने 31 अगस्त, 2018 को रॉय पति-पत्नी को नोटिस जारी कर उन्हें कीमत से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील सूचना की जानकारी रखते हुए एनडीटीवी के शेयरों की खरीद-बिक्री करने पर उन्हें भेदिया कारोबार निषेध नियमन के उल्लंघन का दोषी ठहराया। हालांकि, प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने अपनी याचिका में नोटिस को मनमाना, अतार्किक और सत्ता के दुरुपयोग वाला बताया है।

उद्योगपतियों ने जेएनयू हिंसा की निंदा की

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने रविवार रात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई हिंसा पर चिंता जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। कई उद्योगपतियों- आनंद महिंद्रा, हर्ष मारीवाला और किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि इस तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस घटना के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

मैरिको लि. के चेयरमैन हर्ष मारीवाला ने ट्वीट किया- अहिंसा की धरती से हमें इस तरह की हिंसा की घटना देखने को मिली। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने रविवार शाम को ट्वीट किया- जिन्होंने भी जेएनयू पर हमला किया है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। किरण मजूमदार शॉ ने ट्वीट किया- यह अक्षम्य है। इसे माफ नहीं किया जा सकता।

आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने कहा कि इस समय भारत 'धार्मिक आग' में घिरा हुआ है। गोयनका ने लिखा- मैं आस्ट्रेलिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जंगलों में लगी आग में 50 करोड़ जानवर मारे गए हैं। मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि आप भारत के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं जहां देशभर में छात्र-छात्राओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है।

सूचकांक व निफ्टी में छह माह की सबसे बड़ी गिरावट

मुंबई, 6 जनवरी (भाषा)।

अमेरिका- ईरान में जारी तनाव के बीच निवेशकों की बिकवाली से सोमवार को बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का सूचकांक 788 अंक टूट गया। पिछले छह माह में सूचकांक में यह सबसे बड़ी गिरावट रही। निवेशक इस समय शेयरों की बिकवाली कर के अपने धन को सोने जैसी निवेश की सुरक्षित प्रतिभूतियों, संपत्तियों में लगाना बेहतर समझ रहे हैं।

कारोबार की समाप्ति पर बीएसई सूचकांक 787.98 अंक यानी 1.90 फीसद गिरकर 40,676.63 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक में आठ जुलाई 2019 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट रही। कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और दिन चढ़ने के साथ ही इसमें गिरावट बढ़ती गई। इस दौरान एक समय सूचकांक 40,613.96 अंक तक नीचे चला गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी कारोबार की समाप्ति पर 233.60 अंक यानी 1.91 फीसद गिरकर 11,993.05 अंक पर बंद हुआ।

बीएसई सूचकांक में शामिल शेयरों में बजाज फाइनेंस में सबसे ज्यादा 4.63 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद एसबीआइ, इंडसइंड बैंक, मारुति, एचडीएफसी, हीरो मोटोकार्प, एक्सिस बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी गिरावट रही। हालांकि, गिरावट के रुझान के बावजूद टाइटन और पावर ग्रिड के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई।

अलग अलग उद्योग क्षेत्रों की घटबढ़ दिखाने वाले सूचकांक में भी ज्यादातर में गिरावट रही। बीएसई धातु, वित्त, रियल्टी, बैंकेक्स, ऊर्जा, वाहन, तेल व गैस, पूंजीगत सामान और स्वास्थ्य क्षेत्र के सूचकांकों में करीब तीन फीसद तक की गिरावट रही। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव से जहां एक तरफ कच्चे तेल के दाम बढ़ने की चिंता निवेशकों में रही वहीं डालर के मुकाबले भारतीय मुद्रा की दर में गिरावट का भी धारणा पर असर रहा। डालर के मुकाबले रुपया 13 पैसे गिरकर 71.93 रुपए प्रति डालर पर बंद हुआ वहीं कच्चे तेल का ब्रेंट क्रुड का भाव 69.64 डालर प्रति बैरल पर 1.37 फीसद ऊंचा रहा।

जियोजित फाइनेंसियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- वास्तविक स्थितियां अस्थिर बनी हुई है। वैश्विक बाजारों में शंका है कि अमेरिका- ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है। निवेशक अपनी मौजूदा स्थिति को समेटने में लगे हैं और तेल अथवा सोने जैसी दूसरी संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि यदि तेहरान ने अमेरिका के खिलाफ बदले की कारवाई की तो उसके खिलाफ भीषण कार्रवाई की जाएगी। वैश्विक बाजारों में इसको लेकर आशंका व्याप्त है। शंघाई, हांग कांग, तोक्यो और सोल के बाजारों में भी गिरावट रही। यूरोपीय बाजारों में भी शुरुआत गिरावट के साथ रही।

टाटा- मिस्त्री मामला : फैसले में संशोधन की कंपनी की अर्जी अपीलीय न्यायाधिकरण ने खारिज की

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कंपनी पंजीयक की उस अर्जी को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायाधिकरण से साइरस मिस्त्री-टाटा संस मामले में अपने पहले के निर्णय में संशोधन किए जाने की मांग की गई थी।

एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कंपनी पंजीयक (आरओसी) की अर्जी पर सुनवाई के बाद सोमवार को उसे खारिज किया और कहा- 18 दिसंबर 2019 के निर्णय में संशोधन किए जाने का कोई आधार नहीं बनता है। आरओसी कंपनी मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एजंसी है।

एनसीएलएटी ने उस फैसले में मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल किए जाने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण के 172 पृष्ठ के फैसले में यह भी कहा गया है कि टाटा समूह की धारक कंपनी टाटा संस को पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में बदला जाना 'गैरकानूनी' है और यह 'आरओसी की मदद से' किया गया कार्य है।

टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा और समूह की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सिर्विसेज (टीसीएस) 18 दिसंबर के निर्णय को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिक पहले ही दायर कर चुके हैं। आर-ओ-सी ने 23 दिसंबर को दायर अपनी अर्जी में इन दो याचिकाओं में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी थी। उसने अपनी अर्जी में 18 दिसंबर के निर्णय में टाटा संस लि को प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित किए जाने के मामले में 'गैरकानूनी' और 'आओसी की मदद से' जैसे शब्दों के प्रयोग को हटाये जाने की मांग भी की थी।

अर्जी में कहा गया था कि इस निर्णय के पैरा 186 और 187 (चार) में इस तरह से संशोधित किया जाए ताकि आरओसी मुंबई का कार्य-व्यवहार फैसले में सही ढंग से परिलक्षित हो। अर्जी में दावा किया गया था कि 'आरओसी मुंबई ने कोई गैरकानूनी काम नहीं है किया बल्कि यह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार था।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गढ़वा

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई- निविदा सूचना संख्या – RWD/SD/GARHWA/14/2019-20

1. कार्य की विस्तृत विवरणी

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विभाग का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	गढ़वा जिला अंतर्गत बरडीहा प्रखण्ड में ग्राम-कोल्हुआ के अम्बा घाट के पास पुल निर्माण।	1,72,76,000.00	3,46,000.00	10000.00	15 माह

2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि – 10.01.2020
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय – 23.01.2020 अपराह्न 5:00 बजे तक।
4. ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गढ़वा / मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ.एफ.पी. भवन, राँची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, Bank Credit Certificate एवं Affidavit जमा करने की तिथि एवं समय 24.01.2020 अपराह्न 5:00 बजे तक।
5. निविदा खोलने का स्थान – मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ.एफ.पी. भवन, राँची।
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समय – 27.01.2020 अपराह्न 2:00 बजे।
7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गढ़वा।
8. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० – 9234908682
9. निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गढ़वा के पदनाम से देय हो देना होगा।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,गढ़वा

PR223355 (Rural Development)19-20*D

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (एनडब्ल्यू) -II
एच-ब्लॉक, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-110089
फोन: 27851040 (ईमेल:eenw2.djb@gmail.com)
प्रेस एनआईटी सं. 52 (2019-20)
प्रेस निविदा सूचना

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	धरोहर राशि/निविदा शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई एनडब्ल्यू)-II के अंतर्गत 40 फूटा रोड, विजय विहार फेज-II में पेरीफेरल सीवर लाइन के एलाइन्मेन्ट में आने वाले 500 एमएम डाया वाटर लाइन का स्थानांतरण।	रु. 3248690/-	रु. 65500/- रु. 500/-	3.1.2020 2020_DJB_187139_1	15.1.2020 3.00 बजे अप. तक।

प्रेस एनआईटी सं. 53 (2019-20)
प्रेस निविदा सूचना

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	धरोहर राशि/निविदा शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (एनडब्ल्यू)-II के अंतर्गत एसी-07 बवाना में सेक्टर 24, रोहिणी, आरएससी के सी तथा डी ब्लॉक के पुराने/ क्षतिग्रस्त 100 एमएम डाया वाटर लाइन के विस्थापन द्वारा दूषण का निपटारा	रु. 4561741/-	रु. 91300/- रु. 500/-	6.1.2020 2020_DJB_187338_1	17.1.2020 3.00 बजे अप. तक।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 798/2019-20

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता
(एनडब्ल्यू) II

दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-II
दिल्ली गेट एसटीपी फेज-II, दिल्ली सचिवालय के सामने,
आईपी इस्टेट, नई दिल्ली-110002
फोन: 011-23392216, ई-मेल:eecdr2@gmail.com
शुद्धि पत्र सं. 01
एनआईटी सं. 5/ईई(सी) डीआर-II (2019-20)
निविदा आईडी सं: 2019_DJB_186809_1

कार्य का नाम: बटला हाउस, नई दिल्ली में डी बीओ आधार पर सिविल कार्य, ईएंडएम कार्य, राइजिंग मैन तथा अन्य संबंधित/उपयुक्त प्रासंगिक कार्यों सहित **8.0 MGD** बटला हाउस, फे-II एसपीएस (डब्ल्यूडब्ल्यूपीएस) का निर्माण।

i) डीबीओ आधार पर डब्ल्यूडब्ल्यूपीएस तथा राइजिंग मैन के लिये सिविल, ईएंडएम कार्य एवं राइजिंग मैन।

उक्त एनआईटी के संदर्भ में एनआईटी सं. 05/ईई(सी) डीआर-II (2019-20) निविदा आईडी सं. 2019_DJB_186809_1 तिथि 30.12.2017 को एनआईटी सं. 04/ईई(सी) डीआर-II (2019-20) (निविदा आईडी सं. 2019_DJB_186809_1) पढ़ें।

एनआईटी के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 795/2019-20

हस्ता./-
ई.ई. (सी) डीआर-II

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011 -23357171 , 23357172, 23705414 वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा पता : यूजी1, एसजी बीटा टॉवर, प्लॉट सं. 10, सेक्टर-3, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201011, दूरभाष : 120-2699117, ई-मेल : Ghaziabad@pnbhousing.com, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के नियम 8(1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर कथित सूचना/ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध कर्जदार/रों से प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित राशियों का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार/रों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार ऋण अनुबन्ध के अनुसार कथित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। **प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।**

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम	माँग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा करने की तिथि	गिरवीकृत सम्पत्ति का विवरण
1.	HOU/GUR/ 1115/250012	सतीनाथ भट्टाचारजी	05-09-2019	रु. 1,25,77,275.95(रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख सतहत्तर हजार दो सौ पचहत्तर एवं पिचानबे पैसे मात्र)	02-01-2020	प्लॉट सं. बी-40, प्रथम तल, राम पुरी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001
2.	NHL/GUR/ 1215/254469	सतीनाथ भट्टाचारजी	05-09-2019	रु. 40,72,620.46(रुपये चालीस लाख बहत्तर हजार छः सौ बीस एवं छियालीस पैसे मात्र)	02-01-2020	ई-172, एचआईजी, राधा कुंज, बृज विहार, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011
3.	NHL/GUR/ 1215/258801	सतीनाथ भट्टाचारजी	05-09-2019	रु. 79,14,909.58(रुपये उन्यासी लाख चौदह हजार नौ सौ नौ एवं अट्ठावन पैसे मात्र)	02-01-2020	ई-172, एचआईजी, राधा कुंज, बृज विहार, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011

स्थान : गाजियाबाद, दिनांक : 06.01.2020
अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
भारत सरकार का एक उपक्रम
प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001

आईटीपीओ/एफएंडबी/आईईसीसी/टेंडर/एफएंडबी आउटलेट्स/2018 दिनांक 07.01.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

आईटीपीओ द्वारा आईईसीसी, प्रगति मैदान, नई दिल्ली के प्रदर्शनी परिसर में एफएंडबी सुविधाओं की अपनी स्वयं की लागत पर स्थापना, प्रचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दस्तावेज एवं अन्य विवरण आईटीपीओ वेबसाइट **www.indiatradefair.com** एवं सीपीपी पोर्टल **https://eprocure.gov.in/app** से **07.01.2020** से डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदाएं केवल सीपीपी वेबसाइट पर जमा करनी होगी।

महाप्रबंधक (एफएंडबी)
फोन नं: 23371868

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF CLC INDUSTRIES LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Corporate Debtor	CLC INDUSTRIES LIMITED (Formerly Known as Spentex Industries Limited)
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	25th November, 1991
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi
4.	Corporate Identity No / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	L74899DL1991PLC138153
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	Registered Office as per ROC Company Master Data: A-60, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
6.	Insolvency Commencement date in respect of Corporate Debtor	3rd January, 2020
7.	Estimated date of closure of Insolvency Resolution Process	30th June, 2020 (180 days from the Insolvency Commencement Date)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	Subhash Kumar Kundra Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00399/2017-2018/11174
9.	Address and e-mail of the Interim Resolution Professional, as registered with the Board	Address Registered with the Board: C4E/135, Janak Pur, New Delhi – 110058 Email Registered with the Board: kundra.sk27@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	Address for Correspondence: Primus Insolvency Resolution and Valuation Pvt. Ltd. C4E/135, Janak Pur, New Delhi – 110058 Email: clc@primuaresolutions.in
11.	Last date for submission of claims	1st February, 2020
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	Name of Class (es): NIL
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of Authorized Representatives are available at:	Web link: link:http://ibbi.gov.in/downloadform.html Physical Address: Not Applicable

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Principal Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the CLC Industries Limited on 3rd January, 2020.

The creditors of CLC Industries Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 1st February, 2020 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 7th January 2020
Place: New Delhi

Subhash Kumar Kundra
(Interim Resolution Professional)
IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00399/2017-2018/11174

कार्यालय वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर. सी. सं. 420/2018 **ई-नीलामी बिक्री सूचना** दिनांक : 20.12.2019

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मैसर्स धर्मवेद एसोसिएट्स

दिनांक 20.12.2019 के आदेशानुसार निम्नांकित सम्पत्ति की सार्वजनिक ई-नीलामी दिनांक 12.02.2020 उल्लेखित ऋण वसूली प्रमाण पत्र में नीलामी बिक्री वेबसाइट https://bob.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाईन ई-नीलामी" होगी
ई-निलामी की तिथि और समय : दिनांक 12.02.2020, अपॉह्न 03.00 बजे तथा अपॉह्न 04.00 बजे के बीच
(अपॉह्न 04.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है)

सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)
सी-9/11, कृष्णा नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051 में स्थित, क्षेत्रफल 201 वर्ग गज	₹ 4,00,00,000/- (रु. चार करोड़ मात्र)	₹ 40,00,000/- (रु. चालीस लाख मात्र)

नियम व शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाइट https://bob.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाईन ई-नीलामी" होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi खाता RC No. 420/2018" के पक्ष में दिल्ली में देययोग्य हो, अथवा एन ई एफ टी / आर टी जी एस द्वारा अधोलिखित खाता बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता 00950200000743, IFSC Code BARB0CANNAU में जमा करें, उक्त डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर या एन ई एफ टी/आर टी जी एस द्वारा ईएमडी भुगतान का मूल साक्ष्य, स्व-प्रमाणित पहचान साक्ष्य (वोटर आई डी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट) और पैन कार्ड के प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/निरूपण को प्रुफ करने वाले अन्य कोई आलेख **वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 10.02.2020 को सांय 4.00 बजे से पहले जमा कराना होगा और धरोहर राशि इसके पश्चात स्वीकार नही की जायेगी।**
3. धरोहर राशि वाले लिफाफे के ऊपर आर सी न 420/2018 अंकित होना चाहिए और साथ में एनईएफटी/आरटीजीएस का साक्ष्य और बोलीदाता का पूर्ण पता, ई-मेल आई डी और मोबाईल न. भी अंकित होना चाहिए।
4. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है आधार"** पर की जाएगी।
5. बोलीदाताओं को अपनी बोली देने और ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री हेतु नियम तथा शर्तों के लिए वेबसाइट **https://bob.auctiontiger.net** देखने **तथा/अथवा श्री यशपाल चावला, मुख्य प्रबंधक, मो 9584317492 बीओबी, जेडओएसएआरबी, नई दिल्ली ईमेल : armdel@bankofbaroda.co.in सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।**
6. इच्छुक बोलीदाताओं को हमारे ई-नीलामी सर्विस प्रोवाईडर के पास पहले पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए यूजर आई डी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा और यह धरोहर राशि जमा करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है और मैसर्स ई-प्राक्योरमेंट टेक्नोलाजी लि., **बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-II, एलिस ब्रिज अहमदाबाद-380006 गुजरात** के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी। **सम्पर्क: श्री राम शर्मा, सम्पर्क नं. 07961200511/06351896834, ईमेल: delhi@auctiontiger.net के साथ सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।**
7. इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी सर्विस प्रोवाईडर मैसर्स ई-प्राक्योरमेंट टेक्नोलाजी लि., **बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-II, एलिस ब्रिज अहमदाबाद-380006 गुजरात** के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी। **सम्पर्क: श्री राम शर्मा, सम्पर्क नं. 07961200511/06351896834, ईमेल: delhi@auctiontiger.net** से सम्पर्क करके ऑन लाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।
8. पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से धरोहर राशि जमा करने के पश्चात ही, वैलिड यूजर आई डी और पासवर्ड धारक बोलीकर्ता ही ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।
9. इच्छुक बोलीदाता सम्पत्ति का निरीक्षण स्थल पर दिनांक 06.02.2020 और 07.02.2020 को पूर्वा. 10.30 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक
10. इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होंने अपनी बोली (आरक्ष

पाक ने 20 भारतीय मछुआरे सौंपे

लाहौर, 6 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तानी जेल से रविवार को रिहा किए गए 20 भारतीय मछुआरे सोमवार को वाघा सीमा पर पहुंच गए। भारत और पाकिस्तान में जारी तनावपूर्ण संबंधों के बीच सद्भावना दर्शाते हुए इन सभी को रिहा किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी रेंजरों ने इन भारतीय मछुआरों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंपा। इनमें से ज्यादातर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ये मछुआरे सिंध प्रांत में कराची के मालिर जिला कारागार से रिहा होने के बाद रविवार को ट्रेन से लाहौर पहुंचे थे।

इदी फाउंडेशन के अधिकारी ने बताया, 'उनके यहां पहुंचने पर, फाउंडेशन उन्हें लेने लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचा और उन्हें अपने केंद्र पर ले गया, जहां उन्हें भोजन और नए कपड़े दिए गए।' रेंजर्स के अधिकारी ने मछुआरों को भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने की पुष्टि की। इन सभी को नवंबर 2018 में पाकिस्तानी जल क्षेत्र में आ जाने के कारण गिरफ्तार किया गया था। मालिर जिला कारागार के अधीक्षक औरंगजेब कांगो ने कहा कि रिहा किए गए भारतीयों को छह महीने की सजा सुनाई गई थी लेकिन उनके दस्तावेज एवं राष्ट्रीयता की पुष्टि संबंधी प्रक्रिया पूरी किए जाने के चलते इसमें देरी हुई। करीब 200 भारतीय मछुआरे अब भी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।

सुलेमानी को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा जनसमूह

तेहरान, 6 जनवरी (एएफपी)।

अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को श्रद्धांजलि देने के लिए सोमवार को यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और शहर थम सा गया।

सड़कों पर युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं की भारी तादाद थी। महिलाएं हिजाब और अन्य काले परिधान में थीं। ईरान के सबसे लोकप्रिय शख्स सुलेमानी शुक्रवार को बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप अमेरिकी हवाई हमले में मारे गये थे। वह 62 साल के थे। प्रदर्शन में शामिल महिला ने कहा, 'वह नायक थे। उन्होंने दाएस (इस्लामिक स्टेट) को हराया था।' उसने कहा, 'अमेरिका ने जो कुछ किया, वह वाकई अपराध है।' उसने कहा, 'मैं उनकी शहादत पर शोक मनाने आई हूं। बिल्कुल जवाब दिया जाना चाहिए लेकिन हम जंग नहीं चाहते हैं। कोई भी जंग नहीं चाहता है।' सरकारी टेलीविजन के अनुसार इस प्रदर्शन में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। अमेरिकी हमले का बदला लेने की ठान चुके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमैनी ने दिवंगत जनरल की जनाजे की नमाज की इमामत की। सड़कों पर इतनी भीड़ थी कि लोग मेट्रो स्टेशनों से बाहर ही नहीं निकल पाए।

तेहरान में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाजे में सोमवार को उमड़ा अपार जनसमूह।

आतंकी समूहों का इस्तेमाल बंद करे सेना : पाक का असंतुष्ट वर्ग

बलूचिस्तान में सैन्य दमन रोकने का प्रस्ताव पारित

वाशिंगटन, 6 जनवरी (भाषा)।

अमेरिका में पाकिस्तान के असंतुष्ट वर्ग ने पाकिस्तान में लगातार हो रहे सैन्य दखल और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के हनन पर गहरी निराशा जताते हुए मुख्यधारा के दलों से कहा कि वे देश में आम नागरिकों को सर्वोच्च स्थान देने और विधि का शासन कायम करने के लिए कदम उठाएं।

समूह ने कहा कि पाकिस्तान की सेना कट्टरपंथी आतंकी समूहों को विदेशी व घरेलू नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करना बंद करे। साउथ एशियंस अगेंस्ट टेरेरिज्म एंड फॉर ह्यूमन राइट्स (साथ) फोरम के बैनर तले अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी वाले समूह ने कहा कि सुरक्षा एजंसियों को प्रताड़ना शिविर बंद करने चाहिए। 'साथ' ने प्रस्ताव में कहा, 'पाकिस्तान के मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से हम निराश हैं। इन दलों में आतंरिक लोकतंत्र होना चाहिए और उन्हें यह पता होना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव के जरिए सत्ता हासिल करना नहीं है।' उसमें कहा गया, 'पाकिस्तान के मुख्यधारा के सियासी दलों को जनता के सशक्तीकरण के लिए, संवैधानिक शासन और विधि व्यवस्था के लिए खड़े होना चाहिए और न कि सिर्फ चुनाव को प्रभावित करके सत्ता हथियाने तक सीमित रहना चाहिए।' असंतुष्ट सदस्यों ने साथ के चौथे संस्करण में एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें बलूचिस्तान में सैन्य दमन रोकने की मांग की गई।

पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान की निंदा की

इस्लामाबाद, 6 जनवरी (भाषा)।

जाने-माने पाकिस्तानी अखबारों ने देश के समक्ष खासकर आर्थिक मोर्चे पर मौजूद चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहने और शीर्ष सैन्य जनरल कमर जावेद बाजवा की नौकरी सुरक्षित रखने के लिए सैन्य कानून में संशोधन से संबंधित विधेयकों को पारित करने में अत्यावश्यक जल्दबाजी दिखाने को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान की निंदा की है।

डॉन ने सोमवार को तीखे संपादकीय कहा, 'यह प्रवृति लगातार सामने आ रही है कि जब भी कोई महत्त्वपूर्ण फैसला किया जाता है तो जिस व्यक्ति की गैरहाजिरी सबसे अधिक चौंकाती है वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं।' संपादकीय के अनुसार बिजली और गैस के शुल्क में हाल ही की वृद्धि व्यवस्था में शासन की गंभीर कमी दर्शाती है। उसके हिसाब से अनदेखी के परिणाम लगातार स्पष्ट होते जा रहे हैं। द नेशन ने संपादकीय में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा है। सेना प्रमुख के सेवा विस्तार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला चेताना वाला होना चाहिए। पीटीआइ संसद की अनदेखी नहीं कर सकती है और न ही उसे ऐसा करना चाहिए।

चीन ने अमेरिका की निंदा की, सभी से संयम बरतने का अनुरोध

बेजिंग, 6 जनवरी (भाषा)।

चीन ने पश्चिम एशिया में तनाव को बढ़ाने वाली घटना को अमेरिकी 'दुस्साहस' बताते हुए सोमवार को उसकी निंदा की और सभी पक्षों से संयम बरतने का अनुरोध करते हुए कहा कि ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर की अमेरिका द्वारा हत्या के बाद खराब हुए हालात को लेकर वह चिंतित है।

इराक के खिलाफ प्रतिबंधों सहित अमेरिका की अन्य धमकियों की आलोचना करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने संकेत दिया कि चीन उसके और अमेरिका के बीच जारी व्यापार युद्ध को खत्म करने के लिए अगले सप्ताह पहले चरण के समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत ने बेहद नाटकीय तरीके से और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरानी सेना के प्रमुख और देश की क्षेत्रीय सुरक्षा के मुख्य वास्तुकार सुलेमानी बगदाद में अमेरिका द्वारा किए गए ड्रोन हमले में मारे गए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के संबंध में सवाल करने पर गेंग ने कहा, 'पश्चिम एशिया में हालात को लेकर चीन बहुत चिंतित है।' उन्होंने कहा, 'खाड़ी क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात को बिगड़ते हुए कोई भी नहीं देखना चाहेगा। सत्ता की राजनीति बेहद अलोकप्रिय और अस्थिर है। अमेरिकी दुस्साहस अंतरराष्ट्रीय संबंधों का नियमन करने वाले नियमों के खिलाफ है और क्षेत्र में तनाव व अस्थिरता पैदा करता है।' उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग का चीन विरोध करता है।गेंग ने कहा, 'सैन्य तरीकों से कुछ हासिल नहीं होगा और अधिकतम दबाव भी काम नहीं करेगा। हमें लगता है कि सभी पक्षों को तत्काल संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावना के उद्देश्यों और सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का नियमन करने वाले मौलिक नियमों का पालन करना चाहिए।'

जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की अपील

2015 परमाणु समझौते का उल्लंघन न करे ईरान

बर्लिन, 6 जनवरी (एएफपी)।

जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के नेताओं ने रविवार को ईरान से अपील की कि वह 2015 परमाणु समझौते का उल्लंघन न करे। तेहरान के संवर्धन की सीमा का पालन न करने की घोषणा करने के बाद इन देशों के प्रमुख नेताओं ने यह अपील की।

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त बयान में कहा, 'हम ईरान से उन सभी कदमों को वापस लेने की अपील करते हैं जो परमाणु समझौते के अनुरूप नहीं है।' ईरान के साथ हुए बहुपक्षीय समझौते से अमेरिका के पीछे हटने और उस पर फिर से प्रतिबंध लगाने के जवाब में ईरान ने परमाणु समझौते से पीछे हटने से संबंधित अपने पांचवें कदम को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास मौसावी ने टेलीविजन पर प्रसारित बयान में कहा था, 'पांचवें कदम के संबंध में फैसला पहले ही किया जा चुका है... लेकिन मौजूदा स्थिति पर विचार किया जा रहा है। आज रात (रविवार रात) होने वाली अहम बैठक में कुछ अहम बदलाव किए जाएंगे।' दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देख नेताओं ने कहा, 'तनाव को कम करना जरूरी है। हम इसमें शामिल पक्षों से अत्यंत संयम और जिम्मेदारी से पेश आने की अपील करते हैं।' इराकी संसद के हजारों अमेरिकी सैनिकों को वापस भेजने का प्रस्ताव पारित करने के बाद यूरोपीय नेताओं ने आइएस जिहादियों के खिलाफ लड़ाई को खतरे में नहीं डालने की अपील की। बयान में कहा, 'इस संदर्भ में (आइएस विरोधी) गठबंधन को बनाए रखना सबसे महत्त्वपूर्ण है। हम इराक के अधिकारियों से गठबंधन को आवश्यक सहयोग देते रहने की मांग करते हैं।'

पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) punjab national bank ...the name you can BANK upon!

वसूली विभाग, सर्किल कार्यालय : मध्य दिल्ली, चतुर्थ तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 फोन : 011–25713518 ई–मेल : cocdelrd@pnb.co.in

जनसाधारण हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना,

"जबकि वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों ने निम्नलिखित कर्जदारों/गारंटरों/बंधकदाताओं (इसमें आगे कर्जदार कहे गए है) से प्रत्येक कर्जदार के सामने दिए गए विवरण के अनुसार राशियों की वसूली के लिए मांग सूचना जारी की हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारियों ने अधोवर्णित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है, जो ऋण/उधार सुविधाओं के संबंध में प्रतिभूतियों के रूप में रखी गई हैं। जबकि प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री पंजाब नैशनल बैंक द्वारा कर्जदारों से मांग सूचना के अनुसार प्रतिभूत ऋणों की वसूली आगे ब्याज, बैंक द्वारा उस पर वहने की गई लागतों तथा प्रभारों सहित, वसूल की गई राशि, यदि कोई, घटाकर करने के लिए सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा की जानी है।

सर्व साधारण को व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिवत अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। बैंक ग्राह्य सम्पत्तियों के लिए बोली लगाने हेतु स्वतंत्र है।

(सम्पत्तियों के विस्तृत विवरण के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी/शाखा प्रमुख से सम्पर्क करें)"

प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री का कार्यक्रम

क्र. सं.	कर्जदार तथा बैंक शाखा का नाम	मांग सूचना की तिथि तथा सूचना में वर्णित बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण बन्धकदाता (सम्पत्ति का स्वामी) के नाम के साथ	कब्जे की स्थिति (भौतिक अथवा सांकेतिक)	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) राशि	ईएमडी जमा की अन्तिम तिथि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय	नीलामी की तिथि तथा समय	खाता विवरण, जिसमें आरटीजीएस/एनईएफटी एवं आईएफएससी कोड के माध्यम से ईएमडी जमा की जानी है	बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी का नाम तथा सम्पर्क नं.	बकाया सरकारी देयताएं, यदि कोई हों
1.	श्री जाल सिंह एवं श्रीमती मंजू रानी बीओ : एल ब्लॉक, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली	रु. 21.81 लाख 04–01–2018	"श्री जाल सिंह के नाम में फ्लैट नंबर एएफ–015, ई–1, प्रथम तल, सेक्टर–ए, ग्रीन ग्लेड्स, अंसल्स गोल्फ लिंक–1, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201308, एरिया 77.29 वर्ग मीटर फ्रीहोल्ड"	भौतिक	रु. 32.00 लाख	रु. 3.20 लाख	28–01–2020	24–01–2020	30–01–2020 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 10,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री हरविंदर पाल रावल, मुख्य प्रबंधक 9717490223, शाखा प्रमुख श्री नीरज कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक मोबाइल : 9984499993, नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं
2.	श्री शिव शंकर सोनी तथा श्रीमती सुषमा सोनी, बीओ : नजफगढ़, नई दिल्ली	रु. 20.83 लाख 02–01–2016	"फ्लैट नंबर एस–02, द्वितीय तल, ए–1/56, डीएलएफ, भोपुरा, दिलशाद एक्सटेंशन–II, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, स्वामी श्री शिव शंकर सोनी तथा श्रीमती सुषमा सोनी, एरिया 650 वर्ग फीट (फ्रीहोल्ड)"	भौतिक	रु. 13.00 लाख	रु. 1.30 लाख	28–01–2020	24–01–2020	30–01–2020 मध्या. 12.00 बजे से अप. 1.00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 10,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री राजीव कुमार भार्गव, मुख्य प्रबंधक 9212400923, शाखा प्रबंधक श्री सत्य नारायण साह, 9818103808, नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं
3.	मैसर्स कैराफोर फैब्रिक्स प्रा. लि., बीओ : संसद मार्ग, नई दिल्ली	रु. 202.63 लाख 07–02–2019	श्री अनील साहनी के नाम में फ्लैट नंबर सी–753, (द्वितीय तल), सुशांत लोक–I, गुड़गांव, हरियाणा (फ्रीहोल्ड) एरिया 900 वर्ग फीट"	सांकेतिक	रु. 110.00 लाख	रु. 11.00 लाख	28–01–2020	इच्छुक बोलीदाता सम्पत्ति का निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं	30–01–2020 अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 50,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री अखिल कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक 8310559991, नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं
4.	मैसर्स सिम्पलेक्स सेल्स कार्पोरेशन बीओ : एआरएमबी, नई दिल्ली	रु. 1,63,26,991.64 02–04–2018	श्री नीरज मल्होत्रा पुत्र अशोक मल्होत्रा द्वारा स्वाधिकृत दुकान नंबर 3 जीएफ ब्लॉक–सी, मुखर्जी नगर (निकट बत्रा सिनेमा), दिल्ली–09, एरिया 13.94 वर्ग मीटर फ्रीहोल्ड	सांकेतिक	रु. 52.00 लाख	रु. 5.20 लाख	29–01–2020	इच्छुक बोलीदाता सम्पत्ति का निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं	31–01–2020 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 20,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री पवन कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक 9810223192 नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं
5.	मैसर्स सिम्पलेक्स सेल्स कार्पोरेशन बीओ : एआरएमबी, नई दिल्ली	रु. 1,63,26,991.64 02–04–2018	श्री हिमांशु मल्होत्रा पुत्र अशोक मल्होत्रा द्वारा स्वाधिकृत दुकान नंबर 6 जीएफ ब्लॉक–सी, मुखर्जी नगर (निकट बत्रा सिनेमा), दिल्ली–09, एरिया 13.94 वर्ग मीटर फ्रीहोल्ड ये मामले बैंक द्वारा 17–09–2019 में डीआरटी में दाखिल उपरोक्त सम्पत्तियों नामतः डीआरटी में एसए सं. 248/2019 तथा डीआरएटी तथा ओए में अपील 408/2019 और ओए के संबंध में लम्बित हैं	भौतिक	रु. 53.00 लाख	रु. 5.30 लाख	29–01–2020	27–01–2020	31–01–2020 मध्या. 12.00 बजे से अप. 1.00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 20,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री पवन कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक 9810223192 नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं
6.	मैसर्स सिम्पलेक्स सेल्स कार्पोरेशन बीओ : एआरएमबी, नई दिल्ली	रु. 1,63,26,991.64 02–04–2018	श्री हिमांशु मल्होत्रा पुत्र अशोक मल्होत्रा द्वारा स्वाधिकृत दुकान नंबर 12 जीएफ ब्लॉक–सी, मुखर्जी नगर (निकट बत्रा सिनेमा), दिल्ली–09, एरिया 13.94 वर्ग मीटर फ्रीहोल्ड ये मामले बैंक द्वारा 17–09–2019 में डीआरटी में दाखिल उपरोक्त सम्पत्तियों नामतः डीआरटी में एसए सं. 248/2019 तथा डीआरएटी तथा ओए में अपील 408/2019 और ओए के संबंध में लम्बित हैं	भौतिक	रु. 53.00 लाख	रु. 5.30 लाख	29–01–2020	27–01–2020	31–01–2020 अप. 01.00 बजे से अप. 02.00 बजे	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 20,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री पवन कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक 9810223192 नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं
7.	श्री सुनील अत्री बीओ : वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	रु. 70,42,300.06 27–11–2018	सम्पत्ति स. 276/ए, बेसमेंट तथा भू तल, छत का अधिकार नहीं, सम्पत्ति एमसीडी नंबर 276, खसरा नंबर 553/418 का हिस्सा, मस्जिद मोठ साउथ एक्सटेंशन पार्ट–II, नई दिल्ली। श्री सुनील अत्री के नाम में। (फ्रीहोल्ड)। बेसमेंट तथा भू तल का एरिया 125 वर्ग गज।	सांकेतिक	रु. 105.00 लाख	रु. 10.50 लाख	30–01–2020	इच्छुक बोलीदाता सम्पत्ति का निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं	01–02–2020 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 50,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री युगल कुमार, मुख्य प्रबंधक 9599431055, शाखा प्रबंधक श्री मनीश कुमार सिंह 9560791237 नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं
8.	श्रीमती प्रमिला देवी बीओ : आसफ अली रोड, नई दिल्ली	रु. 35.55 लाख 01–07–2016	निर्मित फ्रीहोल्ड मकान द्वितीय तल, छत/टेरेस का अधिकार नहीं, सम्पत्ति सं. आरजैड–6के/11/563 का हिस्सा, एरिया 75 वर्ग गज अर्थात 62.71 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 650 का भाग, राजस्व सम्पदा ग्राम नासिरपुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली, इन्द्रा पार्क पालम कालोनी, नई दिल्ली–45 के नाम से मशहूर। श्रीमती प्रमिला देवी के नाम।	भौतिक	रु. 18.50 लाख	रु. 1.85 लाख	30–01–2020	28–01–2020 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक	01–02–2020 अप. 01.00 बजे से अप. 02.00 बजे	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 10,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री प्रेम कुमार, मुख्य प्रबंधक 9464088883, शाखा प्रमुख श्री बलबीर सिंह नागर, वरिष्ठ प्रबंधक मोबाइल : 9818608142, नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं
9.	श्रीमती परवीन बीओ : आसफ अली रोड, नई दिल्ली	रु. 20.58 लाख 08–01–2019	फ्रीहोल्ड सम्पत्ति स. एफ–176, द्वितीय तल छत/टेरेस का अधिकार नहीं, 50 वर्ग गज यानी 41.82 वर्ग मीटर के प्लॉट पर निर्मित, खसरा नंबर 30/8/1 का हिस्सा, ग्राम ख्याला, विष्णु गार्डन, ब्लॉक–एफ, नई दिल्ली–18, स्वामी श्रीमती परवीन पत्नी स्व. श्री निरंजन सिंह	भौतिक	रु. 27.00 लाख	रु. 2.70 लाख	30–01–2020	28–01–2020 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक	01–02–2020 अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 10,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री प्रेम कुमार, मुख्य प्रबंधक 9464088883, शाखा प्रमुख श्री बलबीर सिंह नागर, वरिष्ठ प्रबंधक मोबाइल : 9818608142, नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं
10.	मैसर्स साई एंटरप्राइजेज बीओ : बैंक स्ट्रीट, नई दिल्ली	रु. 3124533.34 08–06–2018	381, जीएफ तथा द्वितीय तल, पाकेट–2, जनता फ्लैट, पश्चिम पुरी, मादीपुर, दिल्ली–63, श्री सेदूराम (गारंटर) के नाम, एरिया 42 वर्ग गज। फ्रीहोल्ड	सांकेतिक	रु. 46.00 लाख	रु. 4.60 लाख	14–02–2020	इच्छुक बोलीदाता सम्पत्ति का निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं	17–02–2020 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 10,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री प्रेम कुमार, मुख्य प्रबंधक 9464088883, शाखा प्रमुख श्री बलबीर सिंह नागर, वरिष्ठ प्रबंधक मोबाइल : 9818608142, नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं
11.	श्रीमती पूनम मिगलानी बीओ : गुरूद्वारा रोड, नई दिल्ली	रु. 96,47,903 + ब्याज + अन्य प्रभार 12–07–2019	फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पूर्ण द्वितीय तल (छत का अधिकार नहीं) सम्पत्ति सं. 100, ब्लॉक–डी, सेक्टर–8, द्वारका, नई दिल्ली–75, एरिया 175 वर्ग मीटर, श्रीमती पूनम मिगलानी के नाम में।	सांकेतिक	रु. 120.00 लाख	रु. 12.00 लाख	14–02–2020	इच्छुक बोलीदाता सम्पत्ति का निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं	17–02–2020 मध्या. 12.00 बजे से अप. 01.00 बजे	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 50,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री रूपेश कुमार रौशन, मुख्य प्रबंधक 8383945634, नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं
12.	मैसर्स सोसायटी फॉर एजूकेशनल ऐंड इकोनोमिक डवलपमेंट (एसईईडीएस) बीओ : एमसीबी, नई दिल्ली	रु. 10,37,48,123 18–07–2013	मकान नंबर 512, साउथ सिटी हाइट्स, गुड़गांव, हरियाणा, स्वामी रोमिरा रॉय, फ्रीहोल्ड, एरिया 1665.80 वर्ग फीट	सांकेतिक	रु. 120.00 लाख	रु. 12.00 लाख	14–02–2020	इच्छुक बोलीदाता सम्पत्ति का निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं	17–02–2020 अप. 01.00 बजे से अप. 02.00 तक	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 50,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री कमलेश वधावन, मुख्य प्रबंधक 9779183171, नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं
13.	मैसर्स सोसायटी फॉर एजूकेशनल ऐंड इकोनोमिक डवलपमेंट (एसईईडीएस) बीओ : एमसीबी, नई दिल्ली	रु. 10,37,48,123 30–06–2013	बी–128, प्रथम तल, सुशांत लोक, फेज–III, गुड़गांव, हरियाणा, स्वामी अर्चिन रॉय, फ्रीहोल्ड, एरिया 1109 वर्ग फीट	सांकेतिक	रु. 63.00 लाख	रु. 6.30 लाख	14–02–2020	इच्छुक बोलीदाता सम्पत्ति का निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं	17–02–2020 अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 तक	पंजाब नैशनल बैंक, गैर ग्राहक खाता नंबर 3092003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0309200)	रू. 20,000/–	प्राधिकृत अधिकारी : श्री कमलेश वधावन, मुख्य प्रबंधक 9779183171, नोडल अधिकारी : श्री रबीन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, 8130864663	ज्ञात नहीं

ई–नीलामी विक्रय के संक्षिप्त नियम तथा शर्तें : विक्रय, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित नियमों तथा शर्तों के अधीन होगा। 1. सम्पत्तियों को "जैसी हैं जहां हैं आधार" तथा "जैसी हैं जो है आधार" पर बेचा जा रहा है। 2. नीलामी विक्रय पोर्टल etender.pnbnet.in पर "ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन" द्वारा सम्पन्न होगी। 3. इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे उक्त प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करके एसएमएस/ई–मेल के माध्यम से अग्रिम में लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर लें, जो कि ई–बोलीदान हेतु अनिवार्य है। 4. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि वे प्राप्त की गई बोलियों को स्वीकार योग्य नहीं समझते तो उनमें से किसी अथवा समस्त बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं या बिना कोई कारण बताए, चाहे जो कुछ हो नीलामी को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अन्तिम होगा। 5. यदि नीलामी के समापन समय से अन्तिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जाता है तो समापन समय स्वतः ही 5 मिनट बढ़ जाएगा। 6. बोलीदाता को पैन कार्ड की स्कैंड प्रतियां तथा आवासीय पते का साक्ष्य अपलोड करना होगा। व्यक्तिगत बोलीदाता के अलावा अन्य बोलीदाता को ई–बोलीदान के लिए समुचित मैनडेट भी अपलोड करना होगा। 7. सफल बोलीदाता को तत्काल प्रभाव से पहले जमा की गई धरोहर राशि सहित बोली राशि की 25 प्रतिशत रकम जमा करनी होगी। 8. सफल बोलीदाता से अपेक्षा होगी कि वे विक्रय पुष्टिकरण की तिथि से 15 दिनों के अंदर बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत जमा करे। 9. यदि बोलीदाता निर्धारित अवधि के अंदर बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि अथवा बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करने में विफल होते हैं तो पहले जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का पुनर्विक्रय किया जाएगा। 10. पंजीकरण प्रभारों, स्टांप शुल्क, करों तथा इत्यादि सहित समस्त सांविधिक देयताओं/एटेंडेंट प्रभारों/अन्य बकाया राशियों का भुगतान क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। 11. यह प्रकाशन उपरोक्त वर्णित क्र. सं. 1 से 9 तक पर उधारकर्ताओं/गारंटरों/बन्धककर्ताओं हेतु 15 दिनों की एक सूचना तथा क्र. सं. 10 से 13 तक पर उधारकर्ताओं/गारंटरों/बन्धककर्ताओं हेतु 30 दिनों की एक सूचना भी है। अन्य विवरणों तथा पूर्ण नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइटें देखें तथा/अथवा ऊपर वर्णित प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष विवरणित नोडल अधिकारियों/प्राधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क करें रू "etender.pnbnet.in"; www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in

तिथि : 04.01.2020 स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

www.readwhere.com

खबर कोना

इंदौर में सोमवार को हवाई अड्डे से बाहर निकलते भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह।

सलामी बल्लेबाजी की दौड़ में धवन पर बढ़ा दबाव

इंदौर, 6 जनवरी (भाषा) ।

पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद शिखर धवन को सलामी बल्लेबाज की दौड़ में लोकेश राहुल को पछाड़ने के लिए एक मैच कम मिलेगा और मंगलवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ होने वाले भारत के दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वह फार्म में चल रहे अपने इस साथी से बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेंगे।

सीमित ओवरों के क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले धवन 35 बरस के हो गए हैं जबकि राहुल अभी सिर्फ 27 बरस के हैं जिससे इस साल होने वाले टी-20 विश्व कप में अपनी जगह पक्की करने के लिए दिल्ली के धवन के पास अधिक समय नहीं है। बाएं हाथ के बल्लेबाज धवन का स्ट्राइक रेट पिछले कुछ समय में सीमित ओवरों के क्रिकेट में चिंता का विषय रहा है और श्रीलंका के खिलाफ बाकी बचे दोनों मैचों में उन्हें इसमें सुधार करना होगा। धवन 2019 में चोटों से काफी परेशान रहे और एक बार फिर वापसी करते हुए उनकी राह चुनौतीपूर्ण होगी। पिछले साल धवन ने 12 मैचों में 110 के स्ट्राइक रेट से 272 रन बनाए।

दूसरी तरफ राहुल ने मौकों का पूरा फायदा उठाया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीमित ओवरों की पिछली श्रृंखला (तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय और तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय) की छह पारियों में एक शतक और तीन अर्धशतक जड़े। कप्तान विराट कोहली भी कह चुके हैं कि श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला से आराम मिलने के बाद रोहित शर्मा जब पारी का आगाज करने के लिए वापसी करेंगे तो धवन और राहुल के बीच से किसी एक का चयन करना आसान नहीं होगा। गुवाहाटी में पहले मैच में एक भी गेंद नहीं फेंके जाने के बाद कोहली के शुरुआती टी-20 मैच की अंतिम एकादश में बदलाव की संभावना नहीं है जिसके लिए उन्होंने तीन विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों और दो स्पिनरों को चुना था। वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव को टीम में जगह मिली थी जबकि युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा अंतिम एकादश में जगह बनाने में नाकाम रहे थे।

श्रीलंका की टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की अधिक संख्या को देखते हुए यह फैसला किया गया था। मनीष पांडे और संजू सैमसन को पहले मैच की अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली थी और इन दोनों के एक बार फिर बाहर बैठने की उम्मीद है। अक्तूबर-नवंबर में होने वाले टी-20 विश्व कप से पूर्व भारतीय टीम खिलाड़ियों के साथ प्रयोग कर रही है लेकिन टीम प्रबंधन ने अब तक पांडे और सैमसन को मौका नहीं दिया है। चोट के कारण चार महीने बाद स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी का सभी को बेसब्री से इंतजार था लेकिन बारिश और फिर मैदान गीला होने के कारण गुवाहाटी में मैच नहीं हो सका। मंगलवार को बुमराह को इंदौर में मौका मिलना लगभग तय है। कप्तान लसिथ मलिंगा के साथ टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक आलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को गुवाहाटी में अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली थी क्योंकि मेहमान टीम ने भी तीन विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों और दो स्पिनरों के साथ उतरने का फैसला किया था।

श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी-20 मैच आज शाम 7 से

शिखर धवन के बल्ले से पिछले साल 12 मैचों में 110 के स्ट्राइक रेट से 272 रन बने हैं

लोकेश राहुल ने पिछली श्रृंखला के तीन टी-20 और तीन वनडे में एक शतक व तीन अर्धशतक जड़े

मैच के दौरान साफ रहेगा मौसम

पहला मुकाबला बारिश में धुलने से निराश क्रिकेटप्रेमियों के लिए खुशखबरी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि दोनों देशों के बीच मंगलवार को यहां खेले जाने वाले दूसरे टी-20 मैच में मौसम साफ रहेगा और इस दौरान बारिश की आशंका नहीं है। विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। टी-20 मैच यहां मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) के होलकर स्टेडियम में शाम सात बजे से होना है। मौसम विभाग के अधिकारी ने एजंसी को बताया कि इन दिनों इंदौर में रात नौ बजे के बाद ओस पड़ रही है। लिहाजा मैच की दूसरी पारी में खिलाड़ियों को मैदान पर ओस के प्रभाव का सामना करना पड़ेगा।

होलकर स्टेडियम में रहा है भारत का अजेय रेकार्ड

भारतीय टीम होलकर स्टेडियम में श्रीलंका का सामना करने के लिए उतरेगी। यहां अभी तक वह अजेय रही है। एमपीसीए के करीब 27,000 दर्शकों की क्षमता वाले होलकर स्टेडियम में वर्ष 2006 से लेकर अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो टैस्ट मैच, एक टी-20 मुकाबला और पांच एक दिवसीय मैच आयोजित किए गए हैं। तीनों प्रारूपों के इन सभी आठ मैचों में भारत ने विपक्षी टीमों पर विजय हासिल की है। भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार को खेला जाना वाला मैच होलकर स्टेडियम के इतिहास का दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा। पहला टी-20 मुकाबला भी भारत और श्रीलंका के बीच 22 दिसंबर 2017 को खेला गया था।

नोबॉल को लेकर तकनीक का इस्तेमाल जारी रहेगा

दुबई, 6 जनवरी (भाषा) ।

वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच सीमित ओवरों की आगामी श्रृंखला के दौरान भी तीसरे अंपायर को आगे के पांव की नोबॉल देने का अधिकार होगा। इससे पहले वेस्ट इंडीज के हाल में भारत दौरे में इस तकनीक का प्रयोग किया गया था।

वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच तीन वनडे और इतने ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। इस दौरान तीसरा अंपायर प्रत्येक गेंद के लिए आगे के पांव पर निगरानी रखेगा।

आस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड से तीसरा टैस्ट 279 रन से जीता

सिडनी, 6 जनवरी (एपी) ।

आस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम टैस्ट में न्यूजीलैंड को 279 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम के खिलाफ 3-0 से जीत के साथ घरेलू सत्र का शानदार अंत किया। डेविड वार्नर ने नाबाद 111 रन की पारी खेलने के अलावा जो बर्न्स (40) और मार्नस लाबुशेन (59) के साथ शतकीय साझेदारी की जिससे आस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी दो विकेट पर 217 रन पर घोषित करते हुए न्यूजीलैंड को 416 रन का लक्ष्य दिया। ऑफ स्पिनर नाथन लियोन (50 रन पर पांच विकेट) ने इसके बाद लगातार दूसरे दिन पारी में पांच विकेट चटकाए जिससे न्यूजीलैंड की टीम 47.5 ओवर में 136 रन पर ढेर हो गई जो उसका श्रृंखला का न्यूनतम स्कोर है। लाबुशेन ने घरेलू सत्र में पांच टैस्ट में 895 रन बनाए जो आस्ट्रेलियाई रेकार्ड है।

नडाल ने एटीपी कप में स्पेन को दिलाई जीत

ब्रिस्बेन, 6 जनवरी (एएफपी) ।

नोवाक जोकोविच ने अपने एकल और युगल मैच जीते जिससे सर्बिया ने फ्रांस को 2-1 से हराकर पहले एटीपी कप टीम टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। उधर पर्थ में राफेल नडाल ने स्पेन को जीत दिलाई। शीर्ष रैंकिंग के नडाल ने पर्थ में सोमवार को पाब्लो कुएवास को 6-2, 6-1 से हराया जिससे स्पेन ने उरूग्वे के खिलाफ जीत दर्ज की।

बेनोइट पियरे ने पहले मैच में डुसान लाजोविच को 6-2, 5-7 (6), 6-4 से हराकर फ्रांस को बढ़त दिलाई लेकिन जोकोविच ने गेल मोनफिल्स को 6-3, 6-2 से हराकर सर्बिया को बराबरी पर दिलाई। जोकोविच ने इसके बाद विक्टर ट्रोइस्की के साथ मिलकर निकोलस माहूट और एडवर्ड रोजर वेसलिन को 6-3, 6-6 (5/7), 10-3 से हराकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने चिली पर जीत दर्ज की जिससे सर्बिया का ग्रुप ए में शीर्ष स्थान तय हो गया। उधर पर्थ में राबर्टो बातिस्ता आगुट ने 19 वर्षीय फ्रैंको रोंकाडेली को 6-1, 6-2 से हराकर स्पेन को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। स्पेन ने ग्रुप बी में अब तक दोनों मुकाबले जीते हैं और उसका अगला सामना अजेय जापान से होगा।

दिल्ली-पंजाब मैच बारिश के कारण ड्रा पर समाप्त

मोहाली, 6 जनवरी (भाषा)।

बारिश और खराब मौसम के कारण दिल्ली और पंजाब के बीच रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए का मैच सोमवार को यहां नीरस ड्रा के रूप में समाप्त हुआ। दिल्ली को पहली पारी में बढ़त के आधार पर तीन अंक मिले। उसने पंजाब के 313 रन के जवाब में अपनी पहली पारी में 339 रन बनाए थे। इसके बाद दिल्ली ने दूसरी पारी में पंजाब के चार विकेट 44 रन पर निकाल दिए जिससे मैच रोमांचक बन गया था लेकिन बारिश के कारण आखिरी दिन एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी।

ग्रुप ए में ही कोलकाता में बंगाल बारिश से प्रभावित मैच में गुजरात पर पहली पारी में बढ़त हासिल करके तीन अंक हासिल करने में सफल रहा। गुजरात की टीम पहली पारी में केवल 194 रन पर आउट हो गई थी। मैच ड्रा होना तय था लेकिन बंगाल ने सोमवार को अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 239 रन बनाकर पहली पारी में बढ़त हासिल की।

खराब मौसम से उत्तर प्रदेश को झटका

कानपुर, 6 जनवरी (भाषा) ।

उत्तर प्रदेश की खराब मौसम के कारण तमिलनाडु के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी के मैच में जीत दर्ज करने की उम्मीदें समाप्त हो गई और उसे आखिर में केवल एक अंक से संतोष करना पड़ा।

उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को 154 रन पर आउट कर दिया। उत्तर प्रदेश को इस तरह से 160 रन का लक्ष्य मिला। उसने तेज सात ओवर में 41 रन बना दिए लेकिन नटराजन ने रिंकू सिंह और मोहम्मद सैफ को लगातार गेंदों पर आउट कर दिया। जब उत्तर प्रदेश का स्कोर दो विकेट पर 42 रन था तब खराब मौसम के कारण खेल रोकना पड़ा।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

ESAF
ESAF SMALL FINANCE BANK
Joy of Banking

ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED

Our Bank was incorporated as 'ESAF Small Finance Bank Limited' on May 5, 2016 at Thrissur, Kerala, as a public limited company under the Companies Act, 2013, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, Kerala at Ernakulam ("**RoC**"). Our Corporate Promoter, ESAF Financial Holdings Private Limited was granted in-principle approval to establish a small finance bank ("**SFB**"), by the RBI, pursuant to its letter dated October 7, 2015. Subsequently, our Bank received the final approval to carry on the SFB business in India, pursuant to a letter dated November 18, 2016 issued by the RBI. Our Bank commenced its business with effect from March 10, 2017 and was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated November 12, 2018 issued by the RBI. For further details, see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 139 of the Draft Red Herring Prospectus dated January 06, 2020 (**"DRHP"**).

Registered and Corporate Office: Building No.VII/83/8, ESAF Bhavan, Thrissur-Palakkad National Highway, Mannuthy, Thrissur 680 651, Kerala, India; **Tel:** +91 487 7123 907; **Website:** www.esafbank.com;
Contact Person: Ranjith Raj P, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail:** investor.relations@esafbank.com;**Corporate Identity Number:** U65990KL2016PLC045669

OUR PROMOTERS: KADAMBELIL PAUL THOMAS AND ESAF FINANCIAL HOLDINGS PRIVATE LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹9,762.40 MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹8,000.00 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹1,762.40 MILLION ("THE OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹1,500.00 MILLION BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, AND UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹174.90 MILLION BY BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED AND UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹87.50 MILLION BY PI VENTURES LLP (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "SELLING SHAREHOLDERS", AND SUCH EQUITY SHARES THE "OFFERED SHARES").

THE OFFER SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK.

OUR BANK MAY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), CONSIDER A PRE-OFFER PLACEMENT OF AN AGGREGATE AMOUNT UP TO ₹3,000 MILLION (THE "PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR BANK, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE UNDERTAKEN PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO THE MINIMUM OFFER SIZE CONSTITUTING AT LEAST 10% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE PRICE BAND, AND THE MINIMUM BID LOT SHALL BE DECIDED BY OUR BANK AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF [•], AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [•] EDITIONS OF [•], A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [•] EDITION OF [•], A MALAYALAM DAILY NEWSPAPER WITH WIDE CIRCULATION (MALAYALAM BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF KERALA, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED) AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Bank and the Promoter Selling Shareholder may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not less than 75% of the Offer shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") ("**QIB Portion**"), provided that our Bank and the Promoter Selling Shareholder may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not more than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not more than 10% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "*Offer Procedure*" on page 309 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Bank is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed a DRHP with SEBI on January 6, 2020. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing, by hosting it on the websites of SEBI, at www.sebi.gov.in and the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the websites of the BRLMs, i.e., Axis Capital Limited, Edelweiss Financial Services Limited, ICICI Securities Limited and IIFL Securities Limited at www.axiscapital.co.in, www.edelweissfin.com, www.icicisecurities.com and www.iiflcap.com, respectively. Our Bank invites members of the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI to SEBI and/or the Company Secretary and Compliance Officer of the Bank and/or the BRLMs with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of the Bank or the BRLMs at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by SEBI, the BRLMs and/or Company Secretary and Compliance Officer of the Bank on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Bank and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "*Risk Factors*" on page 23 of the DRHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE RBI: A license authorising the Bank to carry on small finance bank business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license, the Reserve Bank of India does not undertake any responsibility for the financial soundness of the Bank or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

AXIS CAPITAL
Axis Capital Limited
Axis House, 1st floor
C-2 Wadia International Centre
P.B. Marg, Worli
Mumbai - 400 025, Maharashtra, India
Tel: +91 22 4325 2183
E-mail: esaf.ipo@axiscap.in
Website: www.axiscapital.co.in
Investor Grievance ID: complaints@axiscap.in
Contact Person: Mayuri Arya
SEBI Registration Number: INM000012029

Edelweiss
Edelweiss Financial Services Limited
14th Floor, Edelweiss House
Off C.S.T Road, Kalina
Mumbai - 400 098, Maharashtra, India
Tel: +91 22 4009 4400
E-mail: esaf.ipo@edelweissfin.com
Website: www.edelweissfin.com
Investor Grievance ID:
customerservice.mb@edelweissfin.com
Contact Person: Siddharth Shah
SEBI Registration Number: INM0000010650

ICICI Securities
ICICI Securities Limited
ICICI Centre
H. T. Parekh Marg, Churchgate
Mumbai - 400 020, Maharashtra, India
Tel: +91 22 2288 2460
E-mail : esafsfb.ipo@icicisecurities.com
Website: www.icicisecurities.com
Investor Grievance ID:
customercare@icicisecurities.com
Contact Person: Arjun A Mehrotra/Rishi Tiwari
SEBI Registration No.: INM000011179

IIFL
IIFL Securities Limited
10th Floor, IIFL Centre
Kamala City, Senapati Bapat Marg
Lower Parel (West)
Mumbai - 400 013, Maharashtra, India
Tel: +91 22 4646 4600
E-mail: esaf.ipo@iiflcap.com
Website: www.iiflcap.com
Investor Grievance ID: ig.ib@iiflcap.com
Contact Person: Aditya Agarwal/Harshit Talesara
SEBI Registration Number: INM000010940

REGISTRAR TO THE OFFER

LINK Intime
Link Intime India Private Limited
C-101, 1st Floor, 247 Park
Lal Bhadur Shastri Marg, Vikhroli (West)
Mumbai - 400 083, Maharashtra, India
Tel: +91 022 4918 6200
E-mail: esaf.ipo@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in
Investor Grievance ID:
esaf.ipo@linkintime.co.in
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan
SEBI Registration Number: INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Kerala
Date : January 6, 2020

ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI. The DRHP shall be available on the websites of the SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com, and on the websites of the BRLMs i.e., www.axiscapital.co.in, www.edelweissfin.com, www.icicisecurities.com and www.iiflcap.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see "*Risk Factors*" on page 23 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with the SEBI for making any investment decision and such investment decision must be made solely on the basis of the Red Herring Prospectus ("**RHP**") once filed with the RoC.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Bank and that will contain detailed information about the Bank and management, as well as financial statements. However, no public offering of securities is being made in the United States.

CONCEPT

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 51, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।